

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही.

14 मार्च 1978

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 14 मार्च, 1978

सख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

(12) 1

नियम 45 के अधीन मेज पर रखे गए

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

(12) 26

स्थगित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

(12)

39

अध्यक्ष द्वारा दिया गया विनिर्णय (रुलिंग)—

चौधरी रिजक रिजक राम द्वारा 10 मार्च, 1978 को एक

समाचार पत्र के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार प्रश्न

तथा बहिर्गमन के सम्बन्ध में ।

(12) 46

ध्यानाकर्षण सूचना

पुलिस द्वारा एक एम 0 एल0 ए 0 के मकान की

अभिकथित तलाशी के सम्बन्ध में ।

(12) 51

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन बिल, 1978

(12) 52

ध्यानाकर्षण सूचना

पुलिस द्वारा एक एम० एल० ए० के मकान कीं

अभिकथित तलाशी के सम्बन्ध में (पुनरारम्भ)

(12) 52

अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया विनिर्णय (रूलिंग)

चौधरी रिजक राम द्वारा 10 मार्च, 1978 को एक

समाचार-पत्र के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार प्रश्न

तथा बहिर्गमन के सम्बन्ध में (पुनरारम्भ)

(12) 54

ध्यानाकर्षण सूचना -

पुलिस द्वारा एक एम० एल० ए० के मकान

अभिकथित तलाशी के सम्बन्ध में । (पुनरारम्भ)

(12) 55

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन बिल, 1978 (पुनरारम्भ)

(12) 57

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 2) बिल, 19786
(12) 68

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 3) बिल, 1978
(12) 73

दि हरियाणा प्राइवेट कालोजिज (टेकिंग ओवर
आफ मैनेजमेंट)बिल, 1978
(12) 84

बैठक का समय बढ़ाना
(12) 88

दि हरियाणा प्राइवेट कालेजिज (टेकिंग ओवर
आफ मैनेजमेंट) बिल, 1978 (पुनरारम्भ)
(12) 88

बहिर्गमन (12)

93

दि हरियाणा प्राइवेट कालेजिज (टेकिंग ओवर
आफ मैनेजमेंट)बिल (पुनरारम्भ)
(12) 94-97

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 14 मार्च, 1978

विधानसभा की बैठक, हरियाणा विधानसभा हाल,
'विधान भवन, सैक्टर 1, चंडीगढ़ में प्रातः 9. 30 बजे हुई ।

अध्यक्ष (बिग्रेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon. Members, the Question -Flour.

S.Y.L. Canal Project

***218. Shamsher Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the time by which the Sutlej Yamuna Link Canal Project is likely to be completed togetherwith the total quantity of water which will be received through it. Whether there is any proposal under consideration of the Government to revise and reduce the share of Haryana water as was determined previously by the Central Government; and

(b) whether it is a fact that about 1,000 cusecs of water can be received through the existing canal system from the Sutlej Yamuna Link Project, if so, the reasons for non-utilisation of this water going as waste ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar

Singh) :

(a) Sutlej Yamuna Link in Haryana territory is likely to be completed by the end of 1978-79. Likely date of completion of work on Sutlej Yamuna Link in Punjab cannot be indicated at this stage. Haryana's full share of 3.5 m.a.f. will be transported through the Sutlej Yamuna Link on its completion. There is no proposal under consideration of the Government to revise and reduce the share of Haryana water as determined previously by the Central Government.

(b) There is some spare capacity in the existing canal system, available at times when requirement is not keen. It is however, either not available or negligible in sowing and maturing periods i.e. in the month of May, June, October and November. The available spare capacity in other months is being partially utilised to carry part of Haryana's share in the surplus RaviBeas waters.

श्री शमशेर सिंह : क्या मंत्री जी बताएंगे कि एस० वाई० एल० की कम्पलिशन की ओरिजनल टारगेट डेट क्या थी और अगर उसमें डिले हुई है तो उसका क्या रीजन है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी की सरकार हरियाणा बनने के बाद कोई 8- 10 साल तक यहां रही लेकिन वह इस पानी को लेने के लिए कुछ नहीं कर पाई । फार दी फस्ट टाईम इस बात के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी और पंजाब सरकार के दरम्यान बात हुई और मार्च या अप्रैल के महीने में जब भी मुख्य मन्त्री जी को

फुरसत होगी इस नहर का उद्घाटन किया जाएगा (प्रशंसा)
अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बता दूँ कि इसके लिए पहली
पांच किलोमीटर जमीन की ऐक्विजिशन के नोटिस जारी हो चुके
हैं ।

श्री शमशेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, या तो मंत्री महोदय
ने मेरा सवाल सुना नहीं या ये जानकर जवाब नहीं दे रहे हैं ।
मैंने यह पूछा था कि इसकी कम्प्लिशन की ओरिजनल टारगेट डेट
कौन सी थी और उसमें डिले हुई है तो उसका क्या राजन है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : वह आपने कभी फिक्स नहीं की ।
जहां तक डिले के रीजन की बात है उसे या तो जैल सिंह जी
जाने या बंसी लाल जी जाने, हमें तो पता नहीं ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, जो जिले हो गई
सोतों हो गई । लेकिन क्या मन्त्री जी बतायेगे कि इस नहर को
बनाने के लिए आगे कोई अवधि निर्धारित की गई है कि इतने
समय में कम्पलीट कर देंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, पंजाब इंजीनियर्स के
मुताबिक यह नहर तीन साल में कम्पलीट हो जाएगी ।

चौधरी भजन लाल : बड़ा भारी लम्बा अर्सा है ।

श्री शमशेर सिंह : स्पीकर साहब, प्रश्न के (बी) पार्ट
के जवाब में मन्त्री जी ने बताया है कि ये पानी की पार्शल

यूटिलाइजेशन करते हैं । क्या मंत्री जी बताएंगे कि पार्शल यूटिलाइजेशन में ये कितना पानी ले रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . इस साल लेटैस्ट 0.638 एम0 ए 0 एफ 0 लिया गया है ।

श्री ओम प्रकाश : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी बताया कि यह नहर तीन साल में कम्पलीट होगी । मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि इस दौरान क्या नहर का ही काम चलेगा या सड्कों वगैरह के दूसरे काम भी होंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इसके लिए अलग से बजट है और सड्कों वगैरह के लिए अलग से बजट है ।

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी बताया कि पांच किलोमीटर जमीन ऐक्वायर की गई है । इनसे मैं यह जानना चाहूंगा कि पंजाब. के अन्दर इस नहर की कितनी लैथ है और बाकी जमीन कब तक ऐक्वायर हो जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : पंजाब में इस नहर की लैथ 1.22 किलोमीटर है । ऐक्विजिशन का फस्ट फेज शुरू हो चुक है । आहिस्ता आहिस्ता अगली जमीन भी ऐक्वायर कर ली जाएगी ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मंत्री जी ने अभी बताया कि पंजाब इंजीनियर्स के मुताबिक इस नहर को कम्पलीट करने में तीन साल लगेंगे लेकिन उतनी ही नहर जो हरियाणा में है उसके

बारे में मंत्री जी ने बताया था कि वह इस साल तैयार हो जाएगी । तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि वहां इतना टाईम लगने की क्या वजह है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : हरियाणा वाली नहर की लैथ 92 किलोमीटर है और वह 92 किलोमीटर की नहर भी डेढ़ पौने दो साल का अर्सा लग कर कम्पलीट होगी । पंजाब वाली नहर की लैथ 122 किलोमीटर है । इसलिए नैचुरली उस पर ज्यादा टाईम लगेगा?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि नहर को कम्पलीट करने में पंजाब इंजीनियर्स के मुताबिक तीन साल का समय लगेगा । लेकिन मैं समझता हूं कि अगर यह काम हमारे इंजीनियर्स को दिया जाए तो वे इसे तीन साल की बजाय डेढ़ साल में कर देये । क्या सरकार वहां हरियाणा के इंजीनियर्स लगाने के बारे में विचार करगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : हम पंजाब गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे कि अगर वे काम हमें सौंप सकें तो सौंप दें ।

Yoga Education

***279. Swami Aditya Vesh :** Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give incentive to Yoga education in the State.

(b) if so, the details thereof together with the time by which it is likely to be implemented ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) Yes.

(b) Govt. propose to establish one Yoga Centre in every district headquarter during 1978-79.

स्वामी आदित्य वेश : अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल किया था कि उसका पूरा विवरण दिया जाए । मंत्री महोदय ने मुझे यह उत्तर दिया है कि एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाएगा । लेकिन उस प्रशिक्षण केन्द्र में किसप्रकार की शिक्षा दी जाएगी, किसप्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी यह नहीं बताया ।

कर्मल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, जहां तक शिक्षा देने का सवाल है, योगा सैन्टर में तो योग की ही शिक्षा दी जाएगी । जहां तक दूसरी डिटेल्स का सम्बन्ध है कि कितने टीचर्स होंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे और कितना कोर्स होगा, ये सरकार के विचाराधीन है । (विघ्न)

डाक्टर बृज मोहन गुप्ता : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह जो योगा-सैन्टर है यह लड़कियों के लिए अलाहिदा और लड़कों के लिए अलाहिदा होंगे क्योंकि मैं 'उदाहरण' के लिए यमुनानगर का एक किस्सा हाउस को सुना देता हूँ? वहां योगाश्रम भोगाश्रम बन गया है । (विघ्न)

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, जहां तक इस बात-का सम्बन्ध है कि अगर कहीं कोई गलत काम होता है, तो इसके पर पूरी कार्यवाही की जाएगी यमुनानगर वस्की बात के बारे में इंकवायरी हो रही है । रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऐक्शन लिया जाएगा । जहां तक लड़के और लड़कियों के लिए अलाहिदा सैन्टर खोलने का सम्बन्ध है, ये डिटेल्ज, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, गवर्नमेंट के विचाराधीन है । अभी कोई डिटेल फाइनेलाइज नहीं हुई है ।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा : स्पीकर साहब, रोहतक में एक गांव है । उसका नाम है लाडौत-भईयापुर लाडौत । वहां एक प्राईमरी स्कूल है जिसके 25 कमरे हैं । प्राईमरी स्कूल से मिडल स्कूल और हाई स्कूल बनाने काजो क्राईटेरिया है उसको वह दस साल से पूरा करता है लेकिन सरकार उसको मिडल स्कूल तक बनाने के लिए तैयार नहीं । तो मैं मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि अगर वहां और कुछ नहीं करना है तो योगाश्रम ही खोल दें । (हंसी)

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।)

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो हर जिले में योगा प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने ये स्कूल में खोले जाएंगे या कालेज में खोले जाएंगे या इस इंस्टिट्यूशन की अलग बिलिंग होगी?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, यह इंस्क्रिप्टियूशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नीचे होगा और अगर हो सकेगा तो अलग बिल्डिंग लेने की कोशिशकी जाएगी लेकिन— पूरी डिटेल्ज जैसा मैंने पहले बताया अभी वर्क आउट हो रही है । बाकी मैं माननीय सदस्यों के सामने यह बात रखना चाहता दूं कि कि योगा एक ऐसी चीज है जो हिन्दुस्तान में शुरू, हुई शी । आज वैस्टर्न कन्ट्रीज में, जैसे अमेरिका है, वहां इसका इतना ज्यादा प्रचार हो गया हैकि हर जगह योगा की ट्रेनिंग हो रही है लेकिन जिस देश में इसका जन्म हुआ उसमें यह बहुत बैकवर्ड चला गया । इसलिए यह सोचा गया कि इसे यहां पर, जहां इसका जन्म स्थान है, फिर शुरू किया जाए ।

श्री दीप चन्द भाटिया : स्पीकर साहब यहां जब भी बात होती है तो जिला स्तर की बात होती है । हमारा जिला गुडगांव है लेकिन गुडगांव में कुछ भी वही फरीदाबाद में ही सब कुछ है । इसलिए मैं मै मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह जोजिला स्तर की बात हो रही है इस पर न जाते हुए फरीदाबाद के अन्दर योगाश्रम खोलेंगे?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, जहां तक जिला स्तर की बात है इसका मतलब स्कूल नहीं होता कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ही खोला जाएगा जिला स्तर का मतलब तो यह है कि जिला की किसी भी सिलैक्टड प्लेस में वह चीज बोली जा सकती है ।

कंवर राव राम सिंह : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि योगा ट्रेनिंग का कितना पीरियड होगा? (विघ्न)

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने योग प्रशिक्षण की संस्था खोलने कम्ई बात— कही है लेकिन मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे योगियों की लिस्ट बनायी है कि उनको ट्रेनिंग देकर फिर दूसरे लोगों को शिक्षा दी जायेगी?

कर्मल राव राम सिंह : जो इन्स्ट्रक्टर रखे जायेंगे, उनकी स्पोर्ट्स विभाग तलाश कर रहा है । इस विषय ये मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि पहली अप्रैल से साढ़े चार बजे से पांच बजे तक सैक्रेटेरियट में भी योगा की क्लासिज आरम्भ करने जा रहे हैं । जो भी व्यक्ति ट्रेनिंग लेना चाहे, उनको ट्रेनिंग दी जायेगी और जो भी माननीय सदस्य इस ट्रेनिंग में भाग लेना चाहें उनको भी हम वैलकम करेंगे ।

चौधरी ईश्वर सिंह : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि योगा अभ्यास की ट्रेनिंग देने की जो व्यवस्था की जा रही है, उसमें लड़के और लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए कोई विशेषज्ञ होंगे?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या मंत्री महोदय फरमायेंगे कि जिस तरह से आम ऐजुकेशन में टीचर और टौट में अनुपात रखा जाता है उसी तरह से अनुपात इसमें रखा जायेगा ? दूसरे अभी-अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि स्पोर्ट्स विभाग के साथ इसको रखा जायेगा । लेकिन स्पोर्ट स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स स को ऐनरेजमेंट देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है । कोई केटेज नहीं किया जा रहा है । क्या वैसा इसमें तो नहीं होगा? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूँ कि इस योग आश्रम में योग शिक्षा को ऐनकरेज करने के लिए नौकरियों में प्रैफरेंस देंगे या नहीं? दूसरे जो प्रोफेशनल कोर्सिज हैं, उनमें ऐडमिशन में वेटेज देंगे या नहीं?

कर्मल राव राम सिंह : इस सवाल से इस सप्लीमेंटरी का सम्बन्ध नहीं है कि सरकारी नौकरियों में वेटेज दिया जायेगा या नहीं?

श्री लछमन सिंह : मंत्री महोदय का योग आश्रमों में काफी इन्ट्रैस्ट नजर आ रहा है । मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में जैसे और योग आश्रम चल रहे हैं जैसे दिल्ली में विरेन्द्र ब्रह्मचारी आश्रम है, उसमें भी बड़े योगी हैं, ये भी उसीतरह से खोलेंगे या कोई डिसेन्सी होगी?

कर्मल राव राम सिंह : जो पैट्रन सरदार साहब ने रेफर किया है, वह खत्म कर चुके हैं । वे भोग आश्रम और योग आश्रम

खत्म हो चुके हैं, वह पैट्रन पीछे खत्म हो चुका है । जो नये योग-आश्रम खोले जायेंगे वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी डिवैल्पमेंट के लिए खोले जायेंगे । योग को ऐनकरेजमेंट दे ने के लिए खोले जायेंगे ।

श्री रघुनाथ गोयल : मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि जो संस्कृत बी 0 ए 0 से चालू करते हैं, क्या उसे प्रैप से चालू करेंगे?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।)

चौधरी लाल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जो योगा-आश्रम खोलेंगे उसमें कितने लड़के और कितनी लड़कियां होंगी?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।)

चौधरी हरस्वरूप बूरा : मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष के अन्दर कितने योग आश्रम खोलने का विचार है?

कर्नल राव राम सिंह : चालू वित्तीय वर्ष 197 8- 79 में हर डिस्ट्रिक्ट में एक योग आश्रम खोला जायेगा ।

स्वामी आदित्य वेश : अध्यक्ष महोदय मैं आप के जरिए मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन्होंने स्पोर्ट के साथ योग को जोड़ दिया है तो स्पोर्ट और योग में क्या अन्तर है?

श्री अध्यक्ष : आप ही बता दे । (हंसी)

श्री लहरी सिंह मेहरा : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या जहा योग आश्रम खोले जायेंगे उनके साथ ही अखाड़े भी खोले जायेंगे?

कर्नल राव राम सिंह : जहां तक कुश्तियों का सवाल है में समझता हूं यह हरियाणा का महत्वपूर्ण स्पोर्ट है । हरियाणा में अभी करनाल के अन्दर रैसलिग चौम्पीयनशिप होल्ड की थी । इसलिए कुश्तियां को भी हम अवश्य प्रोत्साहन देंगे ।

श्री भले राम : क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जो आश्रम में टेरनिज होंगे वे मैरिड होंगे या अन-मैरिड होंगे?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।)

Wax Quota

***266. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of the persons who have been allotted wax quota by the Janata Govt. in the State district-wise separately ;

(b) whether any complaint has been received by the Govt. for its mis-utilisation, if so, the details thereof; and

(c) the names and the complete addresses of the

persons who have been allotted quota by Janata Govt. and also their relationship with the members of the Vidhan Sabha ?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) :

(a) The wax quota is allotted only in the name of units and not to any individual. A statement of units to whom the quota has been allotted is placed on the table of the House.

(b) Two complaints have been received alleging mis-utilisation of Paraffin Wax. The details are as under :—

(i) An anonymous complaint dated 25-11-77 was received alleging mis-utilisation of Paraffin Wax by M/s Chemplast Industries, Plot No. 353, Sector 24, Faridabad, and M/s Polychem Industries, Dharuhera (Mohindergarh).

(ii) A complaint dated 29-11-77 was received alleging misutilisation by M/s Super Chemical Industries, Kunjpura Road, Karnal.

(c) Position stated at (a) above. Government is not aware of the relationship, if any between the proprietors of the units with members of the Vidhan Sabha.

STATEMENT

Sr. No.	Name & Address of the allottees
1	2
1.	M/s Eank ay (India)Rubber Co. (P) Ltd. Bassai Road, Gurgaon.

2. M/s Bharat Carbon & Ribbon Manufacturing Ltd., 66-A Industrial Area N.I.T. Faridabad.
3. M/s Skytons Electricals (India), 43 Industrial Area Faridabad.
4. M/s Paper Converters (India) 14/4 Mathura Road, Faridabad.
5. M/s A.R. Packing D.L. F. Industrial Estate, 14th Mile Stone, Mathura Road, Faridabad.
6. M/s Good Year India (P) Ltd. Ballabgarh, Faridabad.
7. M/s Business Carbons & Lamination (P) Ltd. Plot No. 79, Sector 6, Faridabad.
8. M/s Ajit Rubber Industries, Ballabgarh Faridabad.
9. M/s Mansukh and Company (Overseas) Plot No. 49 Sector 6, Faridabad.
10. M/s Chempol Engineers (P) Ltd., 32-D, D.L.F. Ind. Estale-1, Faridabad.
11. M/s Haryana Chemical Industries (P) Ltd. 12th Mile Stone, Mathura Road, Faridabad.
12. M/s Haryana Chemical, Plot No. 341, Sector 24, Faridabad.
13. M/s Chemplast Industries Plot No. 353 Sector 24, Faridabad.

14. M/s Om Chemical Works (Regd.) 16/4, Mile
Stone Mathura Road, Industrial Area,
Faridabad.

15. M/s Super Seals India (P) Ltd. Mathura Road, Faridabad.
16. M/s Delhi Road Mills, NIT Faridabad.
17. M/s Brij Match Production, C. I. S. Ltd. , Hodel, Faridabad.
18. Hindustan Oil Corporation, 18/3, Mathura Road, Faridabad.
19. M/s Bata India Ltd. N.I. T. Faridabad.
20. M/s Sehgal Puri (P) Ltd., 14/5, Main Mathura Road, Faridabad.
21. M/S I axman Candle Mfg. Works, House No. 406, Ward No. 2 Near Four Marlas Colony, Gurgaon.
22. M/s Verma Candle Works Badshapur, District Gurgaon.
23. M/s Raj Sug-andhi ,Mandir, Madanpuri,Gurgaon. -
24. Principal Kendriya Vidyalaya, Air Force, Gurgaon.
25. Principal Kendriya Vidyalaya, Faridabad.

District Sonapat

26. M/s Modi Udyog 14/4 Bahalgarh Road, Sonapat.

27. M/s Sonapat Textiles Mills, Bahalgarh Road, Sonapat.
28. M/s Om Weaving Factory, 41/4 , Bahalgarh Road, Sonapat.
29. M/s Capital Industries, 4 Marla House No. 82, Ram Nagar, Sonapat.
30. M/s Hari Printers, 17th Mile Stone, G.T. Road Kundli, Sonapat.
31. M/s Rubber' Re-claim Co. of India (P) Ltd., 22/4 Mile Stone, G.T. Road, Bahalgarh (Sonapat)

Bahalgarh (Sonapat)

32. M/s Chander Candle Works, V.&P.O.tKahni Teh. Gohana, Distt. Sonapat.
33. M/s Ashoka Chemicals & Allied Industries, Gandhi Bazar, Sonapat.
34. M/s Haryana Ice-Candy 13-R; Model Town, Sonapat.
35. M's. Haryana Candle Works; Railway Road Ganaur Mandi (Sonapat)
36. M/s Netarheen Kutir Udyog 109, Jiwan Nagar, Sonapat.

District Rohtak

37. M/s Gulshan Rubber Ind. Bhiwani Road; Near

Railway Crossing, Rohtak.

38. M/s Bharat Rubber Factory, Bhiwani Road
Near Railway Phatak, Rohtak.
39. M/s Asian Pencil Inds. Indl. Area,
Bahadurgarh.
40. . M/s .Mehta Group of Industries, Modern
Indl. Estate, Tikri; Border; Bahadurgarh.

41. M/s Paper and Cardware; E-9 Indl. Estate, Bahadurgarh.
42. M/s Ram Niwas Bansal Industries; Sampla Mandi Distt. Rohtak.
43. Headmaster Govt. High School, Sampla (Rohtak)
44. Principal Govt. Janata College, Dujana (Rohtak)

District Mohindergarh

45. M/s Polychem Industries Dharuhera Teh. Rewari (Mohindergarh).
46. M/s Jai Deep Industries, Narnaul .
47. M/s Single General Industries.
48. M/s Mohendra Candle 302 Jawahar Nagar Mohindergarh.
49. M/s Blind School for Girls, Mohaila Kharkari Narnaul.
50. M/s S.K. Chemical Industries 449 Nai Subzi Mandi Rewari Distt. Mohindergarh.
51. M/s Madan Chemical Industries C/o Sh. Bhoop Singh Saini Bharwas Gate Rewari Distt. Mohindergarh.

District Ambala

52. M/s Chowdhry Chemical Works, 3880 Kacha Bazar Ambala Cantt.
53. M/s Oberoi Scientific Company, 3593 Timber Market, Ambala Cantt.
54. M/s Indra Printing & Stationery Production Cooperative Industrial Society Ltd., Anaj Mandi Road, Ambala Cantt.
55. M/s Pasricha Chemical Works Kalal Majri No. 6974/4 Ambala Cantt.
56. M/s Tash Industries Manauli House, 25/26 Ambala City.
57. M/s Baij Nath Asharifi Lail, D.C. Road, Ambala Cantt.
58. M/s J.N. Kapoor & Company, Yamuna Nagar.
59. M/s Adarsh Dying & Proofing works, G.T. Road, Ambala Cantt.
60. M/s S.D. Institute for the Blind, Ambala Cantt.
61. M/s Haryana Candle Industries, House No. 2254 Kacha Bazar, Ambala Cantt.
62. M/s Rama Cottage Industries; C-272 H.M.T. Pinjore Distt. Ambala
63. M/s Parkash Industries Kasauli Road, Kalka Ambala.

64. M/s Gupta Wax Product, 320 Gali Satya
Narain Kalka (Ambala).
65. M/s Vishal Wax Product A-164, H.M.T. Pinjore,
Ambala.
66. M/s Hari Chand Goyal 2637, Bengali Mohaila,
Ambala Cantt.
67. M/s Lal Singh Rajinder Singh, Patel Road,
Ambala City.
68. M/s Ambala Industries & Marketing Society,
Ambala Cantt.

69. Principal Kendriya Vidyalaya (Central School) Chandimandir, Kalka (Ambala).
70. Headmaster S.A. Jain High School, Ambala City.
71. Principal Kendriya Vidyalaya No. I Patel Park Ambala Cantt.
72. M/s Bright and Light Industries, 998 Model Colony Yamuna Nagar.
73. M/s Raja Industries Old Subzi Mandi, Jagadhri.
74. M/s Yamuna Dhoop & Aggarwati Cooperative Industrial Society, YamunaNagar.
75. M/s Avinashi Trading Co. Jagadhri.

District Sirsa :

76. M/s Gopi Chand Textile Mills, Ltd. Hissar Road, Sirsa.
77. M/s Bhura Mal Raj Kumar Surat Gariba Bazar, Sirsa.
78. M/s Laxmi Candle Works, Gurdwara Street Surat Gariba Bazar Sirsa,.

District Karnal :

79. M/s Bharat Cable & Electrical Industries E-94 Indl. Area, Panipat. - 80. M/s Aggarwal Rubber Industries, Near S.D. Girls High School,

Panipat.

81. M/s Super Tyres (P) Ltd. 71/3 Mile Stone G.T. Road, Karnal.
82. M/s Champion Rubber Industries, 118, Mile Stone, Kamal.
83. M/s Super Chemical Industries, Kunjpura Road, Karnal.
84. M/s Matchless Rubber Industries, Kunjpura Road Near Power House, Karnal.
85. M/s Jain Candle Works Hanuman Gali, Karnal.
86. M/s E.P. Traders XII/228 Patwan Mohaila, Karnal.
87. M/s Janta Candle Works, Sarafa Bazar, Karnal.
88. M/s Haryana Candle and General Industries C/o Suresh Chand Ration Depot, Dayalpura Gali, Karnal.
89. M/s Mithan Lal Candle Works, Holi Mohaila Karnal.
90. Haryana Bakers & Confectioner Railway Road, Karnal.
91. M/s Arpana Trust (Regd.), Madhuban Karnal.
92. M/s Mahavir Candle & Chemical Works, Model

Vill. Arjaheri Neelokheri (Karnal).

93. M/s Amar Nath S/o Shri Mastan Chand Model
Village Arjaheri Neelokheri (Karnal).

District Hissar

94. M/s Haryana Bicycle Industries, 6-A Indl. Area
Hissar,

95. M/s Mahavira Industries P.O. Hansi (Hissar).
96. M/s Shiv Ayurvedic Pharmacy, Bhamba Ram Colony Fatehabad, Hissar.
97. M/s Pragati Art Press Near Railway Double Phatak, Hissar.
98. M/s Nam Dhari Art Press 36, Govind Nagar Dabra Chowk Hissar.
99. M/s Hissar Textile Mills, Hissar.
100. M/s Haryana Gum Guwar & Poultry Feed Industries, Hissar.
101. M/s Durga Chemical 15-B Indl. Estate, Hissar.
102. M/s Distt. Red Cross Society Blind Relief Section, Hissar.
103. M/s Dalip Chand Mittar Sain Candle Works Tohana (Hissar).
104. M/s Verma Brothers Candle Works, Railway Road, Tohana (Hissar).
105. M/s Ram Sarup Shyam Lal Jakhal Mandi (Hissar).
106. M/s God Industries, Hissar Road, Tohana (Hissar).
107. M/s Ashoka Thread Bail Factory Mohaila Rajgarh, Hissar.

108. M/s Single Haryana Industries, Thread Bail Nai Mandi, Adampur, Hissar.
109. M/s Anil Chalk and Candles Industries House No. 35/13, Mohaila Telian Hissar.
110. M/s Narang Thread Bail Factory Bara Mohaila Near City Police Station, Hissar.
111. M/s Narang Candle Works, Bara Mohaila Hissar.
112. M/s Khushi Ram Popular Candle Works Mohaila Kasain House No. 104/12 Near Hazuri Masjid, Hissar.
113. M/s Asija Candle Works, House No. 7 1/2 Block No. 18, Mohalla Dogran, Hissar.
114. M/s Goel Cottage Industries, 1090/58, Pooshan Bhawan Vinod Nagar, Hissar.
115. M/s Aggarwal Soap Factory, Pushpvatika Mill Road, Hissar.
116. M/s Bhayana Thread Bail Factory House No. 161/13, Mohaila Kasain Hissar.
117. M/s Modern Candle Works, Shop No. 18 Hissar Textile Mill, Hissar.
118. M/s Suchi Ram Dev Raj Jakhal Mandi, Hissar.
119. M/s Ranvir Gota & Candles Factory Mohaila Rajgarh, Hissar.

120. M/s Bhardwaj Candle Works, Jagjiwan Basti Fatehbad Hissar.
121. M/s Paradeep Candle Works, Bhamba Ram Colony Fatehbad, Hissar.
122. M/s Shiv Chemical Industries, Main Bazar Fatehbad, Hissar.
123. M/s Haryana Candles Works Canal Colony Fatehbad, Hissar.
124. M/s Roshan Lal S/o Budh Ram, Partap Bazar Shop No. 2441, Hansi (Hissar).

125. M/s Aneja Thread Bail Factory, Partap Bazar Hansi (Hissar).
126. M/s Krishna Candle Works Near Old Bus Stand V&PO Barwala Teh. Hansi Distt. Hissar.
127. M/s Om Parkash Mitter Sain Railway Road, Tohana, Hissar.
128. M/s Davindra Candle Works W/No. 18/7 Sharma Street Tilak Bazar, Hissar.
129. M/s Pawan Candle Works Mohaila Kasain House No. 129/13, Hissar.
130. M/s Bharat Thread Bail Factory Purani Sabzi Mandi, Hissar.
131. M/s Utreja Thread Bail Factory and Candle Works Bhima Basti, Fatehbad (Hissar).
132. M/s Brij Mohan Goyal S/o Sarup Chand, H.No. 70 Mohaila Ram Niwas, Fatehbad (Hissar).
133. M/s Bharat Chemical Industry, Dharamsala Road, Fatehbad, Hissar.

District Bhiwani :

134. M/s Haryana Water Proofing & Cottage Industries C/o M/s Gori Datt Sant Lal Dalal Basi Mohaila Patram Gali Halu Bazar Bhiwani.
135. M/s Madan Lal Rajinder Kumar, Mahabir Gali, Bhiwani.

136. M/s Sushil Brand Mombati Factory, Gali Mastan Bhiwani.
137. M/s Shiv Candle Works H.No. 12 Gali Almal Lohar Bazar, Bhiwani.
138. M/s Shakti Wax Works, 107/8, Krishna Colony Bhiwani.
139. M/s Amba Candle Works Budhwana Gate Charkhi Dadri Distt. Bhiwani.
140. M/s Netraheen Kala Kender, Rajvir Market, Charkhi Dadri Bhiwani.

Distt. Jind :

141. M/s Gram Sudhar Society (Regd.), Gram Udyog Match Works, Narwana (Jind).
142. M/s Bhagwan Candle Works, Hanuman Gali, Jind.
143. M/s Singla Candle Works Railway Road, West Jamna Canal, Jind.
144. M/s Faquir Chand Pawan Kumar, Mohaila Sheela Pati Ward No. 332/11, Jind.
145. M/s Mittal Candle Works, Chaman Gir Street, Jind.
146. M/s Narain Dass Prem Parkash Main Bazar, Jind.
147. Shri Suraj Bhan S/o Sh. Jitu Ram of M/s

Laxmi Candle Factory, Mohaila Satian, Jind.

148. Principal Arya Higher Secondary School
Narwana (Jind).
149. Headmaster Govt. High School, Dharodi (Jind).
150. Headmaster Govt. High School, Kalyat (Jind).

151. Headmaster Govt. High School, Dumarkha (Jind).
152. Headmaster Govt. Middle School, Ballarkha (Jind).
153. Headmaster Govt. Middle School, Pipaltha (Jind).
154. Headmaster Govt. Primary School, Kharak Bhura (Jind).
155. Headmaster Govt. Primary School, Kheri Masania (Jind).
156. Headmaster Govt. Primary School, Sachakhera (Jind).
157. M/s. Sharma Industries C/o Jain House Krishana Colony Safidon Road, Jind.

Distt. Kurukshetra :

158. M/s. Arun Candle Works Sabzi Mandi Shahabad Markanda Distt. Kurukshetra.
159. M/s. Jawahar Candle Works, Main Bazar, Shahabad Markanda.
160. M/s. Kesho Ram Sudarshan Kumar, Shahabad Markanda.
161. Managing Director Haryana State Handloom and Handicrafts Corporation Ltd., Chandigarh.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि यह सारा मोम का कोटा फरीदा-बाद में क्यों अलाट किया गया है? मैं मिनिस्टर साहब से यह भी जानना चाहता हूँ कि जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको कोटा देने की क्या कन्डीशनज है? क्या दे हात में भी इस कोटे को देने पर विचार किया जायेगा?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरे मित ने सारे सवाल का जवाब पढ़ा नहीं क्योंकि वे देर से आये । इन्होंने देहातों को कोटा देने के बारे में कही है । मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात देहातों के नौजवानों की बेकारी दूर करने के लिए पढ़े-लिखे नौजवानों की और विभिन्न वर्गों के लोगों की कम्पनिया बना कर कोटा दिया जायेगा ताकि वे अपने उद्योग लगा सकें । गांव में जरूर कोटा दिया जायेगा ।

चौधरी संत कंवर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने 161 फर्मों को कोटा दिया है । 'इसमें से कोई भी फर्म किसी गांव या देहात के बेरोजगार आदमी की नहीं है । सारे पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट्स को कोटा दिया गया है । '1 2 स्कूलोंको कोटा दिया गया जिसमें 9 स्कूल अकेले जीन्द के हैं । तो क्या यह देहात और शहर वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? जीन्द के स्कूलों और पूंजीपतियों को क्यों कोटा दिया गया? दूसरे स्कूलों को क्यों नहीं दिया गया?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सदन में निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे से पहली सरकार अपनी मर्जी से कोटा दिया करती थी । हमारी सरकार ने एक सिद्धांत बनाया है । पहले पूरे कोटे का 77 परसेन्ट बड़े लोगों को जाता था । केवल 12 लोग इस कोटे को ले जाते थे । इस बार जहां हमने 52 बड़ों को दिया है वहां 101 छोटों को भी दिया है । रही बात गांव की, वहां अभी कम्पनियां रजिस्टर हो रही हैं । हमारे डी 0 आई 0 ओज0 के पास अन्डर प्रोसेस में हैं । यहां से जब रिकमैन्डेशन आयेगी तो कोटा अलाट कर दिया जायेगा । सरकार की नीति भी मैंने बताया है कि गांव को कोट) जरूर देंगे ।

श्री मूल चन्द जैन : मोम का जो सरकार कोटा देती है उसकी कीमत में और मार्किट की कीमत में बहुत अन्तर है । सरकार जो कोटा देती है वह बहुत सस्ता देती है । दोनों में कितना फर्क है? (विधन) चूकि मुझे तो पता ही है कि कितना फर्क है इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने या मंत्री जी ने क्या अपनी मर्जी से अपने लोगों को कोटा दिया है? (विधन) —इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ (विधन)

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब., आप देख लीजिए ये मिनिस्टर पर डायरैक्ट ऐलीगेशन लगा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल कीजिए ।

श्री मूल चन्द जैन : आप नाराज क्यों हो रहे हैं? स्पीकर सहिब., मैं तो हैरान हूं । मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि इन्होंने जिन इन्डस्ट्रीज के नाम बताये हैं बीस, तीस, पचास के उनमें से करन्ट ईयर में किसी एक इन्डस्ट्री को भी वैक्स का कोटा दिया है?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, सवाल ही कन्फ्यूज कर गये । पहले कुछ कह गये और बाद में कुछ और ही कह गये ।

श्री मूल चन्द जैन : कन्फ्यूज्ड कहां किया है? साफ तो सवाल है ।

डाक्टर मंगल सैन : यह कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है ।....

श्री मूल चन्द जैन : मेरा क्वेश्चन तो स्पष्ट है कि एक तो जो वैक्स आप कोटे से इंडस्ट्रियलिस्ट्स को दे रहे हैं, क्या उसके और बाजार के भाव में अन्तर है? मेरे कहने का मतलब यह है कि मोम का भाव जिस भाव पर आप देते हो वह बाजार के भाव के मुकाबले से कम है, क्या यह ठीक है? एक दूसरी बात मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि क्योंकि यह फर्क बहुत ज्यादा है इस लिये यह कोटा उन में से किसी ऐसे यूनिट को नहीं दिया गया जोकि

देहात के पढ़े लिखे नौजवान ने लगाया हो, क्या यह बात दुरुस्त है?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य महोदय ने दो सप्लाइमेंट्री सवाल किये हैं एक तो यह कि क्या बाजार के और हमारे कोटे के भाव में अन्तर है? भाव में अन्तर है और बहुत ज्यादा अन्तर है । दूसरे उन्होंने यह कहा कि गांव में जो इंडस्ट्रीज लगी हैं, उनझे नहीं दिया गया । मैंने श्री संत कंवर जी के सवाल के जवाब में यह कहा कि ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स की ऐप्लीकेशनज प्रोसैस हो रही हैं । जब डी 0 आई0 ओ0 उनको रिकमैड कर देगा तो उनको जरूर कोटा दिया जायेगा । लेकिन वह अभी तक वहां से रिकमैड होकर आयी नहीं है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, मैं वजीर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि आपने कोटा लेने के लिए क्या-क्या कंडीशनज रखी हुई है? दूसरा सवाल यह है कि जहां पर आपने कोटा अलाट किया है, क्या वहां पर इंडस्ट्रीज वाकई चल रही हैं या वे मोम का कोटा लेकर बाजार में बेच रहे हैं?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब जितनों को भी अब तक हमने कोटा दिया है, उन लोगों ने 31- 12-1975 और 31- 12- 1976 को बेकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं । किसी नये को कोटा नहीं दिया गया है । पोहलू साहब ने जो यह

बात कही कि वहां पर इंडस्ट्रीज होती ही नहीं, स्पीकर साहब, यह सरासर गलत बात है ।

चौधरी उदय सिंह : दलाल स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने अगर किसी आदमी को लूट की इजाजत दे रखी थी तो क्या यह सरकार उस लूट को बन्द करेगी? इसी सवाल का सैकण्ड पार्ट यह है कि जो मोम का कोटा है, क्या इसकी तहकीकात की जायेगी कि वह कहीं ब्लैक में तो नहीं विक जाता क्योंकि मुझे पता है आप तहकीकात करा लो, सिवाय एक दो को छोड़कर, बाकी हरेक आदमी ब्लैक में बेचता है ।

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, हमारी सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है । हमने सत्ता में, आफिस में आने के बाद, हर प्लान्ट की, हर इंडस्ट्री की असैसमेंट करवायी है और हर इंडस्ट्री को उन असैसमेंट के अनुसार ही कोटा दिया है । जहां तक लूट की बात का ताल्लुक है पिछली सरकार केटाईम पर लूट थी, लेकिन अबलूट की इजाजत हरगिज— नहीं दी जायेगी?

श्री हीरा नन्द आर्य : यह जो कोटा दिया गया है, यह कांग्रेस शासन के दौरान पूंजीपतियों कोही दिया गयाथा । क्या यह कोटा इस बार भी उन्हीं फर्मोंको नहींदिया गया?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) : स्पीकर साहब, हमारी सरकार की नीति जो है, वह पहले ही इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब ने

बता दी है । यह कोटा अब तक सारी 12 फर्मों को जो कि कुल कोटे का 70 प्रतिशत बनता है, मिलता था । लेकिन अब यह 181 फर्मों की लिस्ट आपके सामने है जिन्हें यह दिया गया है । बाकी जो हमारी रुरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्कीम है. उस स्कीम के तहत देहातों में यूनिट तैयार हो रहे हैं । जब वह यूनिट तैयार हो जायेगे तो इन यूनिटों को ही यह कोटा दिया जायेगा 'और देहातों में ही दिया जायेगा । इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि जहां पहले केवल 12 फर्मों को मोम का कोटा दिया जाता था, वहां अब 161 फर्मों को यह कोटा दिया जाता है जिसकी लिस्ट आपके सामने है । बाकी कोटा रिकर्वड है । ज्यों-ज्यों वह इंडस्ट्रियल यूनिट्स देहातों में तैयार होते जायेंगे, उनको कोटा डिस्ट्रिब्यूट किया जायेगा ।

कामरेड शंकर लाल : क्या मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि इसमें से किसी हरिजन भाई को भी देहात में कोटा दिया गया है?

श्री अध्यक्ष : इस बारे में उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया है ।

श्री मेहर सिंह राठी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो आजकल इंडस्ट्री वालों को मोम का कोटा मिल रहा है, उससे जो वह माल तैयार करते हैं, क्या उसको कन्कयूमर्ज को जायज भाव पर दिलाने केलिये कन्जयूमर्ज स्टोर्ज के जरिये से

बेचने का प्रबन्ध करेगा ताकि कन्जयूमर्ज को उससे ज्यादा भाव न देना पड़े और वह अपनी मनमानी— न कर सकें?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, मैम्बर साहब की बात पर जरूर विचार करेंगे । जहां तक शंकर लाल (ही के सवाल का सम्बन्ध है, उन्होंने यह पूछा था कि क्या हरिजन को भी किसी को यह कोटा अलाट किया गया है, उसके बारे में मैं यह बता दू कि हमारी सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि यदि कोई अन्धा है, याकि—से । औरत का पति युद्ध के दौरान मारा गया हो यानी वार—विडो हो, और जो ऐजुकेशनल इन्स्टीच्यूशन्ज हैं, उनको जरूर यह कोटा दिया जायेगा ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो 18 1 फमें बताई हैं, कि इन—इन फर्मों, को मोम का कोटा अलाट किया गया है, इनमें से कितनी फमें हरिजनों की हैं?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये ।

चौधरी संत कंवर : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपने यह जो 1 61 फर्मों को कोटा अलाट किया है, इनमे से कोईऐसा आदमी भी है जोकि ब्लाइन्ड हो या वार—विडो हो या जो क्राइटेरिया आपने निर्धारित किया है, उसकी वजह से उसे यह कोटा अलाट किया गया हो? डाक्टर साहब ने साथ ही

यह भी कहा था कि देहाती यूनिट्स की ऐप्लीकेशनज की प्रोसैसिंग चल रही है । लेकिन मै डाक्टर साहब के नोटिस ने यह बात लाना चाहता हूं कि मोम का कोटा लेने के लिये देहातों के यूनिट्स ने एप्लाइ किया था, मगर उन्हे कोटा नहीं दिया गया?

डाक्टर मंगल सैन : एक तो स्पीकर साहब इन्होंने यह पूछा है कि देहातों के यूनिट्स ने एप्लाइ कियी है, और उन्हे मोम का कोटा नहीं 'दिया गया । अगर ऐसी बात नोटिस में लायेंगे तो मैं आपके द्वारा हाउस को यह यकीन दिलाता हूं कि उस आदमी के खिलाफ ऐक्शन लूंगा जिसने उसे कोटा नहीं दिया है ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, मेरे पूर सवाल का जवाब नहीं आया । मेरा सवाल यह बाकी रह गया है कि क्या कोई ऐसा आदमी भी है जिसके । ब्लाइन्ड या बार-विडो या जो क्राइ- टेरिया आपने निर्धारित किया है, उस वजह से कोटा दिया गया हो?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, प्रिवीयस सरकार की ऐसी नीति नहीं थी । यह नीति तो हमने इसी साल ऐसे लोगों को कोटा देने की बनाई है ।

श्री मूल चन्द मंगला : स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन 1 2 फर्मों को पिछली कांग्रेस सरकार ने कोटा दिया था, क्या उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया

गया है या उनका जो कोटा था, वह कैंसिल किया गया है या नहीं?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, जैसे कि मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि पिछली सरकार के समय 70 प्रतिशत कोटा 1 2 फर्मों को दिया जाता था । दुरुपयोग की बात उन्होंने उस समय नहीं पूछी थी । फिर भी मैं उनकी जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूँ कि हमने अब उनकी दुबारा असैसमेंट कराकर, उनकी परसैटेज बहुत कम कर दी है ।

चौधरी हुक्म सिंह : स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि आपने जिन 161 फर्मों को यह मोम का कोटा दिया है, क्या उन्हें कोटा देने के बाद उनकी चौकिंग भी की है या कि वे कोटे का ठीक तोर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं और जो माल वहां पर बना रहे हैं, कहीं वे उसको मनमर्जी के भाव से तो बेच नहीं रहे हु?

डाक्टर मंगल सैन : जहां तक वहां पर बने माल के' ? बेचने का प्रश्न है, मैंने पहले बताया है कि अभी ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है । मैंने चौधरी मेहर सिंह जी राठी के प्रश्न के उत्तर में यह कहा एं कि विचार किया जा सकता है कि कन्जयूमर्ज को वह माल को आप्रेटिव कन्जयूमर्ज स्टोर्ज के द्वारा या— किसी बौर जरिये से सही भाव पर पहुंचाया जाये । मैं उन्हें फिर यह बताना चाहता हूँ

कि इस बारे में जरूर विचार किया जायेगा । अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है ।

चौधरी खुरशीद अहमद : स्पीकर साहब., मिनिस्टर महोदय ने यह फरमाया कि 12 फर्मों को 70 या 77 प्रतिशत कोटा मोम का दिया जाता रहा है । मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि फरीदाबाद में उन 12 फर्मों में से कितनी फो है तथा क्या उनमें कोई होल-सेलर फर्म भी थी, अगर थी तो उसका कितना कोटा था और दूसरो फर्मों का कोटा कितना-कितना था?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या मिनिस्टर महोदय यह बताने की कृपा करेंगे जो देहातों में एजुकेटिड अनएम्पलायड को ऐम्प्लायमेंट देने के लिये जो स्कीम चालू की है, उसके अन्तर्गत जो प्रोजैक्ट्स डी0 आई 0ओ0 या स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से लगाये जा रहे हैं, उनमें कोई ऐसा प्रोजैक्ट भी शामिल है, जिसमें मोम के कोटे की जरूरत पडती हो? मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा भी कोई यूनिट देहात में खोला जा रहा है जो मोम का कोटा लेगा और तभी वह इंडस्ट्री चलेगी?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

10.00 बजे

श्री मूल चन्द जैन : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो देहात में ऐजुकेटिड ऐम्पलायमैटं की स्कीम सरकार ने भेजी है उस स्कीम में कोई मोम की इंडस्ट्री भी शामिल है और क्या उनको मोम का कोटा देने की कोई स्कीम है?

डाक्टर मंगल सैन : कई हैं, और प्रोसैस हो रही हैं ।

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि जनता पार्टी के कई वरिष्ठ विधायकों के बयान अखबारों में छपे थे कि वैक्स सकैन्डल हुआ है और यह जनता पार्टी के घटकों को दिया गया है तथा यह खास रियायतसे दिया गया है?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, इस फोरम का मेरे लायक दोस्त मिसयूज करना चाहते हैं । अगर वह ब्यान छपा था तो वह भी गल था और अब जो आप कह रहे हैं वह भी गलत है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कोटा देने की क्या कंडीशंज हैं और यूनिटस की क्या डेफिनिशन बनाई गई है?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, मोम इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, उनकी असैसमैटं कर ली जाती है कि कितनी उनकी आवश्यकता है और उसके अनुसार मोम दिया जाता है ।

श्री दीप चन्द भाटिया : क्या मन्त्री महोदय के नोटिस में फरीदाबाद की एक फर्म तारा चन्द सलूजा एंड संक का मामला है जिसने इस वैक्स के अन्दर करोड़ों रुपये बनाए हैं । उनका एक पेट्रोल पम्प भी है जो उन्होंने सड़क के पर लगाया हुआ है और उन्होंने बंसी लाल और शारदा को खरीद रखा था और अब भी यही कहता है कि मैंने अब के चीफ मिनिस्टर और कई एम0एलएज 0 को खरीदा हुआ है । मैंने यह बात चीफ मिनिस्टर और डाक्टर मंगल सेन के नोटिस में लाई थी । मेरी मन्त्री महोदय से रिक्वेस्ट है कि एक तो उस फर्म की इंकवारी की जाए और जो पेट्रोल पम्प गलत जगह पर लगा हुआ है उसको सही जगह पर लगाया जाए ।

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमेन्टरी पूछने का टाईम है, स्पीच का टाईम नहीं है ।

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त के दिमाग में बहुत सी बातें होती हैं और अचानक इकट्टी निकल पड़ती हैं । पेट्रोल पम्प की कहानी अलग है । इन्होंने जो कहा कि बंसीलाल और शारदा को उसफर्म ने खरीद रखा था, मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि मुख्य मन्त्री को या हमे कोई नोटों के बन्डल से नहीं खरीद सकता है और साथ ही यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मिसयूज करेगा उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा ।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, हाउस में सदस्यों को यह तो पता चल गया होगा कि हमारी सरकार कोटा परमिट के खिलाफ है । यहां पर बताया गया है कि सरकार का सेल पर कोई कन्ट्रोल नहीं है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का सेल पर कन्ट्रोल करने का कोई विचार है जिससे लाखों की जो ब्लैक होती है वह खत्म हो जाए?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, राठी साहब के सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि सरकार इस पर जरूर विचार करेगी ।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि कोटा परमिट का सिस्टम पिछलो सरकार ने चलाया था और उससे भ्रष्टाचार बढ़ा था और कोटा परमिट जो दिये जाते हैं वह दोस्तों को ही दिए जाते हैं, दुश्मनों को नहीं दिए जाते । क्या मन्त्री महोदय उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये जिससे कोटा परमिट का सिस्टम खत्म हो जाए, कोई रास्ता निकालने पर विचार करेंगे?

डाक्टर मंगल सैन : मेरे लायक दोस्त और माननीय सदस्य ने कहा है कि कोटा परमिट अपनों को ही दिया जाता है । स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने ठीक फरमाया है कि अपनों को ही निहाल किया जाता है । स्पीकर साहब, हमारा कोटा परमिट सिस्टम को खत्म करने की नियत का अन्दाजा तो इस बात से

लगाया जा सकता है कि हमने 12 फर्मों की बजाए 182 फर्मों को मोम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और भविष्य में यह तय कर रहे हैं कि जितने बड़े आदमी हैं वे कलकत्ता की एक फर्म मैसर्स बालमेर लौरिन्स कम्पनी लि० जो है उनसे ग्यारह रुपए पर के 0जी 0 के हिसाब से लेकर आए ।

चौधरी गया लाल : स्पीकर साहब, हरियाणा में हरिजनों का पेशा दस्तकारी है और उनका निर्वाह भी दस्तकारी पर है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन 162 फर्म को यह मोम का कोटा दिया गया है उनमें हरिजनों के लिये क्या कोई कोटा रिजर्व रखा गया था?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, यह सरकार आज भी हरिजनों को जरूर कोटा देगी ।

चौधरी खुरशीद अहमद : स्पीकर साहब, अभी भाटिया जी ने बताया कि फरीदाबाद में एकरू फर्म है जिसने वैक्स की डीलिंग में करोड़ों रुपए का गडबड किया । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस फर्म के खिलाफ कोई शिकायत पैंडिंग पड़ी है और अगर यह सच है तो क्या मिनिस्टर साहब अगला पिछला हिसाब देखकर उस फर्म की इंक्वायरी करेंगे?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, मैं हाउस को इस मामले में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैसर्स तारा चन्द सलूजा एंड संज भारत पेट्रोल लि० द्वारा डीलर अप्वाएंटीड हैं जो गवर्नमेंट

आफ इंडिया की ओर से हैं और राज्य सरकार के अन्दर नहीं हैं । मेरे लायक दोस्त **चौधरी** खुरशीद अहमद पुराने पार्लियामैंटेरियन हैं । मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई इंकवायरी पैन्डिंग है, किसी ने शिकायत कर दी हो, तो अगला पिछला हिसाब चुकता कर देंगे । मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसी भ्रष्टाचारी फर्मों के खिलाफ हम अवश्य इंकवायरी करेंगे ।

मास्टर जोगी राम : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो 182 फर्मों को मोम का कोटा दिया गया है उनमें कितने हरिजन थे?

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बरज ने कई दफा इस सवाल को उठाया है । मैंने पहले भी बताया है कि सरकार यह चाहती है कि चार मुखतलिफ कोमो । के लोग जिनमें एक हरिजन, एक बैकवर्ड, एक किसान और एक व्यापारी हो, इस किस्म की कर्म बना ले । अब तक हरियाणा में 56 ऐसी फर्म बन चुका हैं । ऐसी जितनी भी फर्म बनेंगी उन सब को कोटा दिया जाएगा । मैं देहात के अन्दर खासतौर पर हरिजन भाईयों को कहता हूं कि ऐसी फर्म बनाओ और कोटा देने की जिम्मेदारी सरकार लेती है ।

चौधरी संत कंवर : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आगे जो कोटा दिया जाएगा वह शहर और देहात की

जनसंख्या की रेशो यानी बीस और अस्सी के हिसाब से दिया जाएगा?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त ने रेशो की बाबत पूछा है कि वह कैसे होगी । स्पीकर साहब, हमने इसके लिये नीति निर्धारित की हे और इस वर्ष का कोट। जो 31 मार्च से पहले देना है वह भी नहीं दिया है । जैसा कि मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया है कि अगर किसान, हरिजन, बैकवर्ड और व्यापारी फर्म बनाएं और देहात में इंडस्ट्री लगाएं तो उनको कोटा दिया जाएगा ।

**Works started in anticipation of Government
Approval**

***308. Shri Devendar Sharma :** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state—

(a) whether any works (Buildings and Roads) were started in anticipation of receipt of Administrative Approval/Technical Sanction in the State during the years 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76 and 1976-77, if so, the number thereof separately; and

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above in which the technical sanction is yet to be granted ?

Irrigation & Power Minister (Shri Verendar Singh)

:

(a) & (b) : Yes. A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

Work started in anticipation of administrative approval/technical sanction Part (a)

Year	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77
1. Road works started in anticipation of Administrative approval	25	34	8	4	1	—	1
2. Road works started in anticipation of Technical sanction	417	793	124	22	15	16	34
3. Building works started in anticipation of Administrative approval	1	1	1	5	—	2	8
4. Building works started in anticipation of	20	16	22	31	29	27'	37

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय के नोटिस भे. है घग्गर रूल के लिये पहले ऐस्टीमेट्स न बनाने और सैक्शन लेने की वजह से 32 लाख की बजाये 44 लाख रुपये का खर्चा आया है जिससे कोई 12 लाख रुपये का नुकसान हुआ है? क्या आगे के लिये सरकार पहले ऐस्टीमेट्स सैक्शन करवाने, टेक्नीकल ऐप्रूवल लेने और ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल लेने का विचार रखती है ताकि आगे से कभी इतना नुकसान न उठाना पड़े?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो काम हुये उनकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल और टेक्नीकल ऐप्रूवल हो चुका है ।

श्री बलदेव तायल : क्या मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि जनता सरकार बनने के बाद जितने काम शुरू हुये उनकी सैक्शन पहले ली गयी या काम शुरू होने के बाद ली गई थी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यह सवाल तो मेन क्वेश्चन से सम्बन्धित नहीं है अगर आनरेबल मैम्बर इसके लिये अलग से नोटिस दें तो मैं बता दूंगा ।

Shri Bahlev Tayal : Mr. Chairman, I want to know whether the technical and administrative sanctions were taken prior to the starting of the works or after starting the works ?

Mr. Speaker : I think, he has given the answer.

Shri Verendar Singh : Is it required before or after the formation of the Janata Government ?

Shri Devendar Sharma : After the formation of the Janata Government.

Shri Verendar Singh : Sir, in the question the information sought is upto 1977 i.e. 1976-77. Now my hon. friend wants that I should give the information for 1977-78. For this I require a separate notice.

Karnal Cooperative Sugar Mills

***358. Chaudhri Shiv .Ram Verma,** Will the Minister for irrigation and power be pleased to state---

(a) the number of days for which the Karnal Cooperative Sugar mills functioned during the season of 1976-77 together with the average hours for which it functioned daily ;

(b) the total quantum of sugarcane crushed during the said season together with the total quantum of sugar produced alongwith the percentage of recovery made;

(c) the daily average hours for which it functioned during the first three months in the current season of 1977-78 together with the quantum of sugarcane crushed daily; and

(d) the total quantum of sugarcane crushed during the first three months of this season together with the sugar" produced along-with the percentage of recovery made ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar

Singh) :

(a) The Karnal Cooperative Sugar mills functioned for gross 122 days during the season 1976-77 with an average of 14.16 hours per day.

(b) The aforesaid mill crushed 7.64 lac quintals of sugarcane and produced 0.62 lac qtls. of sugar on an average recovery of 8.19% during last season.

(c) The Karnal Cooperative Sugar mills started its Coperations during current season 1977-78 with effect from 13-11-77 and functioned for 1529.57 hours on an average of 16.38 hours per day and crushed 12240 qtls. of sugarcane per day.

(d) The mill crushed 8.06 lac quintals of sugarcane during first three months of season 1977-78 and produced 0.53 lac qtls. of sugar with an average of 7.49%.

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में बताया। कि पिछले साल 7. 64 लाख क्विंटल गन्ना पीड़ा गया और उससे 0. 62 लाख क्विंटल चीनी निकली लेकिन इस साल पिछले साल से ज्यादा 8. 06 लाख टन गन्ना पीड़ा गया और उससे कोई लगभग 53 लाख क्विंटल चीनी निकली । तो इसके क्या कारण हैं जबकि पिछले साल गन्ना तो कम पीड़ा गया और चीनी ज्यादा निकली और इस साल गन्ना ज्यादा पीड़ा गया और चीनी कम निकली?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, रिकवरी की परसेन्टेज. बी और -ही में दी गई है आनरेबल मैम्बर उसका मुलाहका फरमाए ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस कम रिकवरी का यह कारण तो नहीं है कि जो मूढा गन्ना था वह तो शूगर मिलज में नहीं लिया और दूसरे फार्मज का जो नया बोया गन्ना था उसको ले लिया?

श्री वीरेन्द्र सिंह : ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी । वैसे परसों जैन साहब ने एक शिकायत मुझे की थी । उनकी शिकायत के पर मैंने जनरल मैनेजर के कमेंट्स मांगे हुये हैं ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि 27 फरवरी को एक काल अटैन्शन मोशन दिया गया था कि मिलों में कुछ लोगों को फेवर करने के लिये उनका तो 80 परसेन्ट गन्ना ले लिया जाता है और कईयों का 20 परसेन्ट भी नहीं लिया जाता?

श्री वीरेन्द्र सिंह : उस काल अटैन्शन नोटिस का जवाब इस सदन में दे दिया गया था ।

चौधरी शिवराम वर्मा : अध्यक्ष महोदय अभी मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में फरमाया कि इस साल मिल में प्रति दिन 1 6. 38 घण्टे चलने के बाद 12240 क्विंटल गन्ना पैला गया । मिल की कैपेसिटी 24 घण्टे चलने की है । क्या महोदय यह

बताएंगे कि अगर वह मिल 24 घण्टे चलता तो कितना गन्ना पिलता?

श्री वीरेन्द्र सिंह : आनरेबल मैम्बर खुद जर्ब देकर देख लें । 1250 टन डेली गन्ना पेलने की कैपेसिटी है ।

चौधरी हरिचन्द हुड्डा : स्पीकर साहब, मै मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आज जो किसान हर तरह से परेशान है और बेचौन है, क्या सरकार उनकी परेशानी और बेचौनी को जल्द से जल्द दूर करने का विचार करेगी? (हंसी)

चौधरी देस राज : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि करनाल शूगर मिल कब से काम करना शुरू कर देगी और उसकी क्रशिंग कैपेसिटी कितनी होगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, उस मिल की 30 जून तक चालू होने की संभावना है ।

डाक्टर बृज मोहन गुप्ता : स्पीकर साहब, मै मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हू कि रिकवरी का स्टैन्डर्ड जो लैबोरेटरी में टैस्ट किया जाता है उसमें हेराफेरी होती है । वहां पर जो लैबोरेटरी टेक्नीशियन्ज बैठे हुये है, वे फर्जी रिपोर्ट दे देते हैं । ऐसे कई केसिज मेरे नोटिस मे आये है जिनसे किसानोंको नुकसान होताहै । क्या यह सरकार के नोटिस मे है और क्या सरकार वहां पर कोई ऐक्सपर्ट बिठाने का भी प्रबन्ध करेगी ताकि सही रिपोर्ट की भी आशा की जा सके?

श्री वीरेन्द्र सिंह : आनरेबल मैम्बर साहेबान का सुझाव अच्छा है, इस पर गौर किया जायगा ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब के लिखित जवाब से पता लगता है कि जिस साल गन्ना कम पे ला गया उस साल तो वसूली की दर 8. 19 परसैन्ट हुए और जिस साल गन्ना ज्यादा पेला गया उस साल की वसूली की दर 7. 49 परसैन्ट है । तो क्या मिनिस्टर साहब बताएमें कि इस कम वसूली के क्या कारण हैं? क्या मिनिस्टर साहब इसकी तफसील में जाने हुए इसकी वजह बयान करेंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैम्बर साहब के प्रश्न पर पूरी तरह से गौर किया जायेगा ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, ऐमरजैन्सी के दिनों में सारी शूगर मिलज में गलत मशीनरी खरीदी गई थी । ऐसी कई बातें हमारे नोटिस में हैं जिसके कारण से सरकार को व किसानों को भी तकलीफें होती रहीं और नुकसान भी हु ग और इसी कारण मिलें भी घाटे में जाती रहीं । क्या सरकार इस सारे मामले की जाँच करवाने का विचार करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, कुछ मिलों की जांच हुई है । केसिज रजिस्टर्ड करवा दिये गये हैं और अभी भी जांच चालू है ।

कांवर राम पाल सिंह : अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि ऐसी शिकायतें उन्हें मंत्री हैं कि मिल वालों ने कुछ लोगों को अपना समझ कर ज्यादा पर्चियां इशु कर दीं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा रूल नहीं कि जितना गन्ना बाउड किया जाए उतनी पर्चियां इशु की जाएं? अगर कोई ऐसा नहीं करता तो क्या उसके खिलाफ एक्शन लेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जिन लोगों को जितनी पर्चियां इशु की जाती हैं उनसे उतना ही गन्ना लिया जाता है । मैंने डी0सी 0 करनाल से कमैट्स मांगे हैं और अगर वह किसी भी अफसर के खिलाफ अपने कमैट्स देगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ।

चौधरी हर स्वरूप बूरा : मन्त्री महोदय ने अभी फरमाया कि मिल 30 जून तक चलेगा । जो गन्ना बाउड किया हुआ है अगर वह सारा 30 जून तक न लिया गया! तो क्या मिल चलने का टाइम आगे ऐक्सटैंड किया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : उसके बाद बरसात आ जाती है । बरसात में मिल नहीं चलता लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जितना गन्ना बाउड किया गया है वह सारा जून तक लेने की कोशिश की जाएगी ।

श्री जय नारायण : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जिला रोहतक में जो शूगर मिल है उसमें किसानों ने जो बांड भरे हुये

हैं उसमे से 40 परसैन्ट की कटौती की जा रही है? क्या इसके लिये कोई इंतजाम करेंगे?

श्री अध्यक्ष : यह तो करनाल शूगर मिल का सवाल है ।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, सरकार ने मेहरबानी करके जमुना नगर मिल से किसानों को साढ़े तेरह रुपये का गन्ने का भाव फिर दिलाया है । जो प्राइवेट सलफर बनाने वाले हैं या क्रेशर लगे हुए हैं वे तीन रु० के हिसाब से गन्ना ले रहे हैं । क्या सरकार वहां भी कोई इंतजाम करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैंने आज से 3-4 दिन पहले भी सदन में बताया था कि जो खांडसारी यूनिट्स हैं या क्रैशर हैं उनके नुमायंदों की और फार्मर्ज के नुमायंदों की 7-2 को मिटिंग बुलाई थी और दोनों एसोसिएशन्ज के नुमायंदों ने बैठ कर शूगर केन का भाव 8 रु 0 तय किया था । उसका नोटिफिकेशन सरकार की ओर से हो चुका है और उसे सरकार एनफोर्स करेगी । यदि कोई स्पैसिपिक शिकायत सरकार के नोटिस में लाई जाएगी तो ऐक्शन लेंगे ।

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब, आम शिकायत है कि गन्ने की पर्चियां में रियायत होती है । क्या मन्त्री महोदय गन्ना मिल में एक डुप्लीकेट रजिस्टर रखेंगे जिससे गन्ना देने वालों को पता लग सके कि किसी के साथ ज्यादाती तो नहीं हुई?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह बहुत अच्छा सजैशन है इस पर गौर किया जाएगा ।

चौधरी संत कवर : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस मामले में कोई बात की है कि पंजाब की बजाए हरियाणा की चीनी की बोरी सस्ती ली जा रही है? अगर कोई बातचीत की है तो वह किस स्तर पर है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह बात हाइएस्ट लैवल पर की गई है ।

डाक्टर बृज मोहन गुप्ता : मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में चार कोआप्रेटिव शूगर मिलज हैं और चारों में घाटा है लेकिन जो एक प्राइवेट मिल है उसमें मुनाफा है । क्या सरकार इसकी जांच करेगी कि प्राइवेट मिल में मुनाफा क्यों है और दूसरे मिलों में घाटा क्यों है? इस साल भी पांच करोड़ का घाटा है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस साल तो मेरा ख्याल है कि जमुनानगर मिल में भी घाटा रहेगा क्योंकि शूगर की प्राइसिज में बड़ी फलकचुएशन आई है । बाकी पिछले सालों के बारे में अगर कोई शिकायत आएगी तो उस पर गौर किया जा सकता है ।

कामरेड शंकर लाल : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जब चीनी एक बोरी में आती है तो राशन कार्ड की चीनी का भाव और दूसरी खुली चीनी का भाव और क्यों है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह पूछने के लिये आप पार्लियामेंट में जाइये ।

श्री देवी लाल : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सोनीपत शूगर मिल में यह फैसला लिया है कि अगर कोई गेट पर गन्ना लाता है तो उसकी 10 परसेन्ट कट लगेगी और अगर कोई कांटे पर गन्ना देता है तो उसकी 45 परसेन्ट कट लगेगी जबकि मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जितना गन्ना बाउड किया गया है उतना लेंगे । वहां पर जो 25 कांटे हैं उनमें से 1 बन्द होने की संभावना है जिनमें मेरे हल्के के भी 3 कांटे बन्द किये जा रहे हैं । तो क्या इसकी इन्क्वायरी की जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस बारे में श्रीमती शान्ति राठी भी मेरे नोटिस में लाई हैं और मैंने डी०सी० सोनीपत से इस बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, वैसे यह सवाल तो करनाल शूगर मिल के बारे में है लेकिन अब चूंकि दूसरी बातें भी पूछी जा रही हैं इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट में जो 4-5 शूगर मिलें हैं क्या वे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक गन्ना पेल रही हैं? मैं खास तौर पर सरस्वती शूगर मिल के बारे में जानना चाहता हूं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : हमारी जो कोआप्रेटिव सैक्टर की शूगर मिलें हैं वे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक गन्ना पेलती रहीं हैं

। जमुनानगर शूगर मिल के बारे में इस समय कुछ नहीं कह सकता ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि कोई मिल जब बनता है तो उसके शेयर सारे इलाके को दिये जाते हैं लेकिन जब गन्ने का सवाल आता है तो उनसे पूरा गन्ना नहीं लिया जाता । जैसे मिसाल के तौर पर हमारे गांव के हिस्से रोहतक मिल में भी हैं और सोनीपत मिल में भी हैं लेकिन गन्ना लेने का कोई प्रबन्ध नहीं है । अगर ऐसेही करना है तो हमारे हिस्से वापिस कर दें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यह नीति का सवाल है इस पर तो सारी सरकार ही फैसला कर सकती है ।

कंवर राम पाल सिंह : मन्त्री जी ने अभी कहा कि बाउडिड गन्ना सारा उठाया जाएगा लेकिन देखने में यह आया हैकि अगर किसान बाउडिड गन्ना पूरा नहीं देता है तो उस पर पैनल्टी लगाई जाती है लेकिन अगर मिल पूरा गन्ना न ले तो क्या किसान को कम्पनसेट किया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस समय ऐसी कोई बात विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमती शान्ति देवी : मैंने कल मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाया था कि 45 परसेन्ट गन्ने की कट की जा रही है । जब बोर्ड में यह डिस्सीजन हो गया था कि कट नहीं लगेगी तो

मैनेजिंग डायरेक्टर की यह कैसे हिम्मत हो गई कि कट लगाये । आप इस बारे में आश्वासन दे भी चुके हैं कि जितना गन्ना लिखा है वह पूरा लेंगे लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजिंग डायरेक्टर की हिम्मत कैसे हो गई? दूसरी बात यह कि सोनीपत शू गर मिल में धाधले बाजी बहुत है और अगर उसका स्पेशल आडिट किया जाए तो पता चलेगा किसानों के साथ कितनी खिलवाड़ हुई है । किसी के तो 4-5 किल्ले गन्ने के निकल चुके हैं और किसी गरीब किसान का जिसके पास एक दो बीघा खेत है वैसे ही गन्ना खड़ा है । तो क्या इस धांधलेबाजी का स्पेशल आडिट करवाया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, हर मिल का हर साल आडिट होता है । मैं देवी दास जी के सकल के उत्तर में पहले ही बता चुका हूँ कि श्रीमती शान्ति राठी कल यह बात मेरे नोटिस में लाई थी और मैंने डी०सी० से उसकी डिटेल्ज मांग ली है । डी०सी० की रिपोर्ट के मुताबिक सूटेबल ऐक्शन लिया जाएगा ।

श्री ओम प्रकाश : मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर गुड़ का भाव ज्यादा होता है तो जमींदार को कहा जाता है कि गन्ना जरूर देना पड़ेगा । इस के उल्टे क्या सरकार भी किसान का गन्ना जरूर लेगी

Mr. Speaker : The question hour is over please.

नियम 45 के अधीन सदनकी मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Sinking of Deep Tubewells

***405. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether Government has received complaints that as a result of sinking of deep tubewells by the Government for the Augmentation canal and otherwise, the level of water has gone down in the areas in Karnal district affecting drinking water supplies, ponds and private tubewells adversely; if so the names of such villages and the steps taken or proposed to be taken to compensate the affected villages and their residents;

(b) whether farmers of nearby area are entitled to take water from these tubewells; if so, whether the Government has constructed channels to carry the water to their fields; and

(c) whether the Government received complaints or otherwise it is within the notice of the Government that due to non-availability of carrier, channels, few farmers take advantage of such tube wells; if so, the steps which the Government proposes to take to provide such channels ?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) आवर्धन नहर के लिये सरकार द्वारा गहरे नलकूप खोदने के परिणाम-स्वरूप भूमि के नीचे का जल-स्तर कम हो जाँने के सब' ब में करनाल जिला के वियना तथा नगला रेहान

गांवों में शिकायतें प्राप्त हुई थीं । आवर्धन नलकूपों से उन्हें जल सप्लाई करने के संबंध में हिदायतें जारी कर दी गई हैं ।

(ख) इससे प्रभावित गांवों को समीप के आवर्धन नलकूपों से जल प्राप्त करने की अनुमति दी हुई है । उनके खेतों में जल ले जाने के लिये व्यवस्था करने संबंधी कोई ऐसी मांग नहीं है । ऐसा प्रायः ग्रामवासियों द्वारा स्वयं ही कर लिया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

Land Irrigated by Jui Canal

***440. Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the area of land irrigated during the year 1976 and 1977, separately, by the Jui Canal beyond No. 6 out of the area commanded by it; and

(b) the quantum of water which remained surplus in the months of October, November and December, 1977, separately?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) जूई नहर द्वारा पम्प हाउस नं. 6 के नीचे वर्ष 1976-77 और 1977-78 (2-3-78 तक) क्रमशः 1749 हैक्टर और 1609 हैक्टर भूमि को सिंचित किया गया था ।

(ख) कोई नहीं ।

The rate of water for the Lift Canals

***481. Shri Tek Ram :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the rate of water being charged for the lift canals i.e. Jui, Loharu etc. is the same as that the Yamuna Canals from the producers of sugarcane; and

(b) whether it is also a fact that water from the Yamuna Canal and the Lift Irrigation Schemes as stated in part (a) above is supplied at a different ratio; if so, the reasons thereof ?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) हां

(ख) हां, इस का कारण यह है कि उठान सिंचाई स्कीम के अन्तर्गत जो क्षेत्र है, वह इलाका रेतला है और जलवायु अनुकूल नहीं है । यहां अवशोषण तथा वाष्पन की हानि बहुत होती है ।

Embezzlement in Sugar

***464. Lala Balwant Rai Tayal :** Will the Minister for Home be pleased to state whether any case in respect of embezzlement in sugar was registered in Police Station, Jind during February, March, 1975; if so, the action taken thereon togetherwith the number of accused involved therein ?

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) : फरवरी व मार्च 1975 में थाना जींद में चीनी के गबन से सम्बन्धित कोई मुकद्दमा नहीं दर्ज हुआ था ।

Allotment of residential plot at Panchkula

***471. Chaudhri Bhagimal :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether it is a fact that initially, the Estate Officer, Panchkula had invited applications before 31-3-1972 from the intending purchasers for allotment of residential plots of 10 marlas, 14 marlas, one kanal and two kanals in sector 6 and 7 at Panchkula on the terms and conditions laid down by him.

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative the terms and conditions thereof; and

(c) whether any of the conditions have been violated by the Government for the allotment; if so, the detailed reasons therefor ?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) :

(a) Applications were invited by Govt. and terms and conditions were also laid down by the Govt.

(b) A copy of the terms and conditions of allotment are laid on the table of the House.

(c) No.

Terms and conditions of allotment of Residential

Sites in Sector 6 and 7 at Panchkula

(i) Allotment of residential sites will be made on free-hold basis at tentative rate of Rs. 33/- per square yard for the following categories of plots in Sector 6 & 7 of the Urban Estate at Panchkula :-

250 Square Yards.	10 Marla.
350 Square Yards.	14 Marla.
500 Square Yards.	1 Kanal.
1000 Square Yards.	2 Kanals.

(ii) for preferential plots. Surcharge of 10% on the total tentative sale price will be payable.

2. (i) The intending purchaser (s) shall make an application for allotment on the prescribed form. No application shall be valid unless it is accompanied by earnest money, as given below which is equivalent to 10 % of the tentative sale price or the full payment of sale price as the case may be of the site in the form of a Demand Draft payable to the Estate Officer, Panchkula and drawn on any Scheduled Bank situated at Chandigarh.

Size of site	An amount in Earnest money
	case of those in case of
	who make lump- those who
	make

	sum payment	payment in instalments
10 Marla (250 square yards)	Rs. 8,250/- 825/-	Rs.
14 Marla (350 square yards)	Rs. 11,550/-	Rs. 1,155/-
1 Kanal (500 square yards)	Rs. 16,500/-	Rs. 1,650/-
2 Kanals (1000 square yards)	Rs. 33,000/-	Rs. 3,300/-

(ii) Intimation of allotment will be given to the applicant(s) by a registered post.

(iii) The applicant shall unless he/she refuses to accept the allotment within 30 days from the date of issue of allotment letter, deposits with the Estate Officer, Panchkula in the manner mentioned in sub-para (i) above, within that period the remaining 15 % of the tentative sale price, or such other amount which together with the earnest money equals atleast 25 % of the tentative sale price (except those who have already made full payment of the tentative sale price) of the site. In case of failure to deposit the said amount the allotment shall be cancelled and the deposit of 10 % of earnest money, paid with the application forfeited against which the applicant shall have no claim for damages.

(iv) If the applicant refuses to accept the allotment within 20 days from the date of issue of allotment letter, he/she will be entitled to the refund of the amount paid by him/her alongwith the application. The refusal shall be

communicated to the Estate Officer, Panchkula, Kothi No. 81, Sector 18-A, Chandigarh through a registered letter acknowledgement due.

(v) The refund shall be made by means of Cheque payable at the State Bank of India at any place and the applicant shall have no claim in respect of the collection charges for the cheque.

(vi) In case of applicants who are not allotted any plot, they may take back the full amount/earnest money deposited by them as the case may be or get this money adjusted against any subsequent allotment.

(vii) Refund/adjustment will, however be made only on receipt of written request from the applicant in this behalf. No interest shall be payable on any money of the applicant held by or lying with Government.

3. The remaining unpaid amount i.e. 75% of the tentative sale price can be paid as under :-

Either in Lump-sum without interest within 60 days from the issue of allotment letter in the form of a Bank Demand Draft payable to the Estate Officer, Panchkula and drawn on any Scheduled Bank situated at Chandigarh.

Or in six equated annual instalments the first instalment being payable on the expiry of one year from the issue of allotment letter.

4. (i) In case of payment in instalments, each instalment will be recovered together with interest at the rate of 7% per annum. The interest shall accrue on unpaid amount

from the date of issue of allotment letter.

(ii) Each instalment shall be remitted to the Estate Officer, Panchkula in the manner specified in condition 3 and 4(i) above.

(iii) Every such remittance shall be accompanied by a letter showing full particulars of the site to which payment pertains giving reference to the number and date of the allotment letter. In the absence of these particulars the amount remitted shall not be deemed to have been received.

5. In case an instalment is not paid by the transferee by the 10th of the month following the month in which it falls due, a notice shall be served on the transferee calling from him/her to pay the instalment within a month together with a sum not exceeding such amount as may be levied by the Estate Officer as penalty. If the payment is not made within the said period or such extended period as may be determined by the Estate Officer, the Estate Officer may proceed to have the same recovered as an arrear of land revenue or to take action under Section 10 of the Punjab Urban Estates (Development & Regulation) Act, 1964. The notice may be served on an individual or group of individuals either personally or by displaying it on a prominent part of the building or site or by beat of drum.

6. Delivery of the possession of the site shall be given to the allottee after the payment of 25% of the tentative sale price and within 3 months of the issue of allotment letter.

7. After the payment of 25% of the tentative sale price, the trans-free shall execute Deed of Conveyance in the

prescribed form and shall bear and pay all expenses in respect of its execution and registration including the stamp duty and registration fee.

8. The transferee shall not use the site or the building erected there on for a purpose other than for which it has been allotted to him.

9. No fragmentation of any site shall be permitted.

10. The transferee shall complete the building within three years from the date of issue of allotment letter in accordance with the rules regulating the erection of buildings.

11. The Government shall have a first and paramount charge over the said site for the unpaid portion of the purchase price and the transferee shall have no right to transfer it by way of sale, gift mortgage or otherwise the site or any right, title, or interests therein (except by way of lease on monthly basis) till such time as the purchase price is paid to the Government and a building has been constructed on minimum of 10 % of the area of the site.

Committee on Economy & Resources

***200. Shri Shamsher Singh :** Will the Finance Minister be pleased to state—

(a) whether the Government has received the recommendations of the Gupta Committee on Economy & Resources ? If so, whether the Government proposed to take the Assembly into confidence on the contents of the report;

(b) if the reply to part (a) above is in the affirmative, the salient features of the report together with the extent to which the aforesaid report has been implemented so far by the Government; and

(c) the total expenditure incurred by the Government on the said Committee to-date ?

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) :

(a) Yes.

(b) The Committee submitted an interim report in August, 1977. The recommendations made in the report together with the action taken on the same by the Government are given at Annexure 'A'. The Committee thereafter submitted its report after the expiry of its term on 23-11-1977. This report is being examined by the Government and the various recommendations contained in this report are given at Annexure 'B'.

(c) A sum of Rs. 56,858.52 was spent on this Committee till its term expired on 23-11-1977.

ANNEXURE-A

Recommendations of the Resources and Economy
Committee's interim report and action taken thereon

Recommendations

Action taken
thereon

1. The special Guest Houses Ekant Bhawan,
Mussorie and Navrattan, Simla, be closed

Accepted by the
Government in
principle. Further

- down and these assets be disposed of. action is being taken to implement the recommendation.
2. Only two of the four Guest Houses/Rest Houses being maintained by the State Government at Chandigarh, should be retained and the other two should be closed down so that these premises may be put to some other use. Do
3. On account of very heavy maintenance cost, no new air-conditioners be installed in any Guest/Rest Houses. Existing ones should also be withdrawn in such a practical manner that the same could be used elsewhere. Do
4. The purchase of new jeeps should be stopped and also efforts be made to convert the existing good condition jeeps for being run on diesel. Do
5. On early morning and late evening a Delux Bus service be extended to run upto and from Haryana Bhawan Delhi and thereafter, the use of the staff car for the visit to Delhi be scrupulously curbed down. Do
6. A realistic modification be made in respect of the charges payable for the private use of an official car in the light of the all covering rate Do

charged by the taxi-owners and also vis-a-vis as fixed for the use of officer's private cars for the official purposes.

7. In view of its almost defunct positions during the last few years the Rural Development Board should be abolished.

The Rural Development Board has been reconstituted to make it more effective than hitherto.

8. The cost incurred on the capital side (developments) and also on all types of maintenance etc. of the tourist complexes in the State, should no more fall on the State funds through the budgets of the P.W.D. or other departments but should be shouldered by the owners viz. the Tourism Corporation, Ltd.

Accepted by the Govt. in principle: Further action is being taken to implement the recommendation.

B. Regarding the basic approach and management structure etc. of the various types of Public bodies. -

1. In order to ensure that the officers working in these Commercial/Industrial bodies must carry a deep sense of "belonging" to the institutions.

The Recommendations are under the consideration of the Government.

(a) an objective assessment for deciding the number of senior persons actually needed for

these bodies should be made forthwith.

(b) thereafter, maximum number of such senior posts should be filled by qualified and expert persons, directly recruited from the market and also by some officers of the State Government.

Do

(c) after deciding the number of I.A.S./ H.C.S./other officers to be spared should be deputed on these bodies.

The Recommendations are under the consideration of the Government.

2. In case where an Apex Body like HSIDC, may have some subsidy units as well, those should work as the units of the Apex Body.

Do

3. The Board of Directors of these bodies should be broad based by including atleast 1/3 number from amongst the share holders or competent independent persons. In any case, a nominee of the Finance Department should be there in ex-officio capacity.

Do

4. For the Chairmanship of these bodies the State Government should either spare three or four senior officers each to act as the whole time Chairman of 5-7 such bodies, in case only part time Chairman are not to be continued then not more than three or four bodies should be given to any one of them.

Do

5. The recently appointed High powered Committee should :-

- | | |
|--|--|
| (a) consider if the amalgamation of some of these bodies could be possible/ desirable. | Do |
| (b) prescribe the nature/circumstances/social benefits of the ventures justifying investment of State Funds and the extent to which further involvement thereof through guarantees etc. would be proper. | Do |
| (c) prescribe the basic approach/guidelines as to the fundamental aims, specific objects and also the social benefits to be achieved by each of these bodies. | Do |
| (d) formulate model operational systems/evaluations/costings/procedure and financial precautions and also model service conditions. | Do |
| (e) the extent in manner of the over all supervision by the State Government. | The Recommendations are under the consideration of the Government. |
| 6. For the development of the industrial units, the main function of the concerned public bodies (say HSIDC) should be on the promotional side, with full efforts and | Do |

maximum inducements.

7. The efforts should be made to adopt the appropriate technology for the maximum development of fresh industrial activities in the State. Do

ANNEXURE-B

Report of the Resources and Economy Committee
submitted on 23-11-77 and action taken thereon

Recommendations	Action taken thereon
1. The management of shamlat land which has been left much to be desired and the income accruing from these lands is a mere pittance. A systematic leasing operations of these lands might yield additional revenue of the order of Rs. 5 crores annually over and above what is presently being collected.	Under the consideration of the Govt.
2. The replacement of the Lumpsum or compounded levy of the goods tax by an advalorem levy. A well regulated booking of goods freight by road is also likely to be helpful in checking the sales Tax evasion.	Do.
3. Introduction of better upholstered and comfortable bus services to be run as "Express" services with a higher fare possibly 1/3rd more than the normal fare.	Do.

4. Bringing about a wider spread of education while at the same time eliminating the need for increased level of investment in education by means of reducing the hours of schooling per day and making up for the lost hours by increasing the number of days in the year. Do.

5. Better management of public undertaking of various kinds :—

(a) the staff taken on deputation in these undertakings would have been justified during the first two or three years after the creation of the Corporation/ Undertaking and should have been completely over by a due recruitment of Corporations/Undertaking's own staff to man all the posts with a much deeper sense of 'belonging'. under the considerat of the Government.

(b) the State Government should consider availing the maximum assistance from "Appropriate Technology Development Association of India", Lucknow for the purpose of providing all possible guidance in respect of the maximum avenues of such small/ cottage scale ventures and occupations etc. to the unemployed/under employed persons in the State.6 Do.

6. (a) the maximum possible augmentation and strengthening of field units which had been initiated by the State Co-operative banks for Do.

all the areas under more than 2000 of the primary credits and supply Societies etc.

(b) maximum possible strengthening of the Panchayats and other Local Govt. Institutes for enabling them to handle more and more activities under the policy of a maximum decentralisation of administration. Do.

Allowances of Legislators

***280. Swami Aditya Vesh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to decrease the allowances of Legislators in the State; and

(b) if so, the time by which it is likely to be implemented.

मुख्य मन्त्री (चौधरी. देवी लाल) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Loan outstanding against the Industries

***309. Shri Devender Sharma :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the amount of loan outstanding against various industries in the State upto 31-3-77 given under various schemes which was due for repayment on 31-3-77

togetherwith the steps being taken to recover the said amount of loans ;

(b) whether any amount of loan has been written off as bad debt during the years 1974-75, 1975-76, 1976-77 and 1977-78 (upto 31-12-77) ? If so, the total amount involved; and

(c) the district-wise number of industries set-up in the State from March, 1977 to 31-12-77 separately ?

उद्योग मन्त्री (डा 0 मंगल सैन) :

मुलधन ब्याज

(क) (1) पंजाब राज्य सहायता उद्योग 20,36,881
13,75,351 / - अधिनियम, 1935 के अधीन ।

(2) विस्थापित सुनारों को ऋण देना । 2,29,569
1,98,515 / -

दिये गये ऋण की वसूली के लिये उद्योग विभाग,
हरियाणा तथा उठाये गये पग ।

राज- स्व विभाग के क्षेत्रीय

अमले के माध्यम से दोषी

ऋणियों से वसूली के हर संभव

प्रश्न किये जाते हैं ।

(ख) हां ।

9,184

1,33,759

(ग) मार्च, 1977 से 31- 12- 1977 तक हरियाणा' राज्य मे जिलेवार लघु उद्योग इकाईयों का स्थाई! अस्थाई तौर पर पंजीकरण किये जाने का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता

विवरणिका

क्रम संख्या	जिले का नाम	कुल स्थाई इकाईयों का पंजीकरण	कुल अस्थाई इकाईयों का पंजीकरण
1	अम्बाला	171	153
2	भिवानी	43	46
3	गुडगावां	182	121
4	हिसार	49	49
5	जीन्द	32	35
6	करनाल	83	59
7	कुरुक्षेत्र	18	26
8	महेन्द्रगढ	44	68

9	रोहतक	102	68
10	सोनीपत	58	58
11	सिरसा	34	24

Utilisation of Tubewells

***406. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the Government tubewells in the State are being utilized to their full capacity; if not, the extent to which these are being utilized at present and the steps, proposed to be taken to use the se tubewells to their full capacity ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : The State Augumentation Tubewells are being utilized almost to their full capacity. As regards State direct irrigation tubewells, utilization is about 50% to 60% in case of old tubewells, and about 33% in case of new tubewells. The utilization has shown improvement trend during 1976-77 when 50% additional consumption of units has been recorded compared to 1975-76 as a result of measures like extension of under-ground pipe line, incentive bonus to operators, prompt attendance to defects on tubewells, reduction in power break-down, target oriented operator's duty and vigorous inspection of tubewells by Officers.

Construction of Bridges on Canals

***441. Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of proposals received for construction of bridges on canals in district Bhiwani togetherwith the number of bridges proposed to be constructed by the Government so far; and

(b) the number of bridges on which the construction work has been started in the area of Loharu and Badhra Constituency after the formation of Janata Government ?

सिंचाई एवं विजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) क्रमशः 437 और 96.

(बी) एक

स्थगित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Embezzlement cases in the Treasuries

***194. Master Jogi Ram :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total number of embezzlement cases detected in the treasuries in the State during the last five years togetherwith the total amount involved in these cases; and

(b) the action taken against the officers responsible for embezzlement cases as referred to in part (a) above ?

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) :

(a) 43 cases involving embezzlements of Rs. 2,83,660.30 paise.

(b) In one case, the concerned official's services have been terminated. In three cases, the concerned officials have been placed under suspension following their arrest. Six cases have been declared untraceable by the police. No action has been taken in the remaining cases so far as the cases are at various stages of investigation/trial in courts and action will be taken as and when specific responsibility of any official is fixed as a result of such proceedings.

Strikes held in the Industrial Units

***432. Shri Hira Nand Arya** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the number of Industrial Units in which strikes were held during the period from the month of July, 1977 to date together with the number of units in which the strikes were declared unlawful;

(b) the number of times and name of the industrial units in which the Lathi Charges were made together with the number of labourers injured along with the number of labourers who were retrenched and names of units from which retrenchment was made; and

(c) the position at present of the dispute which occurred in Haryana Dyes Industries at Dhudeke, Bahalgarh and Sonapat together with the action taken by the Government in the interest of labourers ?

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malk) :

(a) During the period from 1-7-77 to 15-2-78, strikes took place in 108 industrial units and these were declared unlawful in 7 units.

(b) No Lathi Charge was made on labourers in any industrial units in Haryana from the month of July, 1977 to date. The number of labourers who were retrenched and name's of units from which retrenchment was made, are shown in Annexure 'A'.

(c) There is no factory named Haryana Dyes Industries in Bahalgarh/Dhudeke (Sonapat). However, there is one M/s. Haryana Idco Dyes and Chemicals (P) Ltd., Bahalgarh (Sonapat) in which workers resorted to strike on 22-8-77 in pursuance of their certain demands. Since no settlement could be arrived at inspite of intervention of conciliation machinery, the demands of workers were referred for adjudication and the continuance of the strike was prohibited on 20-12-77. The workers did not report for duty inspite of the aforesaid order of the Government and therefore the management, after notice to the workers, have treated them as having abandoned service.

ANNEXURE—`A'

(A) Names of the units from which retrenchment was made.

1. M/s. Asian Ceramics (P) Ltd., Bahadurgarh.
2. M/s. Kare (P) Ltd., Faridabad.

3. M/s. Indo Nippon Foods (P) Ltd., Gurgaon
4. M/s. Hindustan Syring (P) Ltd., Faridabad.
5. M/s . Note 1 Holiday Inn , Faridabad.
6. M/s. Metamex Metallurgical and Mechanical (P) Ltd, Faridabad
7. M/s. Mahabir Metal Works, Faridabad.
8. M/s. India Steel Corporation, Faridabad.
9. M/s. Steel and Steel Fabrication, Faridabad.
10. M/s. Indo Box and Clousers Ltd., Faridabad.
11. M/s. Bishwanath Industries, Faridabad. 12
M/s. Indo Solex Ltd., Sonapat.
13. M/s. Sunflag Textiles (P) Ltd., Faridabad.
14. M/s. Hindustan Engg. Works, Bahadurgarh.
15. M/s. National Steel Industries, Bahadurgarh.
16. M/s. Eicher Tractors (P) Ltd., Faridabad.
17. M/s. Landsberg India Ltd., Faridabad

(B) Number of labourers who were retrenched : 166.

Prisoners given remission or released

***424. Lala Balwant. Rai Tayal :** Will the Minister for Social Welfare be pleased to state-

- (a) the number of prisoners who were given

remission or released after the formation of New Government;

(b) the number of prisoners out of those referred - to in part (a) above who were convicted for life imprisonment together with the lime for which they have remained in prison; and.

(c) whether any complaint has been received against the said released prisoners who were convicted for life imprisonment; so, the nature thereof togetherwith the action taken by. the Government thereon ?

Social Welfare Minister (Smt. Sushma Swaraj) :

(a) Numbers of prisoners granted remission.

4657

Number of prisoners released

356.

(b) Number of lifers released and time for which they

remained in prison is given in Annexure "A".

171

(c) Only one complaint was received from Deputy Commissioner; Hissar, against prisoner, Khana Ram S/o Sher Singh and Government on reconsideration cancelled the earlier release order dated 1-12-77.

ANNEXURE "A"

List of lifer prisoners alongwith the time for which they
remained in

the jail alongwith the other relevent information

Sr.No.	Name of prisoner	Sentence undergone		
1	2	3		
	C.J. Ambala	Y	M	D
1.	Assan S/o Sona	9	4	19
2.	Amrit S/o Deva	8	4	11
3.	Amrik Singh S/o Inder Singh	11	2	10
4.	Bhushan Lal S/o Kahan Singh	10	1	17
5.	Balkar Singh S/o Labh Singh	9	10	29
6.	Balkar Singh S/o Nanak Singh	6	8	9
7.	Balkar Singh S/o Jagat Singh	10	10	28
8.	Bhaga S/o Rulia	9	7	22
9.	Beant Singh S/o Gurbachan Singh	7	8	17
10.	Chhajju S/o Nihala	9	0	27

11.	Daya Chand S/o Puran	7	7	4
12.	Dhupa /So Miai Dhan	10	9	20
13.	Doji S/o Ram Saran	9	9	4
14.	Dalip Singh S/o Kapur Singh	12	3,	23
15.	Deepa S/o Teja	9	10	7
16.	Faquiria S/o Lalu	9	0	22
17.	Gurbachan Singh S/o Saudagar Singh	12	10	28
18.	Gopi S/o Devial	9	3	16
19.	Gali S/o Diwan Singh	11	6	4
20.	Hari Singh S/o Prabhu	10	2	22
21.	Hema S/o Het Ram	10	5	14
22.	Ishaq S/o Alla Banda	14	5	18
23.	Iqbal Singh S/o Kehar Singh	8	0	10
24.	Joginder Singh S/o Hazara Singh	9	11	7
2i.	Mewa Singh S/o Sher Singh	9	2	16

26.	Mehar Singh S/o Sher Singh	9	3	16
27.	Mohni S/o Gohlu	9	9	12
28.	Mehnga Ram S/o Sagar Ram	10	0	6
29.	Nabhey S/o Molar	10	3	27
30.	Nathu S/o Kalu	9	8	26
31.	Nafe Singh S/o- Man Singh	9	1	19
32.	Pala S/o Giga Ram	9	11	19
33.	Prem S/o Maghu	9	9	11
34.	Ragique S/o Sadiq	14	10	00
35.	Rashid S/o Abra	14	10	10
36.	Shambu S/o Jairam	10	0	28
37.	Sarup S/o Diwan Singh	11	4	11
38.	Surinder Singh S/o Sohan Singh	9	2	17
39.	Soma S/o Amar Singh	10	3	21
40.	Sangha Singh S/o Bishan Singh	10	10	9
41.	Tuman S/o Harjas	10	3	00

42.	Tirlokh Singh S/o Havela Singh	9	7	28
43.	Tulsi S/o Shri Chand	7	2	00
44.	Ravinder Singh S/o Komal Singh	4	4	10
	(Released under 432 Cr. P. C.)			
45.	Attar Singh S/o Labh Singh	8	11	9
Old Infirm				
46.	Assa Singh S/o Jaswant Singh	5	6	20
47.	Chahat S/o Badlu	9	8	29
48.	Chattar Singh S/o Labha Singh	9	9	22
49.	Chanan Singh S/o Ujagar Singh	13	5	12
50.	Har Lal S/o Jagga	5	9	5
51.	Harbans Singh S/o Lal Singh	5	11	10
52.	Jaimal S/o Bhola	7	10	21
53.	Karma S/o Diwan Singh	11	1	14

54.	Lal Chand S/o Teja	8	10	18
55.	Man Singh S/o Khema	8	10	21
56.	Nanak Singh S/o Sunder Singh	6	5	18
57.	Puran S/o Kanyia	8	2	20
58.	Parmanand S/o Gehna Ram	16	8	00
59.	Partap Singh S/o Narain Singh	7	11	20
60.	Ram Lal S/o Jagga	5	9	5
61.	Shera S/o Bhaga	8	7	30

D.J. Rohtak

62.	Abdul Rehman S/o Chahat	10	7	20
63.	Chander Singh S/o Bhim Singh	9	10	21
64.	Chhotu S/o Jai Singh	9	6	2
65.	Dharam Chand S/o Surjan	10	6	0
66.	Hoshiar Singh S/o Mam Chand	15	11	0
67.	Nanu S/o Molar	9	10	6

68.	Om Parkash S/o Amar Singh	9	5	21
69.	Prem Chand S/o Shiv Karan	7	6.	18
70.	Raj Mal S/o Khem Chand	7	8	8
71.	Ram Kumar S/o Baldeva	9	7	16
72.	Rattan Singh S/o Partap Singh	9	8	1
73.	Raghubir Singh S/o Partap Singh	11	8	1
74.	Ram Parshad S/o Babu Singh	6	10	19
75.	Sanjay S/o Molar	9	10	6
76.	Pokhar S/o Jai Lal	9	3	7
Old & Infirm				
77.	Bhai Ram S/o Bhuria	6	10	23
78.	Sukh Ram S/o Khandaru	10	0	12
79.	Suta S/o Jai Lal	5	10	21
80.	Sher Singh S/o Ramji	6	2	14

Lal

D.J. Gurgaon

81.	Bhim Singh S/o Ram Saren	10	4	10
82.	Chander Khan S/o Malkhan	10	11	26
83.	Megan S/o Beg Raj	10	3	21
84.	Rahim Bux S/o Chahat	10	4	24
85.	Rustam S/o Malkhan	10	1	26

Old Infirm -

86.	Chahat Khan, S/o Pir Khan	9	0	28
-----	------------------------------	---	---	----

B. I Hissar

87.	Manbhari w/o Surjit	9	2	7
88.	Santosh Kumari W/o Sushil	6	11	1

D.J. Karnal

89.	Attu S/o Dhanna Singh	8	3	25
90.	Chhota Singh S/o Dalip Singh	10	4	5
91.	Chander S/o Diwana	7	6	11

92.	Charat Singh S/o Puran	8	0	21
93.	Dalip Singh S/o Labha Singh	1.0	S	10
94.	Gurmukh Singh S/o Jagat Singh	11	3	5
95.	Jaipal S/o Mangta	8	2	17
96.	Mabal Singh S/o Balkar Singh	11	3	5
97.	Parkash S/o Chandgi	8	2	17
98.	Puran Singh S/o Labha Singh	10	5	10
99.	Saolit S/o Phula	10	5	10
100.	Tara Chand S/o Pritam Singh	9	9	4
101.	Vijay Kumar S/o Mam Raj	7	4	0
S.J. Bhiwani				
102.	Badri S/o Sukhi	10	1	8
103.	Ratti Ram S/o Tokh Ram	1.0	1	8
104.	Ajaib Singh S/o Hazura Singh	11	2.	22

Hissar

105.	Amar Singh S/o Shankar	11	7.	11
106.	Boga Singh S/o Narain Singh	12.		1
107.	Bhagi S/o Har Lal	7	8	12
108.	Bhajan Lal S/o Har Lal	7	7	14
109.	Baldeva S/o Hakim Singh	10	2	22
110.	Baldeva S/o Trikha	13	5	23
111.	Bara S/o Pritam Singh	10	2	27
112.	Banta Singh Sic) Visakha Singh	12	9	4
113.	Bachan Singh. S/o Ganga Singh	12	9	28
114.	Chander Bhan S/o Kheta Ram	10	6	7
115.	Chota Singh S/o Hazura Singh	11	2	22
116.	Chet Ram S/o Ram Dhan	7	0	3
117.	Devi S/o Khushla Ram	10	6	21

118.	Dharam Paul S/o Hari Singh	10	4	7
119.	Durjan S/o Balla Singh	11	0	9
120.	Gopi S/o Biru	12	5	5
121.	Gulzar Singh S/o Pritam Singh	10	2	5
122.	Gama S/o Ishar	10	1	7
123.	Hari Singh S/o Gian Singh	7	11	27
124.	Hansu S/o Lachhu	10	0	23
125.	Hidayat S/o Sudha	10	2	1
126.	Hukmi S/o Charanji	11	4	16
127.	Hanuman S/o Budh Ram	11	0	14
128.	Hazara Singh S/o Panna Ram	11	5	7
129.	Kashmira Singh S/o Wadhawa Singh	12	3	12
130.	Kuliar. Singh S/o Lal Singh	11	7	12
131.	Karnail Singh S/o Sucha Singh	10	10	21

132.	Krishan S/o Ram Partap	8	6	13
133.	Krishan S/o Siri Chand	7	3	8
134.	Manphool S/o Mam Raj	10	6	0
135.	Mani Ram S/o Inda Ram	9	7	28
136.	Mangal S/o Hukam Puri	11	2	8
137.	Nachhittar Singh S/o Hakam Singh	10	1	26
138.	Narsi S/o Biru	11	9	21
139.	Narsi S/o. Ram Lal	10	1	13
140.	Net Ram S/o Mani Ram	9	9-	27
141.	Nachhattar Singh S/o Bhag Singh	10	5	20
142.	Om Parkash S/o Hari Singh	10	7	13
143.	Prem Singh S/o Gurmukh Singh	10	10	5
144.	Prem S/o Sher Singh	10	0	21
145.	Partap S/o Udmi	7	8	2
146.	Ram Lal S/o Dhannu Ram	9	0	23

147.	Ram Sarup S/o Sukha	10	3	3
148.	Ranjit S/o Chetan	13	2	10
149.	Surja S/o Teja	9	10	0
150.	Satpal S/o Keeta	10	6	16
151.	Sucha Singh S/o Dayal Singh	14	11	6
152.	Sukhdev Singh S/o Gurbachan Singh	11	3	27
153.	Siri Ram S/o Kirpa Ram	11	1	17
154.	Sispal S/o Sundu	10	6	10
155.	Sadhu S/o Nanak	10	2	16
156..	Satnan Singh S/o Mehtab Singh	8	10	7
157.	Teka S/o Dana	6	8	15
Old Infirm				
158.	Devak S/o Prema	7	6	0
159.	Dharam Singh S/o Lakhi Ram	9	7	20
160.	Dana S/o Rapa Ram	6	7	5
161.	Dhanpal S/o Krishan Lal	6	10	11

162.	Harbans Singh S/o Jassan Singh	6	5	19
163.	Het Ram S/o Chuni Lal	2	10	23
164.	Kheta Ram S/o Chet Ram	9	11	19
165.	Kahna Ram S/o Sher Singh	4	4	16
166.	Kahna Singh S/o Sher Singh	9	11	1
167.	Lal Chand S/o Ram Singh	8	4	20
168.	Nyadar Singh S/o Banta Singh	17	10	2
169.	Ram Chand S/o Chet Ram	9	11	19
170.	Ram Chand S/o Hira	9	11	19
171.	Ram Sarup S/o Kishan Lal	6	10	17

अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया विनिर्णय (रूलिंग)

चौधरी रिजक राम द्वारा 10 मार्च, 1978 को एक समाचार-पत्र के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार प्रश्न तथा बहिर्गमन के सम्बन्ध में

Mr. Speaker : Hon'ble Members, on the 10th March, 1978, just after the question hour Chaudhri Rizaq Ram, M.L.A., a senior member of this House without any prior permission or notice in writing sought to raise a question of breach of privilege against some newspapers regarding the wrong printing of the name of an Opposition Member and the mis-reporting of the proceedings of the House particularly concerning his speech on a resolution.

You are all well aware that a privilege motion is a very serious matter. Such matters have a vital bearing on the relations between the Legislature and the press which is known as the fourth-estate in a democracy.

If there was some mis-reporting the Hon'ble Member should have :-

(a) brought the copy of his own speech under reference as reported by the Vidhan Sabha Secretariat ;

(b) the cutting of the concerned newspaper indicating the misreported portion; and

(c) a proper notice in this behalf should have been given as required under rule 262 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

I would have been only too happy to take immediate action against the defaulting newspaper. On the other hand, unfortunately, the Hon'ble Member did not give any notice in this regard but instead referred to a typing mistake concerning the wrong printing of the name of an Opposition Member, who incidentally had taken no notice of it and did not

object to it.

The notice could have been easily given as the newspapers of the day are available in the morning.

The M.L.A., later made serious, vague and wild allegations discrediting the press. To quote his own words—

“एक मैम्बर को गलत नाम से लिखा जाये और ये अखबार वाले आपकी इजाजत से प्रैस गैलरी में बैठते हैं और जो आपने आजादी दी है वे उसको अब्यूज करें और फिर आप कहते हैं कि राइटिंग में दो । कल आपने बगैर राइटिंग के प्रिविलिज अला0 की तो क्या वजह है कि आज मैं अर्ज कर रहा हूं कि अखबार वालों ने मिसलीडिंग—वे में रिपोर्टिंग की और आप कहते हैं कि राइटिंग में दो । कुछ अखबार वालों ने तो प्रैक्टिस बनाई हुई है कि वह शाम ओवर ए कप आफ टी क्या कहूं बात कुछ और है तो जो उनको खुश करते हैं तोवे उनकी तो ठीक रिपोर्ट करते है बाकी”

As regards the point raised by Shri Mool Chand Jain, M.L.A., I must point out that the question of breach of Privilege referred to the Committee of Privileges concerning Chaudhri Surinder Singh, M.L.A. is typical and best example of how a question of breach of privilege could arise suddenly in the House. In this case certain serious allegations had been made and challenges and counter challenges accepted on the floor of the House and the question of referring this matter to the Committee of Privileges or a special Committee of the House was raised by several senior Members including the

Leader of the House, the Minister for Parliamentary Affairs and the Secretary of the Janata Legislature Party. It was obvious that the House as a whole barring a few was in favour of referring the matter to the Committee of Privileges. Seeing the mood of the House I had no option but to refer the matter to the Committee of Privileges as per rule 265 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of our House.

Incidentally, under Rule 278 the Speaker has been empowered to refer any question of privilege to the Committee of privileges suo-moto. It will, therefore, be appreciated that there was absolutely no comparison between the case of Shri Surinder Singh, M.L.A. and Chaudhri Rizaq Ram, M. L.A.

We are all elected representatives. As such, it is incumbent on us that we must speak and act with utmost responsibility particularly while levelling allegations against others like a vital section of the society i.e. the press. Every complaint against the press must be specific, precise and supported by documentary evidence.

Later that day, the President of the Press Gallery Committee represented to me about the great resentment amongst the Members of Press Gallery at the uncalled for remarks and aspersions cast by one of us on the floor of the House and requested for expunction of the same from the proceedings of the House.

I carefully considered the matter in the light of rule 116 of the Rules of Procedure and Conduct of Business according to which a word or words used in the debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified,

he may in his discretion order that such word or words be expunged from the proceedings of the House.

I may also invite your attention to the 'Practice and Procedure of Parliament' by Kaul and Shakhder, page 852, where it has been clearly stated that "the Speaker has a right to expunge words which he considers are likely to discredit a section and not in good taste or otherwise objectionable. Even words or expressions though not unparliamentary may still be objected to sometimes on the grounds of propriety".

In view of all this I directed the expunction of the offending portion of the Hon'ble Member's speech from the proceedings of the House... The Deputy Speaker who was then in the Chair announced my decision in the House. Unfortunately, the Hon'ble Member concerned, sought to protest against the ruling by alleging, 'I do not know where the House is being led to by the Chair in this manner'.

The truth is that my order in expunging the offending portions containing serious but vague and sweeping allegations was to enhance the prestige and dignity of this August House which I have the honour to preside. The allegations and aspersions were levelled against the press which were not at all maintainable and supported by any evidence. If this was not done I am afraid the press would have been discredited and the relations between the press and the Legislature would have suffered a serious set back.

While sitting in this August Chair I have always strived my utmost to be fair to everyone and protect the dignity and prestige of the Members as well• as of all others

who unfortunately are not in a position to defend themselves on the floor of the House. I will not be wrong if I add that the real salvation of democracy lies in maintaining its age old traditions of acting with a sense of responsibility and fairness, speaking without fear or favour, otherwise I am afraid the future of democracy in this country is bound to be bleak as was evident during the black years of emergency lifted only last year.

Hon'ble Members will kindly agree that it is most important that we as well as the press should be absolutely fair to each other and must not make any allegations against the other if not supported by any evidence.

In this case an attempt was made to make a mountain of a mole hill and an unnecessary importance given to a trivial typing error which was not even noticed, as stated by me, even by the member concerned himself.

Obviously therefore, the walk out staged by some members that day was unfortunate and not justified.

Chaudhri Rizaq Ram : I want to make certain clarifications because in the ruling

Mr. Speaker : No arguments please. You may discuss it in my Chamber.

Chaudhri Rizaq Ram : * * * * *

*

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, आपकी रूलिंग आने के बाद क्या इनका बोलना मुनासिब है?

श्री अध्यक्ष : यही मैं इनको कहने जा रहा हूँ । No discussion on the ruling please.

Chaudhri Rizaq Ram : * * * * *
* **
** * ** * * * * *
*

Mr. Speaker : Not in the House.

Chaudhri Rizaq Ram : ** ** ** **
** ** ** *** ** ***
** ** ** ** *** ****

Dr. Mangal Sein : I am certainly with you

Chaudhri Rizaq Ram : ** ** ** ** *** **

(Interruptions).

Dr. Mangal Sein : There is no question of siding with any body. (Interruptions).

Chaudhri Rizaq Ram : ** ** ** ** ** ** ** *! **
** * ** **** ** **
** *** **** ** ****

Mr. Speaker : Would you please take your seat. I am on my legs

Chaudhri Rizaq Ram : ** *** ** *** *****

*** ** ***** ***** ***** *****

Mr. Speaker : Please take your seat.

Chaudhri Rizaq Ram : ** **** ***** **** *

**** ***** **** ** ** ** *

Mr. Speaker : What is this ? Is it a right thing. I am going to make an observation

Chaudhri Rizaq Ram : ***** ** ** **

*** ** ** ** ** ** ** ** *****

*** **** ** **** ** (Interruptions).

Mr. Speaker : I am on my legs. You must take your seat.

Chaudhri Rizaq Ram : ** *** **** *****

**** **** (Interruptions).

Mr. Speaker : **This is** too much

Dr. Mange Sein : **It** is a reflection on the Chair. It is unfair.

Chaudhri Rizaq Ram : ** **** ** ****

*** **** **** ** **

*** **** **** **** **

Dr. Mangal Sein : **It** is very unfair.

Mr. Speaker : Chaurdhri Rizaq Ram, you are a senior member. (Interruptions). It is very unfortunate. I hope you will now atleast take your seat when I am on my legs.

Chaudhri Rizaq Ram : ** *** ** *

(Interruptions).

Mr. Speaker : Chaudhri Sahib, you are a senior member. You can always write, give a free statement and do anything you like. The thing is always open to you. There are procedures laid down in the Rules. I request you to meet me in my Chamber or anywhere else and we will discuss....

Chaudhri Rizaq Ram : ** ** ** ** *****

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) :. स्पीकर साहब, बदकिस्मती है कि कोई मामला तो है नहीं, वैसे ही इसे खामखाह इम्पोर्टेन्स दी जा रही है । मै चाहता हूं कि आगे की कार्यवाही शुरू की जाए ।

Chaudhri Rizaq Ram : ** *** ** *****

Mr. Speaker : Please sit down. Kindly take your seat.

Chaudhri Rizak Ram : ** *** **** ****

***** ***** ***** **

*** ***** *****

Mr. Speaker : No submission can be made.

Chaudhri Rizaq Ram : ** ** *** **

Mr. Speaker : You are doing too much. All this which is being said without my permission is expunged from the proceedings. (Interruptions). Would You please listen to me for a second. I would draw the attention of the Hon. Member to the book 'Practice and Procedure of Parliament' by Kaul and Shakhder. At page 100, it is stated that a member who protests against the ruling of the Speaker commits a contempt of the House. It is very clear . And it cannot be discussed now.

Chaudhri Rizaq Ram : ** **** *** *****

*** **** ***** **

*** **** **** ** **** **

Mr. Speaker : There are 90 members, Chaudhri Sahib....

Chaudhri Rizaq Ram : In a minute I will finish

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर सहाब, जब आपरोक रहे हैं तोये कैसे बोल रहे हैं?

ध्यानाकर्षण सूचना

पुलिस द्वारा एक एम 0एल 0ए 0 के मकान की अभिकथित तलाशी के सम्बन्ध में ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, एक बड़ा जरूरी काल अटैन्शन मोशन था, उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : वह मैंने डिस-अला0 कर दिया है ।
उसके बारे में चिड्डी भी जा चुकी है । (शोर)

कामरेड शंकर लाल : स्पीकर साहब, यह बड़ा सीरियस मामला है । एक एम0एल0ए, के घर छापा मारा गया है और चीफ मिनिस्टर का लड़का भी वहां गया है । (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : The Haryana Appropriation Bill, 1978. The Hon. Minister may please introduce it.

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, बड़ा सीरियस मैटर है । एक एम0 एल0 ए 0 के मकान पर रेड हो जाए और पुलिस जाकर 6— 7 घंटे उसके मकान की तलाशी ले, यह बड़ा सीरियस मैटर है । आप मेहरबानी करके उसको अला0 करिए ।

Mr. Speaker : I have given my ruling. The letter has been written. You will get the reply today. Then you can represent again.

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, बड़ा भारी इन्जस्टिस होगा ।

Rao Birender Singh : When the House is agitated, we request you, sir, to kindly let the House atleast know what the matter is about ? You may kindly read the motion and then disallow it.

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन बिल, 1978

Mr. Speaker : Please take your seat. The Hon.

Minister may please introduce the Bill.

ध्यानाकर्षण सूचना

पुलिस द्वारा एक एम 0 एल0 ए 0 के मकान की अभिकथिक तलाशी के सम्बन्ध में (पुनरारम्भ)

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है । स्पीकर साहब यह काल अटैन्शन मोशन जो हमने दिया था और जिसका जिक्र अभी मेरे साथी चौधरी भजन लाल ने किया है वह कोई आर्डिनरी ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ला का मामला नहीं है और न ही वह सबजुडिस है । तो मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि जब इस किस्म की काल अटैन्शन मोशन पर आप अपना डिसिजन लेते हैं तो कृपा करके आप उन कंसर्न्ड मैम्बर्ज से सलाह तो ले लिया करें, उनको कंसल्ट कर लिया करें, उनको कांफीडेंस में तो ले लिया करें । मैं नहीं जानता किसने आपको बता दिया कि मैटर सबजुडिस है । न यह आर्डिनरी ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ला. का मामला है । सारी मंडी पुलिस ने घोर ली है । कोई एक आदमी का सवाल नहीं है ।

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) :

Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation Bill, 1978.

Mr. Speaker : Please take your seat. I have understood the point. Let me tell you what happened. I have considered the matter very carefully. There has been....

Rao Birender Singh : The House should know what

the matter is about ?

Mr. Speaker : There has been a certain procedure followed in this House. I have followed that very procedure. The call attention motion was received. I very carefully examined it. In fact, as requested by Mr. Jain I also met the Member and one more with him and after considering all the aspects, I disallowed it. Now, there can be no discussion on that. If you have any trouble kindly come to my Chamber and talk to me. (Interruptions).

Rao Birender Singh : Point of Order, Sir. My point of Order is this that there is a discussion in this House regarding a matter which is stated to be very urgent and you have been pleased to make certain observations."

* * * * *

Mr. Speaker : Do not worry. There is hardly any briefing. I think, this is an unreasonable remark.

Rao Birender Singh : You will yourself look after that, I am sure(विघ्न)(विघ्न).....
.....

Dr. Mangal Sein : It is the privilege of the Speaker to have assistance.

Rao Birender Singh : I will not make any further observation. Do not provoke me, Dr. Sahib ?

My point was that there was some discussion in this House between certain members and the Hon. Chair regarding

certain matter about which the House is in dark. It is the privilege of the House to know what the Chair and the certain member is talking about ? It is not a private matter between the Chair and a certain member or another member or the Government. The House has every right to demand what it is all about ?

Mr. Speaker : The point is that there is a certain procedure set in this House for the last 5/6/7 years and according to that the call attention motions or other adjournment motions or any other type of motions received by the Speaker used to be examined by him and then after careful examination he used to either allow them or disallow them. The motions which were allowed were used to be read by the Members concerned and those which were disallowed never came up before the House.

Rao Birender Singh : There has been a practice that even those motions which are disallowed by the Speaker are read out in the House. And the Speaker would say that this is the call attention motion etc. which he has received and then reject it or otherwise.

Mr. Speaker : I can assure you that there was a departure from this practice about seven years ago.

Rao Birender Singh : Are we going seven years back after the Janata wave ?

Mr. Speaker : We are following the procedure which was set six years ago. If you want to change it, we will consider the matter. I will have to consult you all in the Business Advisory Committee meeting or in the Rules

Committee, if you like.

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, अभी अभी जो आपने औबजर्वेशन दी है कि पिछले 7 वर्ष से यह प्रैक्टिस रही है इस हाउसमें कि काल अटैन्शन मोशन यदि कोई दे वह अगर ऐडमिट हो जाए तो पढ़ी जाए और अगर रिजैक्ट हो जाए तो न पढ़ी जाए, यह गलत प्रैक्टिस रही है । यह रूलज में कवर नहीं होती । ऐंमरजेन्सी के काले युग में क्या प्रथा रही यह मैं नहीं जानता लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप इजाजत भी नहीं देते तो भी जैसा राव बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा इस हाउस का यह हक है कि वह काल अटैन्शन इस हाउस में पढ़ी जाए । अगर उसके बारे में आप इजाजत नहीं दे गे तो मिनिस्टर साहब उसका जवाब नहीं दे गे लेकिन हाउस को पता होना चाहिये कि इस स्टेट में क्या हो रहा है और उसके बारे में कोई मैम्बर क्या कहता है

Mr. Speaker : Not so lengthy please. I have heard what you want to say.

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से रूल नं. 73 पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जो कि काल अटैन्शन मोशन के बारे में है ।

Mr. Speaker : Please take your seat now. If the Hon. Members are keen to discuss this point then it can be raised either in the meeting of the Rules Committee or the Business Advisory Committee. But we have been following

certain procedure for the last six years. Let us now go beyond it.

अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया विनिर्णय (रूलिंग)

चौधरी रिजक राम द्वारा 1 मार्च 1 978 को एक समाचार पत्र के विरुद्ध उठाए गए विधेयाधिकार प्रश्न तथा बहिर्गमन के सम्बन्ध में (पुनरारम्भ)

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । आपने अभी रूलज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनेस के बारे में फरमाया । लेकिन इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक रूलज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का ताल्लुक है, 57 रूल

Mr. Speaker : What is the point of Order ? It is not fair.

चौधरी रिजक राम : प्वायंट आफ आर्डर अभी आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आप पहले बताएं कि आपका प्वायंट आफ आर्डर क्या है? आप तो लम्बी चौड़ी बात कर रहे हैं ।

चौधरी रिजक राम : प्वायंट आफ आर्डर तो रेज हो ही सकता है, चाहे वह लम्बा हो या छोटा ।

Mr. Speaker : What is this ? This is no point of Order.

चौधरी रिजक राम : रूल 57 यह रिक्वायर करता है कि किसी क्वेश्चन पर हाफ एन अवर डिस्कशन हो सकती है यदि राइटिंग में नोटिस आए । प्रिवलेज मोशन के बारे में सूओ मोटो जनाब भी फैसला ले सकते हैं और जबानी भी हो सकती है । अब दो मौके ऐसे आए जिनमें से एक में तो स्वामी अग्निवेश जी ने हाफ एन अवर डिस्कशन रेज— करनी चाही और रूलज को इग्नोर करते हुए जनाब ने इजाजत दी । इसके बाद बीच आफ प्रिवलेज की मोशन आई उसमें आपने इजाजत दी । इसमें हालाँकि छोटी बात थी लेकिन मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ, कोई ज्यादा 'बिटरनेस' पैदा नहीं करना चाहता । मैंने सिर्फ प्रैस का ध्यान दिलाने के लिये ताकि प्रोपर रिपोर्टिंग हो जाए, रांग रिपोर्टिंग न हो, एक बात कही थी लेकिन उसका माउन टेन बना दिया, पहाड़ बना दिया । इसको इतना बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी ।

Mr. Speaker : This is not a point of Order.

चौधरी रिजक राम : प्वायंट आफ आर्डर अभी आता है । जो रूलिंग में जनाब ने फैक्ट्स दिए हैं, उसमें टाईपोग्राफिकल मिस्टेक के बारे में आपने कहा । वह बात बिल्कुल नहीं थी । मैंने जो स्पीच दी थी उसमें मैंने उस प्रस्ताव को क्रिटिसाइज नहीं किया था लेकिन इन अखबार वालों ने लिखा कि रिजक राम ने क्रिटिसाइज किया है । उस चीज को आप इग्नोर कर रहे हैं । मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है

Chaudhri Satvir Singh Malik : Mr. Speaker, I beg

to move—

That the Haryana Appropriation Bill, ..

(At this stage several Hon. Members rose on points of order).

Mr. Speaker : This is not the way.

ध्यानाकर्षण सूचना

पुलिस द्वारा एक एम० एल० ए० के मकान की अभिकथित तलाशी के सम्बन्ध में (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल : आग— ए प्वायंट आफ आर्डर सर । मै आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मैम्बरों को आप प्रोटेक्शन नहीं दे गे तो और कहां से प्रोटेक्शन मिलेगी । मै आप से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हाउस की एक कमेटी बना दे और कमेटी इस बात का पता करे कि किस किस की ज्यादातियां स्टेट मे हो रही हैं । एक एम ०एल०ए ० के मकान पर रेड हुआ है, बड़ा सीरियस मैटर है स्पीकर साहब ।

Mr. Speaker : This is no Point of Order at all. I have already given my ruling.

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, अगर यह गलन बात होगी तो मै इस्तीफा दे दूंगा ।

Rao Birender Singh : My submission on a point of order is this. I hope you would take into consideration the

agitated mind of the Members and listen to them. There has been an allegation that certain member's privileges have been affected in a certain raid. You are very pleased to follow the practice in the Lok Sabha which you referred to in your various rulings. I beg to submit that this is a general practice that whenever the privilege of a member is in question even in the midst of proceedings the House is interrupted and the member is given a chance to state what he wants to say, and how he has been affected ? This is happening every day.

Mr. Speaker : I have got your point.

Rao Birender Singh : My point of order is whether this House would also follow the same practice and when a member's privilege is in question would you kindly allow that member to state in this House what has happened to him or what is his trouble ?

Mr. Speaker : We have heard so many points of order. They pertain to the same type of argument. I have given several answers and I will answer again that this matter has been considered by me duly. This is the very House which accepted the procedure, which has been followed today, six years ago. However, as I see, there is some simmering, I am prepared to have a meeting of the Business Advisory Committee. We can discuss it even today, if you want and we will then decide and hang back to the old practice.

Rao Birender Singh : Cannot that member get sometime from you today ?

Mr. Speaker : Not today. We will decide it in the Business Advisory Committee.

Rao Birender Singh : That has affected the privilege of a member

Mr. Speaker : This is a very fair thing. Tomorrow we can perhaps give him time, depending upon the discussion.

उद्योग मन्त्री (डा 0 मंगल सेन) : स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन है कि माननीय सदस्य इस मामले को बार बार उठा रहे हैं । आपने बड़ी फराखदिली से कहा है कि पुरानी गलतियों को सुधारने के— लिये तैयार हूँ और आपने यह भी कहा कि आज ही शाम को बैठ जायेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है । शाम को विचार करने के बारे में तय हो गया है तो फिर हाउस को इस बारे में ज्यादा टाईम नहो लेना चाहिये ।

Mr. Speaker : Mr. Jain, I think, you will now agree that we can have discussion in the Business Advisory Committee.

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब मेरी सबमिशन है कि अगर कोई रूलज न बनाये हों और रूलज आया प्रोसिजर एन्ड कंडक्ट आफ विजनैस में कोई तबदीली का सवाल हो तो कमेटी भी आ जायेगी, उस पर विचार हो जायेगा लेकिन यह तो एक प्रैक्टिस का सवाल है । लोक सभा में अगर कोई काल—अटैन्शन मोशन दी जाती है । अगर स्पीकर साहब उसको रिजैक्ट करते हैं तो उस काल—अटैन्शन मोशन को पढ़ कर सुनाया जाता है, फिर वे कहते कि मैं इसको रिजैक्ट करता हूँ ।

Mr. Speaker : I will consider this matter when I go to my office. Please meet me or anybody else who is interested can meet me.

श्री देवेन्द्र शर्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । प्रैस की प्रोटक्शन के बारे में आपने फरमाया है, मैं उसकी बिल्कुल तहेदिल से तार्इद करता हूं लेकिन जिस बात को ले कर मैं यहां पर खडा हुआ हूं सह भी प्रैस सेही सम्बन्धित है । मैं इस प्रैस की आजादी की बात लेकर खडा हुआ हूं । ट्रिब्यून में जो एस0एस0एस 0 बोर्ड का फोटो आया तो पुलिस ने जा कर उस फोटो ग्राफर को हैरास किया । वहां उन्होंने जा कर उनसे फोटो मांगा । वह बड़ी गलत बात है (अपोजीशन बैचिज की ओर से शेम शेम की आवाज)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए ।

श्री शमशेर सिंह : मैंने एस0एस0एस0 बोर्ड के सकैन्डल के बारे में काल-अटैन्शन मोशन दी थी, उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा ।

Mr. Speaker : I have received a call attention motion regarding S.S.S. Board publicity we read a few days ago. The Government has already ordered an enquiry in the matter.

श्री शमशेर सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । गवर्नमेंट ने जो इन्कवायरी दी है वह सैक्रेटरी एस0एस0एस0 बोर्ड

को दी है । जो मुजरिम है वह खुद इन्कवायरी करने जा रहा है । एस0एस0एस0 बोर्ड के सैक्रेटरी को इन्कवायरी के लिये मुकर्रर किया है । यह बड़ा इम्पोटैन्ट मामला है ।

श्री दीप चन्द भाटिया : स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए राव साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे बीच में कैसे चौधरी बन रहे हैं । (हंसी)

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, आपने फरमाया है कि आप डिसकशन करने के लिये तैयार हैं । आपने इसके लिये अपनी रजामन्त्री जाहिर की है । इसके लिये मैं आपका मश्कूर हूँ लेकिन आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जो आपने आज रूलिंग दी है, उसमें अपनी लीगल पोजीशन के इक्तियारात का सवाल है उनको छोड़ कर जो फैक्टस उसमें स्टेट किये हैं वे गलत हैं । मैं यह साबित कर सकता हूँ । इस पर जो आबजर्वेशन की गई है, उसमें अन-फाउन्डिड एलीगेशनज हैं । अगर मैं उनकी आपको तसल्ली करा दूँ कि ये जो फैक्टस हैं ये गलत हैं तो क्या. उन पर आप विचार करके हाउस में दोबारा स्टेटमेंट देंगे?

Mr. Speaker : Chaudhri Sahib, you have been very unreasonable. Please let us carry on with the regular business.

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए शन बिल 1978 (पुनरारम्भ)

Chaudhri Satvir Singh Malik : Sir, I beg to move-

11.00 बजे

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

(At this stage Rao Birender Singh rose to speak)

Mr. Speaker : Rao Sahib, how much time would you like to take ?

Rao Birender Singh : As much as you allot.

Mr. Speaker : The only thing is that there is a large number of members who would like to speak. Therefore, we will have to restrict the time. I think, ten minutes should do.

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, एक हिदायत फरमा दें । जो जनरल डिस्कशन हुई है, उस पर भी बोल लिये और जो डिमान्ड्स थीं, उस पर बोल लिये लेकिन कुछ मैम्बर्ज ऐसे हैं जिनको न तो जनरल डिस्कशन पर मौका मिला है और न ही डिमान्ड्स पर मौका मिला और सप्लीमैट्रीक पूछने का जब वक्त आता है तो आमतौर पर उनको इजाजत नहीं मिलती, क्या ऐसे मैम्बर्ज को मौका मिलेगा या नहीं या वे अपने वक्त सिर धरों को चले जायें?

श्री अध्यक्ष : राव साहब तो बोले ही नहीं हैं । आप कृपया बैठिये ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मैम्बर्जको मालूम है कि यहां पर जनरल डिस्कशन के वक्त और डिमान्डस के पर बाबजूद काफी कोशिश के भी मुझे टाईम नहीं दिया गया । सप्लीमैट्रीज पूछने का जब वक्त होता है तो आप की निगाह इधर से उधर' सारी तरफ चली जाती है लेकिन आप मुझे छोड़ देते हैं । इसलिये मुझे आप अभी बता दें कि आज टाईम मिलेगा या नहीं ताकि हम वक्त सिर घर चले जाएं ।

Mr. Speaker : I think, there is a lot of weight in what Chaudhri Rizaq Ram has said. Those Hon. Members who have taken part during the discussion on the Budget and other things should not try to catch my eye.

Rao Birender Singb (Ateli) : It is for you not to let them catch your eye. स्पीकर साहब, मैं बोलना तो नहीं चाहता था. (विघन)

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair).

डिप्टी स्पीकर साहब, बजट के पर जब बहस हुई और सप्लीमैट्री डिमान्डज पर बहस हुई तो मैंने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया लेकिन आज हाउस के मैम्बर्ज की फीलिंग को देख करके यह ख्याल आया कि आज इस हाउस के आनरेबल मैम्बर्ज जो

इतनी घुटन महसूस कर रहे हैं और जो सलूक उनके साथ हो रहा है..

श्री दीप चन्द भाटिया : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा राव साहब से कह पूछना चाहता हूं कि एक दिन आये और उस दिन आपने टाईम ले लिया । फिर उसके बाद आये ही नहीं । आज आये हैं और आज फिर टाईम ले लिया है । इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, आप जरा ध्यान रखें । मेरी यह रिक्वेस्ट है कि दूसरे लोग भी आये हुये हैं, उनका भी ध्यान करो । एक तो बाबू मूल चन्द जैन टाईम लेते हैं और एक ये टाईम लेते हैं

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये ।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज कर रहा था कि आनरेबल मैम्बरज को शायद यह सुझाना फायदेमन्द हो जाये कि आज अगर यह जो एप्रोप्रिएशन बिल हुऐ इसके द्वारा डिमान्डस और बजट पास हो गया तो पछताओगे और फिर साल के बाद आपको ऐसा मौका मिलेगा । अगर ना-मन्जूर हो गया तो जो बात आप लोग बाहर कहते हो वह मैं यहां पर दोहराता हूं । आज मैम्बर साहबान से मैं सुनता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार का भूत 30 साल के बाद उतार कर फेंक दिया (विघ्न) । पहले खुश होते हैं लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही फिर आपके मुह

लटक जाते हैं । बाते करते-करते वह कहते हैं कि यह ऐसा भूत है जो चिमट गया तो पिर उतरेगा नहीं ।. विधन)...

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) : आपको भी दुःख देता है?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं मानता हूँ कि सरकार को दर्द है । लेकिन जितनी लोगों को आपसे उम्मीदें थी, वह पूरी नहीं हुई और काफी उम्मीदें बाकी रह गयी हैं । अगर उनकी आखों से पर्दा हट गया है तो आज हिम्मत करो, अपने लीडर की तरह से (विधन) मैं आप लोगों को आज यह कहता हूँ कि आप अपने लीडर **चौधरी देवी लाल** की तरह से, जो इस उम्र में भी हमेशा हिम्मत करने वाले रहे हैं, हिम्मत करो । मैं इनकी तारीफ करता हूँ कि ये इतनी हिम्मत वाले रहे हैं ।

चौधरी देवी लाल : बाहर से करने लगे हो?

राव बीरेन्द्र सिंह : सरकार तोड़ने में अगर मैं कहूँ कि **चौधरी देवी लाल** इतने निपुण हैं जितना महमूद गजनवी हुआ करता था, तो मेरे विचार में कोई गलत बात नहीं होगी । लेकिन जिस तरह से चौधरी साहब इशु बनाकर हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, और कई बार तो डट गये सरकार तुड़वाने के लिये, तो कोई यह बात तो इनसे सीखे ।

चौधरी देवी लाल : पहले आप सीखो । यहां आने के रास्ते बड़े टेढ़े हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : नहीं, आने के रास्ते टेढ़े नहीं । मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि पहले दिन यह मौका मिलता है

चौधरी रिजक राम : वैसे मैं यहां पर यह बता दू कि एक दफा इन्होंने भी सीखने की कोशिश की थी लेकिन दुख ही उठाया ।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, आपका सारा टाईम ,इसी तरह से चला जायेगा । आप बोलते रहिये ।

राव बीरेन्द्र सिंह : बहुत अच्छा जी । मैं यह कह रहा था कि जो **चौधरी देवी लाल जी** लड़ाई पिछले दिनों लड़ते रहे हैं, अगर आप वह लड़ाई लड़ने के बारे में नहीं सोचते तो जनता को सोचनी पड़ेगी । शायद आप लोग इन्हीं को हरियाणा का नैपोलियन समझते हो । मैं समझता हूं कि करनाल के अन्दर चौधरी साहब ने काफी वाटरलू की तैयारी कर ली है, और अगर यह ढांचा इस सरकार का इसी तरीके से चलता रहा, जिस तरीके से आज ऐडमिनिस्ट्रेशन जनता को नाजायज दबा रही है, और यही हालत रही तो इसमें कोई शक नहीं कि करनाल ही इनके लिये वाटरलू साबित होगा । डिप्टी स्पीकर साहब. मैं यह बात जानता हूं कि ऐप्रोप्रिएशन बिल के पर बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है । काफी बहस बजट के पर हो चुकी है । मैं सिर्फ 2- 4 बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उम्मीद - करता हूं कि हाउस मुझसे ऐग्री करेगा । एक बात तो मैं यह

महसूस करता हूं कि यह जो 14 करोड़ 10 लाख रुपया सरकार खर्च करने की इजाजत मांग रही है सप्लीमैन्ट्री डिमान्डस के सहारे, इसमें से ज्यादातर ? रुपया बरबाद हो रहा है और बरबाद हो गया । फ्लड अफैक्टिड एरियाज में फ्लड रिलीफ के नाम पर रैवेन्यू के हैड में 92 लाख रुपये की मांग है । इस काम के लिये मैं महेन्द्रगढ़ किले के बारे में तो जानता हूं और गुड़गांव के कुछ हिस्से की बाबत मैं जानता हूं, वहां पर जबरदस्त डिस्क्रीमिनेशन हुआ है रिलीफ देने में भी । कोई बीज वक्त के पर सरकार द्वारा महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंचाया गया । किसी के लिये चारेका बन्दों— बस्त नहीं किया गया । लोगों के बिजली के ट्यूबवैल नीचे दब गये, उनसे बिजली बोर्ड ने जबरदस्ती पैसे वसूल किये! कोई कन्सैशन नहीं दिया गया लोगों के घर गिर गये, लोगों की जानें गयीं, लेकिन चौधरी साहब, उनके लिये कोई राहत पहुंची नहीं । मैं तो मौके पर पहुंच जाता अगर वे मुझे भी बुलाते । मुझे भी साथ ले जाते तो कितना अच्छा होता और मुझे भी चीफ मिनिस्टर साहबके साथ जाने का फख्र हासिल होता और हम भी यह कह सकते कि हम भी चौधरी साहब के साथ मौके पर गये । लेकिन. आप गये कहा? बहादुरगढ़ में । वहां पहले मुझे आप कहते या मुझे चिट्ठी लिख देते कि फरीदाबाद और बल्लभगढ़ तहसील में इतना रुपया खर्च करने जा रहे हैं । लेकिन आपने तो बहादुरगढ़ में 92 लाख रुपये खर्च करना था । यह रुपया इसलिए नहीं खर्च करना था क्योंकि वहां के पुराने एम 0एल0ए 0 फ्लड रिलीफ ऐडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे! बल्कि इसलिये कि बहादुरगढ़

में बाई—इलैक्शन होना था । मेरा कहना यह है कि यह 92 लाख रुपया बहादुरगढ़ में खर्च किया गया । जितने गांव चौधरी साहब ने बहादुरगढ़ हल्के के दौरा किये । जितने उद्घाटन वहां किये, जितनी डेन्ज वहां पर खोदी, क्या आप यह बतला सकते हैं कि किसी और जगह भी इतनी खोदी गयी हैं? वहां के लिये कई स्कीमे बनाई गयी और यह सारा रुपया वहां पर खर्च किया गया । लेकिन आप एक स्कीम भी बता दे जो महेन्द्रगढ़ जिले के अन्दर रिवाडी तहसील में या. पटौदी के इलाके में चालू की गयी हो । चौधरी. साहब ने कहां पर जाकर काम किया है, यह आप सब को पता ही है । इन्होंने पिछले सेशन के दौरान ऐलान किया था कि टैरक्टर किसानों को जमीन जोतने के लिये भेजेगे । लेकिन मैं जानता हूं कि पटौदी के इलाके में और महेन्द्रगढ़ जिले के अन्दर एक भी टैरक्टर किसानों की जमीन जोतने के लिये नहीं पहुंचा । कहां गये वे सब? बहादुरगढ़ में गये । पटौदी भीतो गुड़गांव ने है । मै चौलेन्ज करता हूं यदि एक भी टैरक्टर पटौदी मे गया हो । एक भी टैरक्टर रिवाडी तहसील में नहीं गया ।

चौधरी देवी लाल : सब जगह टैरक्टर गये थे ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप इस बातके लिये शर्त लगा लरूए अगर एक भी ट्रैक्टर रिवाडी तहसील में गया हो । इस तरीके से रुपया बरबाद हुआ है । इस तरह की डिमान्डज को सरकार नाजायज इस्तेमाल करे, पोलिटिकल मकसद के लिये इस्तेमाल करे, इलैक्शन जीतने के लिय ' इस्तेमाल करे तो मेरा

कहना यह है कि ये मन्जूर नहीं होनी चाहिये । जिस तरीके से सरकारी अफसरों के भत्ते बने, उनसे काम छुडवाया गया, यह ठीक नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहब, फलड आए सारे स्कूल चलते रहे, गर्दन तक के पानी में बच्चे स्कूल अटैन्ड करने के लिये जाते रहे । (व्यवधान) एक महीने की छुट्टी तो तब हुई थीं जब फलड का पानी उतर गया था लेकिन जब फलडका पानी भरा था तो स्कूल खुले हुए थे । टीचरों को हुक्म मिला कि वे सिविल ऐडमिनि-स्टेशन की सहायता करें । पांच -पांच सौ, सात-सात सौ टीचर एस0पी 0 और डी0 सी 0 के दफतर में बैठे रहे और एस 0डी 0ओ0 ने कह दिया. कि हमारे पास तो कोई काम नहीं है । उन्हेंने डी0ई0ओ0 की चिट्ठी दिखाई और कहा कि हमें हुक्म मिला है । वे टीचर सारे दिन वहां बैठकर अपने घरों को चले गए । स्कूल वरूा काम बन्द हुआ । काफी पैसा उन टीचर्क के टी 0ए 0, डी0ए 0 पर खर्च हुआ । उन टीचर्ज ने इस तरीके से फलड रिलीफ दी, इस बात को सब लोग जानते हैं, एडमिनिस्टेरशन भी जानता है

श्री मूल चन्द जैन : राव साहब, फलड रिलीफ को तो सब तारीफ कर रहे हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं जो कुछ कह रहा हूं वह एक-एक लपज ठीक है । (व्यवधान) मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा के अन्दर पैसा बेददी से लुटाया जा रहा है, पोलिटिकल मकसद के लिये और दूसरी चीजों के लिये यह बन्द होना चाहये हम जो नौ आदमी हैं वे तो इसको बन्द नहीं कर

सकते उन बैन्चिज पर जो बैठे हैं वे ही बन्द कर सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं फिर दरखास्त करूंगा कि सोचिए, समझिए (व्यवधान) चौधरी साहब, जब आप मुख्य मन्त्री नहीं रहेंगे तो आप और मैं मिलकर बाहर काम करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से हाउस के अन्दर मैम्बर साहिबान सही तरीके से जनता की नुमायन्दगी कर रहे हैं, लोगों के जजबात की सही दंग से तरजमानी कर रहे हैं उसी तरीके से सरकार को सही तरीके से चलाइए और अगर सही नहीं चला सकते तो तरीका मैं बता देता हूँकि आप बेहतर सरकार बनाइए हम आपका साथ देंगे । इतना कहकर मैं खत्म करता हूँ ।

श्री मूल बन्द जैन (सम्भालका) : डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे तो सप्लीमैन्टरी ग्रान्टस का जो ऐप्रोप्रिएशन बिल है उस पर काफी बहस हो चुकी है लेकिन कुछ बातों के सम्बन्ध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । खासतौर से एक प्वायंट था जिसके बारे में मैं राव साहब की सेवा में अर्ज करना चाहता था । इससे पहले मैंने श्री शमशेर सिंह की सेवा में अर्ज की थी । मैं थोड़ा सा टाईम लगा । राव साहब ने सप्लीमैन्टरी बजट पर डिस्कशन के दौरान पार्टी पोलिटिक्स का इल्जाम लगा दिया लेकिन मैं कहता हूँ कि वे खुद पौलिटिक्स में उलझ जाते हैं । श्री शमशेर सिंह का बहुत अच्छा प्रस्ताव था ऐग्रीक्लचरल प्राईसिज के बारे में लेकिन वे भी पोलिटिक्स में उलझ गए । अगर वे जनता पार्टी को न कोसते और केवल इस प्रस्ताव के मैरिट पर ही बात करते तो मैं उनको

स्पोर्ट करता और मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी भी स्पोर्ट करती और कुछ न कुछ हरियाणा सरकार भी करती कि किस तप से किसान की पैदावार की कीमत को उस के खर्चों के साथ लिंक किया जाए । आज हम देखते हैं कि गन्ने का भाव गिर गया, गुड़ के भाव गिर गए और आज किसान परेशान है । किसान की फसल का इंशोरैन्स नहीं होता । इसलिये मेरा आपकी सेवा में निवेदन है कि पोलिटिक्स को बीच में न लाया जाए । राव साहब को सरकार के अच्छे कामों की सराहना करनी चाहिये । इस सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं जैसे बिजली का फ्लैट रेट मुकर्रर किया है, जुडिशियरी और ऐग्जेक्टिव की जो डिस्क्रिमीनेशन थी उसको दूर किया है । यह डिस्क्रिमीनेशन कांग्रेस सरकार जिसको राव साहब जब ये लोक सभा में थे स्पोर्ट करते रहे

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने स्पोर्ट नहीं किया । मैंने उस सरकार को स्पोर्ट नहीं है । ये गलत बयानी कर रहे हैं ।

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, ऐमरजेन्सी के दिनों में जब मैं जेल में था उस जमाने में कुछ अखबारों में यह पढ़ा था कि राव साहब ने अपनी स्पीच में साबिक डिफैन्स मिनिस्टर की बहुत तारीफ की थी ।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैंने कभी तारीफ नहीं की थी । मैंने तो यह कहा था कि चौधरी बंसी लाल के आर्सनरी में ऐसे

हथियार है जिनसे कोई बच नहीं सकता, जिनसे किसी की खैर नहीं हो सकती और मैं उनको भुगतते बैठा हूँ ।

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि इस सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं और पहला काम है बिजली के प्लैट रेट, दूसरा जुडिशियरी और ऐग्जेक्टिव के बीच कांग्रेस सरकार ने जो डिस्क्रिमीनेशन की थी, उसको दूर किया है । अगर ये अच्छी बातों को स्पोर्ट करते, उनका स्वागत करते तो हाउस का स्टैन्डर्ड बढ़ता । जो गलत बात है उसको मैं भी क्रिटीसाइज करता हूँ । इस सरकार ने जो तीसरा अच्छा काम किया है वह मार्किटिंग कमेटीज के बारे में है । कांग्रेस सरकार ने मार्किट कमेटीज में नामजदगी करनी शुरू कर दी थी । मार्किट कमेटी के बारे में बिल आज या कल यहां आएगा जिस में पहली सरकार ने मार्किट कमेटीज में नामीनेशन करनी शुरू कर दी थीं और डैमोक्रेसी का तरीका लोकतन्त्र प्रणाली जो वहां जारी रहनी चाहिए थी उसको खत्म कर दिया था । अब यह सरकार नामजदगी को हटाकर फिर चुनाव का तरीका ला रही है । इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में श्री मांगे रामने जो कहा कि उसका समर्थन करें मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अच्छी बात सरकार करे उनकी प्रशंसा की जानी चाहिये और जहां कमी रह गई है उसके बारे में हाउस को कहें और उनको मनवाने की कोशिश करें । इन सब बातों के बाद मैं एक चीज की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूँ कि सप्लीमेंटरी बजट का जिस तरीके से खर्चा होगा या खर्च हुआ है

वह करीब 14 करोड़ रुपए की मांग है और यह ऐप्रोप्रिएशन बिल इस हाउस के सामने है और इसी सेशन में यह रुपया हमसे आपने मन्जूर करवाना है । मैं लीडर आफ दि हाउस के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि दोनों तरफ के सैक्शन यानी जनता पार्टी के जो सदस्य हैं और जो विरोधी पक्ष में बैठे हैं उनके नोटिस में यह बात है कि मुख्तलिफ जिलों में जो रुपए का खर्चा होता है वह न्यायपूर्ण नहीं होता । मेरी लीडर आफ दि हाउस से यह प्रार्थना है कि वे हाउस में इस मामले में विश्वास दिलाएं मन्त्री महोदय ने सड़कों के बारे में इस हाउस को यह तसल्ली कराने की कोशिश की कि जो पहली सड़कें मन्जूर की गयीं थीं और जो रुपया उन के लिये मन्जूर किया गया था, वह तो सारा काम पहली सरकार का था और अब जो नई सड़क इन्होंने मन्जूर की हैं, उसके लिये सिरसा और हिसार में फण्डज की रेशो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स से बहुत ज्यादा रखी गई है जिससे यह जाहिर होता है कि बजट का जितना फण्ड इस काम के लिये रखा गया था, उसका वितरण ठीक ढंग से नहीं हुआ है जोकि स्टेट के मुख्तलिफ हिस्सों की उन्नति के लिये खर्च होना चाहिये था कहा पर खर्च नहीं किया गया है । डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बजट का रुपया है, यह कोई बन्दर बांट नही, कोई कानी बांट नहीं होनी चाहिये । उसमें कई स्कीमें इन्वाल्व होती हैं, जैसे स्कूलज अप-ग्रेडेशन की, सड़कों की, बिजली की. और दूसरी कई स्कीमें इन्वाल्व होती हैं, मार्किट कमेटियों का जो रुपया है, उसको खर्च करने की स्कीम भी इसी में आ जाती है । तो मैं यह चाहूंगा कि इस हाउस में

फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय जवाब दें और हाउस को यकीन दिलायें कि यह जितना भी कन्सोलीडेटेड फण्डज का खर्चा है, यह 11 जिलों में न्यायपूर्ण ढंग से तकसीम किया जायेगा । पीछे बहस के वक्त भी मैंने यह चाहा था कि फाइनेन्स मिनिस्टर विश्वास दिलाएंगे परन्तु फिर भी उन्होंने इस बात का विश्वास –गही दिलवाया । मैंने यहां तक कहा था जोकि मुझे नहीं कहना चाहिये था कि चौधरी बंसीलाल ने बिजली, सड़कों और दूसरे कामों के लिपे न्यायपूर्ण नीति को अपनाया था.

श्री उपाध्यक्ष : जैन साहब अब आप खत्म करें ।

श्री मूल चन्द जैन : अन्त में मैं फिर अपनी सरकार से कहूँगा कि वह इस हाउस को यह यकीन दिलवाये कि आगे से जो भी रुपया खर्च होगा वह बिल्कुल न्यायपूर्ण ढंग से खर्च होगा । इन अलफाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया ।

चौधरी शकरुल्ला (फिरोजपुर झिरका) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया । मैं फिरोजपुर झिरका के मेवात के इलाके से यहां पर चुनकर आया हूँ । डिप्टी स्पीकर साहब, जितनी ज्यादातियां ऐमरजेन्सी के वक्त में हुई यह आज तक कहीं भी नहीं हुई होंगी । किस तरह से लोगों को बुरे तरीके से मारा गया, पकड़ा गया और कैसे लोगों की जबरदस्ती नसबन्दी की गयी और लोगों को बुरे

तरह से परेशान भी किया गया । हम उस खुदा का शुक्र जरा करते हैं कि उस जालिम सरकार को यहां से हटाया और अब हमारी अच्छी सरकार यहां पर आई है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेवात के अन्दर सब से ज्यादा पलड आये और सब से ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ लेकिन इस हमारी सरकार ने लोगों की बड़ी मदद की है । इसके लिये हम अपनी सरकार के व मुख्य मन्त्री महोदय के तहदिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मौके पर लोगों की काफी मदद की है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार के नोटिस में एक बात और लाना चाहता हूं कि आज मेवात के अन्दर बड़ी गुन्डागर्दी फैली हुई है । वहां पर दिन दिहाडे लोगों को मारा जा रहा है लोगोंको लूटा जा रहा है । 8-2- 71 को एक पटवारी के टयूबवैल पर डाका पड़ा और उसको गोली मारकर जखमी कर दिया गया और जो हत्यारे, डाकू थे वे भाग गये और उसके जेवरात वगैरह भी ले गये लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसके लिये सरकार को कोई न कोई कदम अवश्य उठाना चाहिये । आपको एक और बात बड़े दुख के साथ सुनाता हूं कि 10-2-78 को जैव मैं घर पर नहीं था, रात के वक्त चोरों ने मेरे 6 कमरों का ताला तोड़ा और मेरे घर से कुछ नकदी और जेवर लेकर फरार हो गये. जिनका आज तक कोई सुराख तक नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, आप ऐप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोलें ।

चौधरी शकरुल्ला : ठीक है जी, मैं ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोल रहा हूँ । डिप्टी स्पीकर साहब, इस केस को हुये 15-20 दिन हो गये हैं लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई, न ही कोई सुराख ही मिला है । इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वे इस मामले में जांच करवायें ताकि चोरों का पता लग सके । इसके साथ-साथ मैं अपनी सरकार से यह कहूंगा कि जो पुलिस आफिसर है जैसे एस0 एच0 ओ0 पुनहाना और एस0 आई पुनहाना इन को वहां से तबदील किया जाये । हमारे लोगों की बार कर रिकवेस्ट है कि उन लोगों को वहां से तबदील कर दिया जाये और फिर उन केसिज की तफतीश करायी जाये । इसके साथ साथ मेरी यह भी प्रार्थना है कि फिरोजपुर झिरका के जो एस0 डी 0 एम0 हैं, उनको भी वहां से तबदील कर दिया जाये । हम चार एम0 एल0 ए 0 गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के चुनकर आये हैं लेकिन हमारे लोगों की कोई सुनवायी नहीं हो रही है । इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने हल्के के बारे में एक दो बातें और कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में सड़कों की बहुत कमी है । बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो कि पानी की वजह से टूट गई हैं और बननी अभी बाकी हैं । अभी तक काफी सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं जैसे पुनहाना से बोड़ी कोठी । इसके पर एक घाटी और एक पुल बनना बाकी है ।

इसके न बनने के कारण लोगों को काफी चक्कर लगाकर थाना पड़ता है । इसलिये इस तरफ भी सरकार को जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिये । मैं मुख्य मन्त्री महोदय व मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि इस पुल और घाटी को जल्द से जल्द बनाया जाये । यह सड़क तिगाम गांव जो कि एक एम0 एल0 ए 0 का है, लिहंगाकला के पास उजीना ड्रेन के साथ साथ बनायी जानी है । डिप्टी स्पीकर साहब, 31- 1-78 को सेहरी गांव में मुख्य मन्त्री महोदय गये थे । लोगों ने मुख्य मन्त्री महोदय से रिक्वैस्ट भी की थी कि यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाये और मुख्य मन्त्री महोदय जी ने वहाँ पर इसकी मंजूरी देदी थी और कहा था कि दो महीने के अन्दर यह काम हो जायेगा । लेकिन अभी तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है । इसके साथ एक दूसरा टुकड़ा जो है वह मंगवा से धाना को आता है, उस काम को भी अभी तक चालू नहीं किया गया है । इसलिये हमारी गुजारिश है कि हमारी इन चन्द मांगों को बहुत जल्द ही पूरा किया जाये ताकि लोगों को आराम मिल सके ।

इससे आगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो फिरोजपुर झिरका में हस्पताल है वह सिर्फ 25 बैड्स का है, और वहाँ पर न कोई कर्मचारी है, न कोई दवाईयां हैं जिस से कि लोगों को बड़ी परे- खानी का सामना करना पड़ रहा है । इसलिये वहाँ पर दवाईयों और कर्मचारियों का प्रबन्ध किया जाये और जो पुनहाना का हस्पताल है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए क्योंकि बरसात

के दिनों में वहां पर 10-10 फुट पानी भर जाता है । मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार हमारी इन मांगों की तरफ खास तवज्जह देगी । डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे मेवात के इलाके को बैकवर्ड करार दिया जाए । हमारी सरकार ने यह एलान किया है कि जो भी पोस्टें हरियाणा में निकाली जाएंगी उनमें से 10 परसेंट मेवातियों के बच्चों को दी जाएंगी इसके लिये मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं । इसके साथ साथ मैं उद्योग मन्त्री जी से भी कहना चाहता हूं कि एक बहुत संगीन हादसा है । एक फिरोजपुर झिरका के नाम से फैक्टरी फरीदाबाद में लगाई गई है तो इससे फिरोजपुर झिरका का नाम फरीदाबाद में चल रहा है । इस की जल्द से जल्द इन्क्वायरी करवाई जाए और वह कपड़े की फैक्टरी फिरोजपुर झिरका में ही लगाई जाए । इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : अब वित्त मन्त्री जी बोलेंगे ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : डिप्टी स्पीकर साहब, न आपने मुझे कल टाईम दिया और न आज दे रहे हैं । आप टाईम ऐक्सटैन्ड कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप दो मिन्ट के लिये बोल लें ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : (पाई) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे दो

मिनट का टाइम दिया । मैं वे बातें बताना चाहता हूँ जिससे हरियाणा का उद्धार हो सकता है । सब से पहले मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि जो होम का महकमा है यह बहुत जरूरी महकमा है । मैं सरकार से दरखास्त करूँगा कि एक वजीर के पास एक महकमा होना चाहिये ताकि वह उसकी सुपरवीजन अच्छे ढंग से कर सके और अपना फर्ज भी निभा सके । इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नौजवान सिपाही हैं उनकी तनखाहें बढ़ाई जाएं । आपको पता है कि उनकी डियूटी कितनी सख्त है । उनको कम से कम मैडिकल और साइकिल अलाउंस जरूर दिया जाए । मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारी पुलिस की कम से कम दो चार बटालियनें और बढ़ाई जाएं ताकि हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको पुलिस में भर्ती किया जा सके । ऐसा करने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा । मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा चण्डीगढ़ में हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसमें खर्चा कम किया जाए । आज मैंने पढ़ा कि चीफ सैक्रेटरी को सैन्टर में बुला लिया गया है और उनकी जगह सैन्टर से कोई और आ रहा है । मैं चाहता हूँ कि सैटर के अफसरों को कम किया जाए और हरि- याणा पर बोझ न बहाया जाए । मैं आई० पी० एम० साहब से कहना चाहता हूँ कि एस०ओ० और एस० डी० ओज० अपनी मजी से नहरें चलाते हैं और इससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है इस बात की भी चर्चा है कि वे लोगों से पैसा लेकर काम करते हैं इसलिये मैं दरखास्त करूँगा कि एम० एल० एजं ० की एक कमेटी बनाई जाए जो कि हर किस्म की शिकायत मौके पर जाकर सुने ।

एक बात और है जोकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मिनिस्टर्स की तादाद बढ़ाई जाए ऐसा होने से लोगों की शिकायतें मौके पर ही दूर हो सकेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस किसान का नाम बार बार यहां पर लिया जाता है और जो देश की रीढ़ की हड्डी है उसका हर लिहाज से ख्याल रखा जाए। अब पीछे सारे हरियाणा में फलड आया और उसके बाद ओलों ने तबाही की तो इससे किसान का बहुत नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जैसे सरकार फ़ैक्टरी वालों को किसी नुकसान की वजह से पूरा मुआवजा देती है उसी तरह से किसानको भी उसके नुकसान का मुआवजा दिया जाए, किसान की फसलों की इंशोरेंस की जाए

श्री उपाध्यक्ष : ये बातें पहले आ चुकी हैं अब आप तशरीफ़ रखें।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि जब राव सरकार, किसानों की सरकार आई थी जिसमें मैं भी वजीर था तो हमने पांच किल्ले का मालिया माफ़ कर दिया था। हमारी जनता सरकार ने अपने मैनिफ़ेस्टो में कहा था कि सवा छ एकड़ पर मालिया माफ़ किया जाएगा लेकिन वह वायदा वायदा ही रह गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता है कि जिसके पास जमीन कम है वह मालिया नहीं दे सकता। इसलिये मेरी गुजारिश है कि कम से कम पांच एकड़ तक का मालिया तो माफ़ किया जाए। हुसके बाद मैं किसान की जिनसों

के भाव पर आता हूँ । आज. गन्ने के भाव को आप देख रहे हैं कि क्या हालत है? किसान बेचारा रो रहा है । गन्ने के मुकाबले में आप देखें कि लकड़ी का भाव बीस रुपये क्विंटल है । राव सरकार के टाइम पर किसान को बहुत अच्छे भाव दिये जाते थे । उस समय यह चर्चा थी कि राव आया भाव आया, राव गया भाव गया (विधान) मैं चाहता हूँ कि राव सरकार की तरह से गरीब किसानों को उनकी उपज. के भाव ज्यादा दिये जायें और कन्जयूमर को सबसीडाइज्ड रेट पर अनाज दिया जाए

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, ये सब बातें पहले हो चुकी हैं ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि बीज. के लिये एक एकड़ पर 75 रु0 तक का खर्चा सरकार बर्दाश्त करे । जैसे पंजाब में पड़े लिखे लड़कों को अलाउंस दिया गया है वह हमारे हरियाणा में भी दिया जाए । इसके बाद सरकारी. कर्म- चारियों को 55 साल की उमर के बाद तीन साल की एपेक्सटेशन न दी जाए और बेरोजगारी को दूर करने के लिये उनकी जगह नई भरती की जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : पोहलू साहब आप बैठिये आपका टाइम खत्म हो चुका है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : मेरा अगला प्वायंट है कि अर्बन प्रौपर्टी पर सीलिंग लगाई जाए ।

वित्त मन्त्री (चौधरी सतवीर सिंह मालिक) : डिप्टी स्पीकर साहब., बड़े अफसोस. की बात है कि ये सारी बातें पहले आ चुकीं हैं और ये अब

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिल के पर बोलते हुए टाईम ऐक्सटेंड हो सकता है । इनको एक दम क्या दस्त लग जाते हैं, आप टाईम और ऐक्सटेंड कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : पोहलू साहब, आप बैठिये अब फाइनेंस मिनिस्टर अपना जवाब देंगे ।

वित्त मन्त्री (चौधरी सतवीर सिंह मालिक) : डिप्टी स्पीकर साहब, इस पर बजट स्पीच में भी काफी चर्चा हो चुकी है । हमारे साथी पोहलू जी भी बजट स्पीच पर बोले थे । जो बातें इन्होंने आज कहीं हैं वही ड्रामा उस दिन भी किया था । इनका मंशा यही रहता है कि मैं भी किसान के लिये कुछ कह जाऊँ । मैं इस संबंध में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि राव साहब ने न तो बजट पढ़ा और न ही बजट के पर बहस की । वे आज आए हैं और कह दिया कि सरकार ने फ्लड के नाम से काफी रुपया पोलिटीकल पर्पज के लिये इस्तेमाल किया है । यह बड़े दुःख की बात है और मैं इस चीज का खंडन करता हूँ । राव साहब जो पुराने मुख्य मंत्री रह चुके हैं और इतने बड़े स्टेटस के हैं उनके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देनी । फ्लड के समय सरकार ने

इतना काम किया है जिसका इतिहास साक्षी रहेगा । इससे पहले किसी सरकार ने भी इतना काम नहीं किया था । हमारी सरकार के मुख्य मन्त्री, वजीर और अफसर बरसात के अन्दर गांव गांव में गये । उस वक्त राव साहब का तो पता भी नहीं था कि वे दिल्ली में हैं या कहीं और हैं । जिस वक्त किसान तबाह हो रहा था तो सबको चिट्ठी लिखी गई लेकिन उस वक्त राव साहब पता नहीं कहां छिपे बैठे थे । एक तरफ तो ये किसान की ठेकेदारी करते हैं लेकिन जब किसान पर मुसीबत आती है तो उस वक्त अपने घर में बिल्ली की तरह छिप कर बैठ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि सरकार ने फ्लड का पैसा पोलिटीकल पर्पज के लिये यूज किया । जिस वक्त फ्लड आया था उस वक्त तो कोई बाई इलैक्शन भी करीब नहीं थी । इसलिये राव साहब ने जो बात कही मैं उसका खंडन करता हूं । बाकी सरकार ने उस वक्त जो रिलीफ का काम किया वह एक सराहनीय काम था जिसको सारा हाउस मानता है । इन शब्दों के साथ मैं मूव करता हूं कि इस बिल को पास कर दिया जाए ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Deputy Speaker : Question is—That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—
That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—
That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) :
Sir, I beg to move—

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—That the
Haryana Appropriation Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—That the
Haryana Appropriation Bill be passed.

The motion was carried

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 1978

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) :
Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill,
1978.

Sir, I beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be
taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be
taken into consideration at once.

स्वामी आदित्यवेश (हथीन) : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा विनियोग (सं 0 2) विधेयक सदन के सामने विचार करने के लिये प्रस्तुत है । इसमें 34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो विभिन्न मदों पर खर्च किया जाना है । मैं सदन का ध्यान विशेष बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । यदि उन बातों की तरफ ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा । विधेयक के मुताबिक पुलिस पर काफी खर्च किया जाना है । जमुना के साथ लगता हुआ खादर का इलाका है । पिछले दिनों में कानीगढी के लोगों ने गांव गुडवाडी के लोगों की जमीन, फसल को तहस नहस कर दिया है, लेकिन आज तक इस के बारे में कोई ऐक्शन नहीं लिया गया । उस इलाके में आतंक पैदा कर दिया गया । क्या इस झगड़े का निराकरण करने के लिये सरकार ने कोई ऐक्शन लिया है ताकि वह झगड़ा समाप्त हो जाए । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस ओर विशेष ध्यान दे । डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार शराब बन्दी करने के लिये टैक्स लगा रही है । एक सुप्रसिद्ध लेखक श्री गलैडस्टोन ने एक बार कहा था कि अगर टैक्स लगाना है तो लगकरी पर लगाना चाहिये, बुराई पर नहीं लगाना चाहिये । अगर सरकार शराबबन्दी करना चाहती है तो लगकरी पर टैक्स लगाए । बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ज्यों ज्यों टैक्स बढ़ता जाता है त्यों त्यों शराब की खपत बढ़ती जाती है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब हरियाणा बना तब 12 लाख गैलन शराब पी जाती थी और अब बढ़ते बढ़ते 57 लाख तक पहुंच गई है ।

बीयर जिसमें 10 परसेंट अलकोहल था, साढ़े चार लाख गैलन पी जाती थी और अब अलकोहल 6 परसेंट कर दी गई तो 12 लाख 68 हजार गैलन बीयर की खपत हो गई । अब सरकार 3 परसेंट अलकोहल कर रही है । इससे कितनी खपत हो जाएगी, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं । ये आंकड़े वित्त मन्त्री महोदय ने दिए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों कुछ आंकड़े सरकार की तरफ से हमारे पास आए हैं और सरकार इन आंकड़ों को इकट्ठा करने केलिये बहुत खर्च कर रही है । बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये आंकड़े गलत ढंग से पेश किए जाते हैं । इन सारे के सारे आंकड़ों को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट की अदालत में मुकद्दमा दायर कर दे तो इनके खिलाफ ऐक्शन हो सकता है । मैंने सरकार से पूछा था कि बाढ़ के दिनों में मेवात के इलाके में कितने पशु मारे गए? मुझे उत्तर दिया गया कि 75 पशु मारे गए । मैंने आगे पूछा कि जींद हलके में कितने मरे तो कहने लगे कि 25 मरे हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि तमाम मेवात के इलाके में 5 हजार से ज्यादा पशु मरे हैं । हथीन के इलाके में तीन हजार पशु मरे हैं । मेरे पास एक एक गांव की लिस्ट है । अगर आप चाहे तो मैं गांव-वाईज बता सकता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां हमारे सचिवालय के तमाम अधिकारियों पर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, सरकार बहुत भारी तादाद में पैसा खर्च करती है वहां विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों को उस श्रेणी में नहीं रखा जाता । मेरा

आपसे निवेदन हे कि इस पर विचार किया जाए तो बहुत अच्छा होगा । इसी तरह से क्लास 3- 4 ईम्पलाईज हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता । इसी- तरह पशु विकास केन्द्र के कर्मचारी है । ये 1 4 साल की सर्विस में ही अपना ग्रेड पूरा कर लेते हैं और जो 26 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं उन को न तो कोई ग्रेड दिया जाता है और न ही उनको किसी प्रकार की वृद्धि दी जाती है । इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो पुराने कानून बने हुये है उनको बदलना चाहिये । इसी तरह से पटवारी हैं, इनके लिये भी कोई सिलैक्शन ग्रेड नहीं है । इनके लिये भी वृद्धि की कोई व्यवस्था नहीं है । ग्र। मो में जो ग्राम-सचिव होते हैं, इनको कभी पंचायतों में शिफ्ट कर दिया रू। ता है, कभी ऐग्रीकल्चर मे शिफ्ट कर दिया जाता है । इस तरह से इन लोगों को बड़ी असुविधा होती है । ये लोग सबसे ज्यादा काम करते हज लेकिन सरकार इनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाती. । गै सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां सरकार करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है, वहां इन छोटे छोटे तबकों का भी ध्यान रखे । सरकार 34 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है । हमारे जो राष्ट्र के करणधार है, जो अपना पसीना बहाकर, दिन रात एक करके कार्य करते हैं, उनकी दयनीय स्थिति पर सरकार को विचार करना चाहिये । मैं समझता हूं कि सदन का कोई मैम्बर इसका विरोध. नहीं करेगा बल्कि हृदय से स्वीकार करेगा । अन्त में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनके । तरफ भी ध्यान दिया जाए ।

श्री फतेह चन्द विज (पानीपत) : स्पीकर साहब, मैं वित्त मन्त्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूँ कि इनके पास टैक्सिज का महकमा है और ये खुद भी पानीपत के रहने वाले हैं । मैं इनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हैंडलूम इंडस्ट्रीज की वजह से पानीपत का नाम दूसरे देशों में भी मशहूर है । यहा पर करोड़ों रुपये का हैंडलूम कपड़ा बनता है और यह शहर हिन्दुस्तान से ही नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों से भी फारेन ऐक्सचेंज के रूप में पैसा कमाता है । लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज कल हैंडलूम इंडस्ट्रीज बहुत क्राइसिस में हैं । हैंडलूम इंडस्ट्री एक घरेलू दस्तकारी है, लोगों के घर घर में खड्डियां लगी हुई हैं । यूक कारीगर जो आज किसी खड्डी पर बैठा है, अगर दो दिन बाद उसके पास किसी दूसरी किस्म का कपड़ा बुनने के लिये आ जाता है तो उसकी जगह दूसरा रखना पड़ता है । दूसरे कपड़े का माहिर उस खड्डी पर बैठता है । यही कारण है कि कारीगरों को मंथली बेसिज पर नहीं रखा जा सकता । वे डेली वेजिज पर होते हैं, इसलिये वहां पर ई0 एस0 आई0 की स्कीम उन वर्कर्स पर नहीं लागू की जानी चाहिये । क्योंकि एक वर्कर जो एक खड्डी पर बैठा है उसको दूसरी खड्डी पर जाना पडता है । इस कठिनाई की वजह से खड्डी की इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता यू 0पी 0 में जा रही है । कारपैट के मुताल्लिक इनसे डैप्रुटेशन भी मिला और इन्हें बताया कि रा-मैटीरियल राजस्थान से आता है । डिप्टी स्पीकर साहब राजस्थान से जो कारपैट आता है या वूल जाती है तो उस पर तो केवल दो परसैट सेल्ज टैक्स

लगता है लेकिन अगर हम पानीपत वाले कारपैट तैयार करके बाहर भेजते हैं तो एक तो 0 न राजस्थान से आती है और दूसरे हमें दस परसेंट सेल्ज टैक्स देना पड़ता है । तो आप ही बताए कि हम किस तरीके से मार्किट में दूसरे लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हैं । इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस ओर ध्यान दे वरना इस इंडस्ट्री की वजह से भारत में या दूसरे मुल्कों में जो पानीपत का नाम है, या भारत का नाम दूसरे देशों में 0ंचा है, वह महत्व इसका समाप्त हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता यह इंडस्ट्री यहां बन्द हो जाएगी । कारीगर लोग बिल्कुल बेकार हो जाएंगे । उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त लगभग 75 हजार आदमी इन इंडस्ट्रीज में लेबर के रूप में काम करते हैं । तो अन्त में मैं फिर सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह इसकी तरफ ध्यान दे और यह जो क्राइसिस है इसको दूर करने की कोशिश करे ।

वित्त मन्त्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) : स्पीकर साहब, यह जो बिल है इसके द्वारा हमारे मुहम्मद तुगलक की सरकार ने जो सन 7 3-7 4 में फालतू पैसा खर्च कर रखा है उसकी सैक्शन हाउस से मांगी गई है । इस बिल पर बोलते हुये स्वामी आदित्य वेश जी ने दो चार बातें कही हैं । शराब की बाबत हाउस में एक बार नहीं बल्कि कई बार सरकार की नीति बता दी गई है । कल भी अपने जवाब के अन्दर मैंने बताया था और पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमने शराब की 20 परसेंट कंजम्शन कम कर दी है, 120 गांव में ठेके बन्द कर दिये हैं, ड्राई डेज जो

पहले 15 हुआ करते थे वे अब 79 होंगे, ऐक्साईज ड्यूटी दस परसेंट से बढ़ाकर 20 परसेंट यानि डबल कर दी गई है । अब आठ रुपये वाली बोतल 14 रुपये की कर दी गई है । यह सब चार साल में जो हमारा शराब बन्द करने का प्रोग्राम है उसकी फस्ट फेज है । अगले साल इससे ज्यादा काम होगा और उससे अगले साल और भी ज्यादा काम होगा इसलिये बार बार हाउस के अन्दर पता नहीं ये क्यों इस बात को कहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, विज साहब ने कहा कि हैंडलूम और कारपेट इंडस्ट्री पानीपत से भाग रही है क्योंकि हमने वहां ई0 एस0 आई0 की स्कीम लागू कर दी । ई 0 एस0 आई0 की स्कीम तो हररू इंडस्ट्री पर, जिसमें 50 से ज्यादा आदमी काम करते हों, लागू हो जाती है । इसके लिये कुछ पैसा तो सरकार देती है, कुछ इंडस्ट्री देती है और कुछ मजदूरों से लिए जाते है ताकि मजदूर की सेहत की ठीक तरह से देख भाग हो सके । अगर ये कहें कि मजदूर को वैसे ही छोड़ दिया जाए और इंडस्ट्री में ई0 एस0 आई 0 की स्कीम लागू न की जाए तो यह मजदूर के हित की बात नहीं होगी । जनता पार्टी की सरकार अगर मजदूर के हित की बात न करे तो मैं यह अच्छा नहीं समझता । डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने लेबर लीडर्ज की और हैंडलूम इंडस्ट्रीरयलिस्ट की एक मीटिंग की थी । विज साहब भी उसमें थे । उसमें भी इन्होंने यह बात कही थी और मैंने कहा था कि अगर मजदूर इसमें पार्टिसिपेट करना न चाहते हों तो हम रीकसिडर करेगे लेकिन

अगर एक भी मज दूर चाहेगा तो सरकार उसको ई० एस० आई० स्कीम के तहत लेगी । यह मजदूर का कानून के तहत राईट है । इसे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाता ताकि यह किसी इंडस्ट्री के लिये घातक सिद्ध हो । इन शब्दों के साथ । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाए ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken in to consideration at once.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried

SCHEDULE

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) :

Sir, I beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be
passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed

The motion was carried.

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न० ३) बिल, १९७८

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) :
Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1978.

Sir, I beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी रिजक राम (राई) : डिप्टी स्पीकर साहब, सन् 78-79 का जो ऐप्रोप्रिएशन बिल हाउस में अन्डर कंसिडरेशन है मैं उस पर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ । ऐप्रोप्रिएशन बिल में जो प्रोविजन्ज किए गए हैं उनके बारे में तो मैं यह समझता हूँ कि आज के हालात में सरकार की तरफ से जो राशि इसमें रखी गई है वह एक साहसी कदम है । सरकार ने बाढ़ का संकट होने

के बावजूद भी सेल्ज टैक्स और आबियाना में जो बढ़ौतरी करना चाहती थी उसमें रियायत देने का फैसला किया है । इसके लिये सरकार धन्यवाद की मुस्तहक है । लेकिन दो तीन बातें में सरकार की गौर के लिये, विचार के लिये, रखना चाहता हूं । आज सरकार की व्यवस्था करना इतना आसान नहीं है । 25 या साडे पच्चीस करोड़ रुपये के घाटे का बजट सरकार ने पेश किया है और जो टैक्स में रियायत दी गई है इससे डेढ दो करोड़ या इससे भी ज्यादा का घाटा इसमें हो जाएगा । 331 करोड़ के करीब सरकार के जिम्मे कर्जा है । उसका वार्षिक ब्याज भी काफी देना पड़ता है और इस साल भी काफी देना पड़ेगा । इसके होते हुए भी सरकार ने, जो डिवैन्पमैट की प्लान्ज हैं, चाहे वह साहबी नदी के बारे में है, चाहे जमुना सतलुज लिंक के बारे में है, चाहे जवाहर लाल कौनाल की योजना है, चाहे बजे फ्लड कन्ट्रोल है इन सब पर काफी रकम खर्च करने का प्रोविजल किया है । मैं यह भी मानता हूं कि ये सारी योजनाएं हरियाणा के हितों के लिये और हरियाणा की प्रगति के लिये लाजमी हैं । कर्जा होने के साथ साथ भी सरकार ने फ्लड कन्ट्रोल पर पिछले साल भी काफी खर्च किया और अगले साल के लिये भी दुगने से ज्यादा रकम रखी है । यह बड़ा ही सराहनीय कदम है । लेकिन और भी मुश्किलात तेजी के साथ आ रही हैं जैसे सारे हरियाणा में ओलों से, बाढ़ से बड़ा भारी नुकसान हुआ है । जहां सरकार यह उम्मीद करती थी कि टैक्स के जरिए वसूली करेगी वहां सरकार को रियायतें देनी

पड़ेगी । आबयाने में, बिजली में रियायतें देने के साथ साथ रिलीफ वर्कस भी जारी करने के लिये कदम उठाने पड़ेंगे ।

12.00 बजे

सब से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो 210 करोड़ रुपये का प्रोविजन एप्रोप्रिएशन बिल में किया है उसको पूरा करने के लिये हम अपने आर्थिक साधनों में सफल हो जायेंगे या नहीं । डिप्टी स्पीकर साहब हमारे केन्द्रक।— बजट आया । कएन्द्र ने अपने बजट में ऐक्साइज ड्यूटीज को बढ़ाया है । बिजली पर, कोयले पर ऐक्साइज ड्यूटीज बढ़ायी हैं । इसलिये हमारी जितनी भी प्लानज हैं उन पर असर होना कुदरतन है चाहे वह जमुना सतलुज लिंक है चाहे दूसरी सड़कों की योजना है, चाहे पलड कन्ट्रोल है । कीमतों में लाजमी इजाफा होगा और जो हमारे प्लान. में प्रोविजन है, उस काम के करने में हम सफल नहीं हो सके गे ऐसी मेरी सम्भावना है । बिजली और कोयले पर जहां केन्द्र ने ऐक्साइज. ड्यूटीज बढ़ायी है उसका लाजमी तौर पर असर पड़ता है । बिजली बोर्ड जो हरियाणा में बिजली पैदा करता है चाहे वह थर्मल प्लांट है चाहे कोई दूसरा तरीका है उसके खर्च में बढ़ौतरी होगी । मेरा रफली अन्दाजा है कि बिजली बोर्ड को कोयले और बिजली की ड्यूटीज का 7-8 करोड़ रुपया ज्यादा देना पड़ेगा । इसलिए सरकार की ओर से जो एप्रोप्रिएशन बिल आया है यह में समझता हूं कि बड़ा भारी उत्साहिक कदम है । सरकार हरियाणा की भलाई के लिये और प्रगति केलिये बड़ा भारी प्रयास करना

चाहती है । इसके लिए मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहता हूँ लेकिन दो-तीन बातें जरूर अर्ज करना चाहता हूँ । इस सारे प्लान में जो आर्थिक साधन जुटाना चाहते हैं उनका क्या जरिया हो, क्या तरीका हो? मैं एक दो सुझाव दूंगा वह शायद सरकार को अपील करे । डिप्टी स्पोकर साहब, आपने देखा होगा कि देश के कितने प्रान्तों से इस बात की मांग आयी है कि केन्द्र और प्रान्तों के आर्थिक सम्बन्ध हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिये । वही ये प्रान्त ही नहीं चाहते हैं, जिनमें विरोधी पार्टियों की सरकार है बल्कि जैसे गुज-रात की सरकार है, दूसरी जगहों पर जहां जनता पार्टी की सरकार है वे भी चाहती हैं कि इनमें परिवर्तन हो । उनको केन्द्र के पास एक एक पैसे के लिये जाना पड़ता है । अगर हमारी सरकार भी चाहे तो केन्द्र के साथ सिस्टम में सुधार ला सकती है । 331 करोड़ का कर्जा हमारे पर है । हम उसके लिए सूद देते हैं लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि जो धन वहां पर इकट्ठा होता है टैक्सों के जरिये जो भी धन जाता है उसमें प्रान्तीय सरकारों का हिस्सा होता है । प्रान्तीय सरकारों से टैक्स लगा कर चाहे वह ड्यूटीज के जरिये, चाहे टैक्स टाइल हैं या दूसरे अदायरे हैं उनके जरिये केन्द्रीय सरकार में रुपया इकट्ठा होता है । फिर दिक्कत यह होती है कि सारी प्रान्तीय सरकारें दिल्ली की सरकार के दरवाजे खट- खटाती हैं । यह ठीक बात नहीं है । जिस प्रकार से दूसरी प्रान्तीय सरकारों की केन्द्रीय सरकार से मांग है, मैं भी उम्मीद करूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब अपनी सरकार की तरफ

सैं पूरा ताकत लगाये कि जो सैंन्टर सरकारने सिस्टम बनाया हुआ है उसमे तब— दीली हो वरना ये टैक्स लगते चलें जायेंगे । कोई भी हरियाणा बजट हो, चाहे सप्लीमेंटरी बजट हो हंरेक मै कोई न कोई नया टैक्स आयैगा लेकिन आज टैक्स सैचुरेशन प्वायंट पर पहुंचे हुए हैं । औज आप किसान पर टैक्स नहीं लगा सकते । अगर व्यापारी पर टैक्स लगाते हैं तो उसकी नाराजगी का कोई ठिकाना नहीं है । वहां पर भी टैक्स नहीं बढ़ा सकते । जहां तक इन्टर स्टेट ट्रेड का सवाल है उसमें अपिको अख्तियार नही है, कोआपरेटिव सैक्टर में टैक्स नही लगा सकते हैं । सब से अहम प्रश्न यह है कि हमारी सरकार इस बात के लिये क्यों चुप है जब छि और प्रान्तीय सरकारें इस बात पर जोर दे रही हैं? हमारी सरकार इस बात के लिये क्यों नहीं ताकत लगाती है । डिवैल्पमैट के लिये हम सैंन्टर से रुपया लेते हैं और सैंन्टर उस पर सूद लेता है । सैंन्टर के पास हम भीख—मंगों की तरह से खड़े रहते हैं । सैंन्टर की सरकार ने एलान किया है और बजट में भी लिखा है कि कृषि के लिये हम चालीस प्रतिशत खर्च करेगे लेकिन हमारी प्रान्तीय सरकार ने 75 परसैंन्ट खर्च करने का प्रोविजन किया है । दिल्ली की सरकार से हम चालीस प्रतिशत ज्यादा खर्च करेंगे लेकिन आप देखें कि केन्द्रीय बजट में योजना कमीशन ने चालीस परसैंन्ट नहीं दिया है । 40. 29 परसैंन्ट में केन्द्रीय बजट में कितनी ही मदे डाल दो हैं । उन्होंने फोरेस्ट को, कोआपरेटिव को, रोड्ज को, डिकिंग वाटर को, बिजली को, सोंगल वैल्फेयर वर्कस को सभी चीजों को ऐग्रीक्लचर मद में डाल दिया है । इन सब पर

40. 29 करोड़ रुपया खर्च करेंगे । हरियाणा का जो बजट है उस पर तो मैं टीका- टिप्पणी नहीं करना चाहता । हरियाणा में तो बात स्पष्ट है । कम्युनिटी डिवैल्पमेंट के लिये, को- आपरेशन के लिये पंचायतों के लिये, ऐनीमल हैसबैडरी के लिये, इन सारी मदों को मिला कर 22 करोड़ हमें दिया है । यह आपका दोष नहीं है । जो लोग योजना भवन में बैठे हैं, जो बड़े बड़े शहरों के लड़के हैं, सरमायेदारों के लड़के हैं उन्होंने दिया है । हम तो चाहते हैं कि देहात का उत्थान हो लेकिन वे नहीं चाहते हैं । हम तो कृषि को बढ़ाने के लिये ज्यादा रुपया खर्च करना चाहते हैं लेकिन वे बढ़ने नहीं देगे । इस साल का बजट आपने देखा है कि ड्हमें आपके इरादे को पूरा नहीं होने दिया और आगे भी नहीं होने देगे । इसलिये स्टेट जब तक इस बात की तरफ पूरी तवज्जुह नहीं देगी कि सैन्टर और स्टेट के रिलेशन में फाइनेन्शियल मामलों में तबदीली हो तब तक यह सरकार कभी भी अपनी प्लानों को पूरा नहीं कर सकेगी । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से मैम्बर। न ने, माननीय सदस्यों ने यह फरमाया हि स्माल सेविंग के लिये रुपया जबरदस्ती लिया जाता है । सरकारी अफसरान रुपया ले रहे हैं । असत में तो यह ठीक बात है । मैं यह मानता हूं कि जब बैनीफीशियल ऐक्टिविटीज जो स्टेट की हैं, उनके लिये पं सा लाने का कोई जरिया नहीं है तो यह जो स्माल सेविंग हो रही है, वह एक दरस्त कदम है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया है । आपने 12 मिनट ले लिये हैं ।

चौधरी रिजक राम : मैंने कितना बोलना है जी?

श्री उपाध्यक्ष : आपने 10 मिनट बोलना है ।

चौधरी रिजक राम : तो 10 मिनट मैं और बोल लगा ।
(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको यह बताया है कि आपको बोलते हुये 10 मिनट से ज्यादा यानी 12 मिनट हो गये हैं । अब आप वाइन्ड अप कीजिये ।

चौधरी रिजक राम : मुझे तो जनरल डिस्कशन पर भी टाईम नहीं मिला और न ही डिमान्डज के पर बोलने का मौका मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, आप तीन. मिनट और बोल लें ।

चौधरी रिजक राम : बहुत अच्छा जी । मैं बहुत जल्दी ही खत्म कर रहा हूं । मैं अर्ज कर रहा था कि स्माल सेविंग एक ऐसा साधन है जिसके जरिये सरकार कुछ हैल्प केन्द्रीय सरकार से भी ले सकती है । इसलिये अगर इसमें कुछ ऐलीमैन्ट आफ कम्पलशन भी कर दिया जाये तो कोई एतराज की बात नहीं बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि सभी आनरेबल मैम्बरों को उसमें सहायता करनी चाहिये । एक तरफ तो आप कहते हो कि टैक्स भी न

लगाओ और दूसरी तरफ आप यह भी चाहते हो कि गवर्नमैट काम हल्केवाईज करें । स्टेट की बैनीफीशियल ऐक्टिविटीज के लिये उन लोगों के पास जिन के पास बेकार रुपया पडा हुआ है, उसको नि- कालने के लिये अगर अफसरों की कुछ- मदद ली जाये और सरकार की ताकत भी लगा ली जाये तो मेरी समझ में नहीं आता कि व्या आपत्ति है? मैं अपनी सरकार से निहायत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि स्माल सेविंग की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दी जाये । जो मेरे साथी इस बारे में कम्प्लेंट करते हैं, वे मेरे ख्याल में अपनी रायको दोहरायेने और इस स्कीम में मदद करेंगे । तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जो यह नान- डिवैल्पमैटल ऐक्सपैडीचर है, इसको कम करे । नान-डिवैल्पमैटल ऐक्सपैडीचर पहले ही 40 परसैट से ज्यादा है । जो भी प्लान आप बनाते है, छोटी से छोटी नई स्कीमें जो बाते हैं, उसमें भी बेरोजगारों की तरफ से यह कोशिश की जाती है कि नई नौकरियां पैदा की जा ये । मेरा कहने का मकसद यह है कि नई स्कीमों में नयी नौकरियों के लिये मांग आ जाती है । 40 पर सैटरै वेन्यू स्टेट का नान डिवैल्पमैटल ऐक्टिविटीज पर खर्च हो रहा है । डिप्टी स्पीकर साहब, जिस वक्त हरियाणा बना, उस वक्त हरियाणा में सिर्फ 97 हजार मुलाजिम थे । लेकिन आज आप खुद देखें कि एक लाख और 59 हजार मुलाजिम हैं । यही नहीं आये यहीने नयी भर्ती होती रहती है । आप ही देखिये नान-डिवैल्पमैटल ऐक्सपैडीचर की इन्तहा हो रही है । चूंकि टाईम कम है, इसलिये मैं एक दो बातें ही कहूंगा और जर दी ही खत्म

करूंगा । मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आज जैसे शहरों की डिवैल्पमेंट का सवाल है, म्युनिसिपल कमेटीज वहां पर फंक्शन कर रही हैं, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग का महकमा है, वह भी जमीन एक्वायर करता है, वह भी अपना फंक्शन अदा करता है । हरियाणा सरकार ने अभी एक हारियाणा अरबन डिवैल्पमेंट अथारिटी भी बनायी है । वह भी इसी काम के लिए है । आप देखिये एक ही काम के लिये 4 संस्थाये हैं और तकरीबन वही एक सा काम कर रहे हैं । आप ही बताइये कि इन चार-चार संस्थाओं की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग की और हरियाणा अरबन डिवैल्पमेंट अथारिटी की जबकि हमारे यहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्टस है? मैं यह समझता हूँ कि हरियाणा अरबन डिवैल्पमेंट अथा- रिटी में सिवाय इसके कि अपने कुछ आदमियों को आप अकोमोडेट कर लोगे, और कोई बात नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहब, जो इन्जीनीयर्ज या दूसरे अफसर पी0 डब्ल्यू0 डी 0 में लगे हुये हैं, उनको डैपुटेशन पर हरियाणा अरबन डिवैल्पमेंट अथारिटी में भेज दिया है और इनकी जगह नये आदमी लगा लिये जायेगे । डिप्टी स्पीकर साहब, काम वहीं है लेकिन उनकी संख्या में इजाफा किया जा रहा है । फिर डैपुटेशन अलाउन्स भी अलग से दिया जाता है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कोआप्रेसन विभाग की बात लेता हूँ कोआप्रेसन में लैंड मॉर्गेज बैंक है, इधर आपका स्टेट बैंक है । जब हम कर्का रिजर्व बैंक से लेते हैं तो रिजर्व बैंक से पहले वह स्टेट बैंक को आता है । स्टेट बैंक कुछ मुनाफा इष्टैरिस्ट पर लेकर फिर उसको मॉर्गेज बैंक को देता है । मैं कहता हूँ कि

सीधा रिजर्व बैंक आफ इंडिया से हमारा लैड डिवैल्पमेंट बैंक क्यों न ले ले इससे इन्टैरस्ट में कुछ किरफायत हो जायेगी और जो किसान को आप कर्जा 18-17 परसेंट इन्टैरस्ट पर दे रहे हैं, वह 11 या 10 परसेंट पर दे सकते हैं। आप अगर बजट के खर्च में कमी करके दिखायें तो हम आपको मानेंगे कि वाकई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप उन आदमियों को नाराज नहीं कर सकते जो आपने अकोमोडेट कर रखे हैं तो बात नहीं बनेगी। कुछ अफसर ऐसे हैं कि उन्हें जब कोई ऐसी मूव होती है कि रिट्रैन्चमेंट की जाये, तो पहले ही पता चल जाता है। वे अफसर आपके ऐसे इशारे को नाकामयाब कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया है।

चौधरी रिजक राम : मैं दो मिनट में खत्म करता हूँ। मैं दो बातें चीफ मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो ऐडवाइजर्स अपने बनाये हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं की। इनके ऐडवाइसर्स जो हैं वे मिनिस्टर हैं और डिपार्टमेंट के जो सैक्रेटरी होते हैं, वे इनके ऐडवाइजर्स हैं, मगर इन्होंने जो नये अफसर भर्ती कर लिये हैं, उन्हें हटा दे। आप ही देखें इन ऐडवाइजर्स की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। न तो वे हाउस को अनसरेबल हैं और न ही किसी पब्लिक के आदमी को अनसरेबल हैं। आप ऐसे आदमियों को अप्वायंट कर लेते हो जो 19-19 साल से पहले कुछ नहीं था, उसको होम सैक्रेटरी के पर ला कर बिठा दिया। मैं कहता हूँ कि इस तरह से आप की

ऐडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकेगी । आपकी ऐडमिनिस्ट्रेशन के सारे सैक्रेट्रीज नाराज होंगे । आपने एक जूनियर एस0पी0 को जो रिटायर्ड है, आई0जी0 और होम सैक्रेटरी के पर लाकर बिठा दिया । इससे मेरी राय में सर्विसिज ठीक तरह से चल नहीं सकती और दूसरे यह फिजूल का खर्च है । मैं आपको यह बताता हूँ कि एक केस 8 महीने से पड़ा हुआ है । नये मिनिस्टर्ज आये लेकिन आज भी वहीं पड़ा है । मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐडवाइजर्ज चाहे नये लगायें या पिछलों से ही काम चलायें, कागज तो उसी स्पीड से होंगे । मैं यह सुझाव देता हूँ कि अगर पुराने ऐडवाइजर्ज में कुछ कमी है तो उनको ट्रेनिंग दे लो । फिर स्वामी अग्निवेश जी यहां नहीं । अगर वह यहां पर होते तो मैं उनको बताता कि जब वे चेयरमैन बनाये गये, उससे पहले उन्होंने क्या ब्यान दिया था कि चेयरमैन का आफिस किसी भी एम0एल0ए0 को नहीं दिया जाना चाहिये । उन्होंने चेयरमैन का ओहदा कबूल किया । कुछ इन्होंने इम्प्रूवमैट ट्रस्ट के मैम्बर बना दिये । मैं यह अर्ज करता हूँ कि हमारे मैम्बर साहेबान का भी फर्ज बनता है कि हम चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ मजबूत करें और जिन मैम्बरों ने यह ओहदे लिये हुये हैं, वे उन्हें छोड़ दे । वे वैसे ही सरकार की मदद करें । यह नहीं दिखाई देना चाहिये कि वह आफिस आफ प्रोफिट लेकर ही, महज इस इस वजह से ही कि उन्हें कोई न कोई ओहदा दिया हुआ है, सरकार के साथ हैं । ये जो कुछ मैम्बर्ज को ओहदे दिये हुए हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं । डिप्टी

स्पीकर साहब इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है ।

कैप्टन मांगे राम (झज्जर अनुसूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट 1978-79 का रखा था, हाउस ने पुरजोर तालियों की गूँज से उसका समर्थन किया है । इसमें कोई शक नहीं कि नये साल का यह जो बजट तैयार किया गया है, इसमें कुछ टैक्स लगाये गये थे । आबियाना या वाटर टैक्स हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सब एम0 एल0 ए 0 साहेबान की आवाज को और जनता की आवाज को ध्यान में रखते हुए माफ किया है । इसके अलावा व्यापारियों पर जो सेल्ज टैक्स का सरचार्ज व। वह 15 परसेंट से घटा कर 2 परसेंट कर दिया है । इसीतरह से मैं आशा करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब जनता की जो शिकायत हैं, वह दूर करते रहेंगे चूंकि मैं झज्जर हल्के से आता हूँ इसलिये मैं अब झज्जर हल्के की बात करूंगा । फ्लड की वजह से झच्चर में बहुत नुकसान हुआ है । इसमें कोई शक नहीं है कि जनता खरवार ने सिरकी., राशन और खाद तथा टैरक्टर से लोगों की बड़ी मदद की है लेकिन अभी तक कुछ गांव ऐसे हैं जो दो-तीन तरफ से पानी में घिरे हुए हैं और वे गांव हैं रतनयल, फतेहपुरी, निवादा, खेतावास, कनवा, भीडीवास, कुजिया, कोट, सूरा, क्लोई, खेडी, होसदारपुर, कडादा, रनखंडा आदि । वह पर कोई ड्रेन बनाकर पानी- को ड्रेन आउट किया कौए जिससे वे लोग कुछ चारा वगैरह बो सकें और अपना

गुजारा कर सकें रतनथल गांव जहां कि चार सौ घर की आबादी है और फौजी गांव है वहां के तमाम कच्चे मकान गिर गये और गांव के हरिजन तथा बैकवर्ड लोगों ने गांव के बाहर किसी एक जमींदार की 0ंची जगह पर अपनी झोपडिया डाल रखी हैं । ये सत्तर या अस्सी घर है और ये लोग अपनी पुरानी जगह जो कि नीची है, पर जाना नहीं चाहते हैं । उन लोगों की प्रार्थना है कि ग्राम पंचायत द्वारा शामलात देह की जमीन में से उस 0ंची. जमीन के बदले कुछ जमीन उस जमींदार को दे दी जाए । दूसरा गांव कलोई है वहां पर भी यही हालत है और तीसरा गांव मारोत है । यहां के लोगबाहर खेतों में पड़े हुए है, उनका जरायेमाश कोई नहीं है इसलिये उनको कोई ग्रान्ट देने की कृपा की जाएं जिससे उनका गुजारा हो सके । रतनथल के लोगों की मांग है कि वे पानी से धिरे हुए है इसलिये ग्राम हांसावास से रतनथल तक चार किलोमीटर पक्की सड़क बना दी जाए जोकि लिंक बांध का भी का न कर सकती है और गांव के लोग मैन रोड से गुरावडा तक पहुंच सकते हैं । रतनथल वालों की कह भी मांग है कि चूंकि वे फौजी लोग हैं इसलिये मिलिटरी पुलिस की भर्ती हर तीन-चार महीने के बाद या छ-महीने के बाद की जाए ताकि बेरोजगारी का मसला दूर हो सके । इस गांव का सकूल स्की तक पानी से धिरा हुआ है । उस पानी को निकालकर स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत की जाए । मेरे हल्के के एक-दो स्कूलों को मिडिल से हाई स्कूल अपग्रेड किया जाए और इस बारे में प्रार्थना है कि सप्लीमेन्टरी डिमांडज में जो ऐजुकेशन- की डिमांड है उसको तीन प्रतिशत से पांच प्रतिशत

किया जाए जिससे कि स्कूलों को आसानी से अपग्रेड किया जा सके और धन की कोई समस्या न आए ।

डिप्टी स्पीकर साहब,रोडज के बारे में आई0पी0एम 0 साहब ने यकीन दिलाया है कि झज्जर हल्के में फलड से जो सड़के खराब हुई हैं उनकी जल्दी ही रिपेयर कर दी जाएगी और ऐप्रोच रोडज भी बनाई जाएंगी ताकि जनता को आने जाने में कोई दिक्कत न हो

डिप्टी स्पीकर साहेब, अब मैं झज्जर शहर की कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूं । उसकी आबादी 27 हजार तक पहुंच गई है । वहां सीवरेज का जो पहले का काम है वह इनकम्प्लीट पड़ा है । शहर की लाइट तथा गलियों की बुरी हालत है । वहां पर सड़कें भी टूटी हुई हैं । उनको ठीक किया जाए । झज्जर में इस वक्त असिस्टेंट ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंज आफिसर है और चूंकि वहां की आबादी 27 हजार तक पहुंच चुकी है इसलिये वहां पर डिस्ट्रिक्ट लैवल का ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंज आफिस होना चाहिये । इस वक्त जो असिस्टेंट ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंज आफिसर है उसको अपग्रेड करके डिस्ट्रिक्ट लैवल का ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंज आफिसर बनाया जाए जिससे बेरोजगारी दूर हो सके । सैनिक तहसील होने की वजह से एक्स-सर्विस मैन का रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है इसलिये जरूरी है कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट लैवल का आफिसर हो, वहीं पर पूरा स्टाफ हो जिससे काम ठीक तरह से चल सके ।

इस सपने झज्जर में आई0 टी0 आई 0 गर्ल्ज स्कूल किराए की बिल्डिंग में चल आग्रेनाइज किया जाए है और वहां पर सिर्फ एक लेडी टीचर है । मेरी प्रार्थना है कि इसको पूरी तरह से प्र 'गेंग-इज किश जाए और वहां पर पूरा स्टाफ, फर्नीचर, बिस्टिंग और मशीनरी का बन्दी- बस्त किया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, वहां के लोगों की एक पुरानी डिमान्ड है कि बहादुरगढ से चर्खीदादरी वाया झज्जर या चर्खी दादरी वाया झज्जर से फरुखनगर के लिये रे चो लाइन कायम की जाए जिससे कि दस्तकारी की तरक्की हो और वहां पर फ़ैक्टरी वगैरह कायम हो सके । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के में गुडियानी एक बड़ा गांव है और उसका पानी तथा उसके आसपास के गांवों का पानी खारा है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वहां पर वाटर सप्लाई की स्कीम शुरू की जाए और जइदी ही वहां पर -पानी की टंकी बताई यानी चाहिये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, 1 973 में चौधरी चांद राम ने एक आन्दोलन शुरू किया था और उस समद. एक संघर्ष समिति भी बनी थी । यह आन्दोलन बीड सुनारवाला, सच्चर और छूछकबास में जो नजूल लैड थी उसका ओनरशिप राइट दिलाने के लिये यह आन्दोलन किया गया था और सरकार ने उस डिमान्ड को मान लिया था लेकिन अभी तक हरिजनोंको ओनर- नि राइट्स नहीं मिले हैं । इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि ओनरशिप राइट जल्दी से जल्दी उन लोगो को दिया जाए जिससे कि जनता पार्टी

का विकार हरिजनों में भी बढ़े और चौधरी देवी लाल के सिर यह सेहरा बन्ध सके । डिप्टी स्पीकर साहब रावण— हेडा जो कैवल में है और हिसार बीड में भी हरिजनों के पास नजूल लैड है उनकी भी यही डिमान्ड हु कि उनको उस जमीन का ओनरशिप राइट दिया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, झज्जर के पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग और मवेशी अस्पताल की बिल्डिंग टूटी हुई है जिससे कि जनता को बड़ी परेशानी है । मेरी प्रार्थना है कि इन दोनों बिल्डिंगों को जइदी मुकम्मल करवाने की कृपा करें । मेरी एक डिमान्ड और है कि झज्जर को बैकवर्ड इलाका करार दिया जाए जिससे सरकारी मुलाजमों को हाउस रेन्ट मिल सके और हल्के की जनता को भी फायदा हो सके । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस फ—पता सरकार का दुबारा शुक्रिया अदा करता हूं जिसने फलड के दौरान धिरे हुए लोगों की दिल और जान से मदद की । अन्त में मैं डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मन्त्री जी बोले गे ।

वित्त मन्त्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) : डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है...

श्री इद्रजीत सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर! डिप्टी स्पीकर साहब मैं भी बोलना चाहता हूं...

श्री शमशेर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, आज तक ये नहीं बोले हैं । इनको बोलन का टाइम दिया जाना चाहिये । ये

एक ऐसे मैम्बर है जाए न बजट पर बोले है और न ही गवर्नर ऐड्रेस पर बोले हैं । इनको बोलने का समय मिलना चाहिये ।

Mr. Deputy Speaker : I would draw the attention of the Hon. Members to rule 203(5) which reads—

"The Speaker may, in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in the discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise "

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि इस बिल पर काफी बहन हो चुकी है । चौधरी. रिजक राम ने एक दो प्वायंट उठाए हैं । उन्होंने कहा कि इन्कम टैक्स का जो पैसा इकट्ठा होकर सैन्टर को जाता है उसके बंटवारे को कोशिश सरकार को करनी चाहिये । डिप्टी स्पीकर साहब, उनको मालूम होगा कि जस्टिस शेहलत के अन्डर एक फाइनेन्स कमिशन का गठन हो चुका है और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब भी हम उस फाइनेन्स कमिशन के सामने हरियाणा का केस लेकर जाएंगे तो अपना हिस्सा लेने की पुरजोर कोशिश करेंगे । डिप्टी स्पीकर साइज, स्माल सेविंग एक ऐंसी स्कीम है कि एक तो उससे आने वाली पीढ़ी और मौजूदा पीढ़ी में बचत की भावना पैदा होती है और दूसरे जो पैसा इकट्ठा होता है उसके बराबर रकम की सैन्टर से मदद मिलती है और इस तरह हरियाणा की खुशहाली में बढौतरी होती है और जैसा कि सवालों के जवाब में भी बताया गया तथा सदन में आश्वासन भी दिया गया

कि स्माल सेविंग के लिये पैसा इकट्ठा करने में सरकारी अधिकारियों की तरफ से किसी आदमी पर कोई दबाव नहीं दिया गया । इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि इस बिल को पास कर दिया जाए ।

Mr. Deputy Speaker : Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once. The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) :

Sir, I beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be passed.

Shri Mool Chand Jain : Mr. Deputy Speaker, I want

to speak on the third reading of the Bill.

Mr. Deputy Speaker : Yes, you may speak.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका) : डिप्टी स्पीकर साहब अब इस साल के बजट का अन्तिम मरहला इस हाउस में पेश है और मैं कुछ बातें इस मौके पर अपने लीडर के नोटिस में और वित्त मन्त्री के नोटिस में लाना चाहता हूँ । मैं अपनी सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस बजट में जो आबियाना दस प्रतिशत बढ़ाया था वह वापिस ले लिया और दूसरी बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि पिछले अक्तुबर सेशन में सेल्ज टैक्स पर जो दो प्रतिशत से 15 प्रतिशत सरचार्ज किया था उसको भी वापिस ले लिया है । वास्तव में वह व्यापारियों पर टैक्स नहीं था वह तो कंज्यूमर्ज पर टैक्स था । इस बढ़ौतरी से व्यापार पर असर पड़ता था और हमारी सरकार ने इस चीज को महसूस किया तथा उसको वापिस ले लिया । यह भी दरुस्त बात है कि इस साल का बजट पहले बजटों के मुकाबले जो पिछले साल आया था या उससे पहले साल आया— था उनके मुकाबले यह बजट प्रो—फारमर और देहातों की तरक्की का बजट है । उस हद तक मैं सरकार को बधाई देता हूँ । कुछ बातों की कसर रह गई है जिनकी तरफ यह सरकार अब भी नोटिस ले सकती है । जो कसर रह गई है उन चीजों की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा जो घोषणा—पत्र था और उसके बाद जनता पार्टी का जो इकोनॉमिक पालिसी पर

नवम्बर के महीने में स्टेटमेन्ट जारी किया गया था, मैं समझता हूँ कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर और कैबिनेट के अन्य वजीरों के नोटिस में वह स्टेटमेन्ट आया होगा । उस स्टेट-मैन्ट में जनता पार्टी ने, जो अखिल भारतीय जनता पार्टी है, उसके हाई कमांड ने अपनी आर्थिक नीति के बारे में जो व्यान दिये उसमें उन्होंने कहा कि हम पैदावार बढ़ायेंगे । उसमें तीन बुनियादी बातें रखी गई हैं पहली यह कि पैदावार को बढ़ाया जायेगा, और पैदावार की ठीक तरीके से तक-सीम होगी । यह नहीं होना चाहिए कि चलाई जल. । ई तो और खा जाये लेकिन जो कोक है वह दूसरे खाए- । तीसरे बात यह है कि जो गरीब अमीर का आपस का फासला है, खाई है, क्योंकि अमीर तो पहाड़की चोटी पर जा पहुंचा है और जो गरीब है, वह बहुत ही नीचे जा गिरा है, उस खाई को हमेशा के लिये खत्म करमा होग! । गरीब आदमी जो है वह तो गुरबत की रेखा से भी नीचे चला गया है । उनकी तादाद पहले से कांग्रेसी राज्य में ही दोगुनी हो गई थी । अब देखना यह है कि उन लोगों की तरफ हमारे बजट में कितनी प्रोवीजन रखी गई है । किस हद तक हमारी सरकार का ध्यान उन लोगों की तरफ गया है?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवीलाल) : टाईम की तरफ भी ध्यान दें ।

श्री मूल चन्द जैन : जहां तक टाईम का सवाल है पहले तो यह हुआ करता था कि चार डिमांडज के लिये 8 दिन रखे

जाते थे और आप आज ही सारे मामले को एक ही दिन में करवाना चाहते हैं । अच्छा होता अगर बाकी के बिल किसी और दिन रखे जाते । तो मैं कहना चाहता हूँ डिप्टी स्पीकर साहब, अगर मैं इररैलेवैट बोलूँ तब तो आप मुझे बेशक न बोलने दें लेकिन मुझे यहां पर खुलकर बोलने का हक है । फिर भी कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपनी सारी बातें कह डाल । तो मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की आबादी 1 करोड़ 20 लाख के करीब है उन में कितने सारे लोग गुरबत की रेखा से नीचे हैं । इनके लिए सरकार ने अपने बजट में क्या किया है, देखने की बात तो यही है । वैसे प्लान ऐक्सपेंडीचर को बढ़ाया गया है और इसे 210 करोड़ रुपये तना ले गये । प्लानिंग बोर्ड हरियाणा ने एक करोड़ रुपया घरेलू दस्तकारी को बढ़ावा देने के लिए रिकमैड किया था लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वह एक करोड़ रुपया जो प्लानिंग बोर्ड ने स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिए रखा था, वह कट गया और फायनैन्स मिनिस्टर उत्तर तो शायद दे देंगे कि हमने 217 करोड़ रुपये का प्लान रखा था लेकिन प्लानिंग कमिशन ने हमें 210 करोड़ की मंजूरी ही दी है तो मैं कहता हूँ कि यह एक करोड़ रुपये का कुल्हाडा स्माल स्केल इंडस्ट्री पर क्यों चलाया गया?

श्री दीप चन्द भाटिया : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा एक प्वांयट आफ आर्डर है । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमें दो मिनट भी मुश्किल से

बोलने नहीं दिया जाता है और जब श्री मूलचन्द बोले तो उनको कभी टाईम देने के बारे कोई औब्जैक्शन नहीं किया जाता, चाहे वहू घण्टों बक बोलते जाएं । क्या यह दूसरे मेम्बरों के साथ अन्याय नहीं है? (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : जैन साहब, आपको बोलते कम से कम 10 मिनट हो गये हैं । दो मिनट और बोलकर आप अपनी स्पीच खत्म करें ।

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो जल्दी ही खत्म करूंगा, ये मुझे बोल मे तो दें, ये मुझे बीच में न टोके । मैं आपको बताता हूं कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इडली एण्ड माइनिंग के लिए 12. 71 करोड़ रुपया रखा गया था, चार वर्षों में 7. 92 करोड़ रुपया खर्च हुआ और पांच करोड़ रुपया बच गया जोकि पांचवें वर्ष में खर्च होना चाहिए था लेकिन इसके अन्दर इंडस्ट्री और माइनिंग के लिए केवल 2 करोड़ रुपया रखा गया है । जो रुपया पांचवीं पंच वर्षीय योजना के लिए रखा हुआ था, उसको भी पूरे का पूरा खर्च नहीं किया गया और हैरानी की बात यह है कि जो रुपया बचता था उसका भी एक तिहाई रुपया रखा गया है । (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य **चौधरी खुरशीद अहमद पदासीन** हुए) तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह सारा रुपया जो बचता था वह कहां चला गया? चौयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे छोटे गरीब किसान हैं जिनके पास मुश्किल से आधा एकड भूमि होगी उन की तादाद

काफी है । अगर यह सारा रुपया खादी बोर्ड को दे दिया जाये तो गरीब लोगों को उससे काफी रोजगार मिल सकता है । अब भी अगर हमारा ध्यान इधर हो जाये तो इससे गरीबों का काफी भला हो सकता है । बड़े बड़े उद्योग न्धे खोलने की बजाये जिन पर लाखों करोड़ों रुपये का खर्च आता है, अगर उनकी जगह पर स्माल स्केल इंडस्ट्री रुपए बढ़ावा दिया जाये जोकि पांच पांच सात सात सौ रुपये से ही खुल सकती हैं तो इस से गरीब आदमियों का काफी भला होगा और उनको रोजगार भी मिल सकेगा । इस लिये गेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि वह इस तरफ ध्यान दे । **चौधरी** चरणसिंह जी ने जो किताब लिखी है, उसमें भी इन सारी बातों का जिकर आया है और जो हमारी जनता पार्टी की आर्थिक नीति है, उसमें भी इस बात का हवाला दिया गया है । तभी मैंने भी इस अपनी बात पर ज्यादा जोर दिया है ।

इससे आगे चौयरमेन साहब, सरकार को अपने पड़ोसी प्रदेश पंजाब कीतरह करना चाहिए । अभी उन्होंने एक बड़ा अच्छा पग उठाया है जोकि लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलवाने में मदद करता है । पंजाब ने अभी 40 से लेकर 50 रुपये तक बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को अलांस देने का फैसला किया है जोकि एक बहुत अच्छा कदम है । हमारी स्टेट में भी बड़ी तादाद में प्रेसे बेरोजगार नौजवान मौजूद हैं । उनका नाम 4, 5, 6 वर्षों से रोजगार कार्यालय में मौजूद है पर उन्हें आजतक नौकरियां नहीं मंत्री हैं । आखिर इस तरह कैद तक यह समाज

का काम चलता रहेगा ? नौजवान लोग काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिलता । इस लिए मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि बेरोजगार नौजवानों की तरफ भो ध्यान दिया जाए । जिस प्रकार सरकार खेती के लिए रुपया देती है, बिजली के लिए देती है, नहरों के लिये देती है उसी प्रकार देहातों में स्माल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ज्यादा माता में पैसा देना चाहिए ताकि इस से लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और गरीब आदमी भी अपनी गुरबत से छुटकारा पा सकें ।

चेयरमैन साहब, मैं ज्यादा टाईम न लेता हुआ अब आखिर में सोशल वैंल्फेयर डिपार्टमेंट के बारे कहकर खत्म करूंगा जिसके अन्दर एजुकेशन भी आता है, मैडिकल भी आता है और जहां हमने बजट में 42 परसेन्ट बढ़ौतरी पिछले साल के मुकाबले में की है, जिसमें सब कुछ आ गया । पर मानव की क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है और मानव की क्वालिटी को बेहतर ' बनाने के लिए जो काम है उसके लिए 42 करोड़ रुपया फालतू में क्यों रखा गया है? जितना रुपया पहले खर्च किया जाता था इन आइटम्ज पर उतना ही या कुछ ज्यादा रखा गया है इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस के लिये और पैसे की प्रोवीजन रखी जाए ताकि विद्या, स्वास्थ्य हरियाणे के नागरिकों का सुधारे और मानव की क्वालिटी इम्प्रूव हो और लोगों को हर काम में सहूलियत हो । इन लफ्जों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

चेयरमैन साहब, बातें तो मैंने और भी बहुत कहनी थी पर टाईम की कमी के कारण अब नहीं कह पाउंगा ।

वित्त मंत्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) : चेयरमैन साहब, जहां तक इंडस्ट्रीज की बाबत बाबू जी का सवाल है यह तो मुख्य मन्त्री जी ने हाउस में बता दिया था कि इसके लिए जितना धन चाहिए वह उपलब्ध कर दिया जाएगा । इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है । इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने कल ही एलान किया था लेकिन पता नहीं बाबू जी को किस बात का डर हो जाता है । मैं निवेदन करूंगा कि इसको पास किया जाए ।

Mr. Chairman : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा प्राइवेट कालेजिज (टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट) बिल, 1978.

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Bill, 1978.

Sir, I beg to move-

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी हर स्वरूप बूरा (मेंहम) : चेयरमैन साहब, हाउस के सामने प्राइवेट कालेजों को टैम्पोरेरी तौर पर टेक ओवर करने के लिये सरकार जो बिल लाई है मैं उसका स्वागत करता हूँ और साथ ही सरकार का धन्यवाद का ता हूँ । चेयरमैन साहब, वैसे तो यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिये था लेकिन एक कहावत है कि देर आयद, दुरुस्त आयद । इस बिल के अन्दर जो प्रोवीजज रखी गई हैं अगर हम उनको पूरी तरह से देखें तो पाएंगे कि आज हमारे प्राइवेट कालेजों में शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका था कि उस खामी को दूर करने के लिये यह बिल बहुत ही जरूरी था । इसके बारे में मैं ज्यादा न कहते हुए दो तीन बातें ही कहूंगा । चेयरमैन साहब, इस बिल के अन्दर प्रोवीजन केवल इतना ही है कि जो कालेज ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं उनके लिये तीन साल के लिये ऐड-मिनिस्टरटर लगा कर उनकी मैनेजमेंट सरकार टैम्पोरेरी तौर पर अपने हाथ में ले रही है जो उनमें मिस-मैनेजमेंट तथा इर-रैगुलैरिटीज थीं उनको दूर किया जाएगा । तीन साल के बाद वे कालेज मैनेजमेंट को फिर सौंप दिये जाएंगे । इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेट कालेजों की हालत बहुत खराब हो चुकी है । मैं सरकार से एक बात खासतौर पर कहना चाहता हूँ कि जहां हमारी सरकार ने इतना अच्छा बिल लाकर इस हाउस का ध्यान आ-कर्षित किया है वहां वह पे में डिसपैरिटीं को भी दूर करें । जैसे डी0 पी 0 और लाइब्रेरीयंज का केस है । इसके साथ साथ सिक्योरिटी आफ सर्विस का भी ध्यान रखा जाए । अगली बात मैं यह कहूंगा कि हमारी शिक्षा को उच्च

शिक्षा बनाने के लिये । सही शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिये यू 0 पी 0 पैट्रन लागू किया जाए । अगर इस बिल के अन्दर ये तीन चीजें शामिल कर ली जाये तो मैं समझता हूं कि शिक्षा का जो सही उद्देश्य है वह पूरा हो जाएगा । समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अन्तिम बात कह कर बैठ जाता हूं कि जहां पर प्राइवेट कालेज ठीक ढंग से चल रहे हैं उनको टेक ओवर न किया जाए और जहां पर कालेजों की बहुत ज्यादा जरूरत है जैसे कि मेरे हल्के मेहम के अन्दर बहुत दिनों से कालेज की मांग चली आ रही है वहां पर कालेज जरूर खोले जाएं । धन्यवाद ।

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली) : मोहतरिम चेयरमैन साहब, प्राइवेट कालेजों को लेने का नई किस्म का बिल जो हरियाणा गवर्नमेंट ला रही है इसकी मिसाल शायद सारे हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी । ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से बराबर ऐमरजैसी का रोना रोया जाता है और ज्यादातियों की बाब कही जाती है । लेकिन ऐमरजैसी के टाईम में भी अगर कोई बुरा काम हुआ तो इतना बुरा नहीं हुआ कि सरकार तालीम के मामले में हस्तक्षेप करें । हिन्दुस्तान में 90 प्रतिशत हायर एजुकेशन प्राइवेट संस्थाओं द्वारा दो जाती है यानि अगर देश में एक लाख कालेज हैं तो मेरे अन्दाजे से उनमें से 90 हजार प्राइवेट संस्थाओं में हैं और सिर्फ दस हजार कालेज यूनिवर्सिटियों और गवर्नमेंट के अंडर हैं । सरकार नेशनलाइजेशन की बात नहीं करती, सरकार नए कालेजों

को लेने की बात नहीं करती, जि?— कालेजों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है सरकार उनको ग्रान्ट दे ने की बात नहीं करती लेकिन सरकार बात करती है तनखाह बलुने की । जब सरकार के हुक्म से और यू० जी० सी ० के हुक्म से या यूनिवर्सिटियों के हुक्म से कालेज अपनाए फिलिएशन कायम रखने के लिए तनखाहें बढ़ाते हैंतो सरशार की तरफ से मदद नहीं मिलता। हालात ऐसे पैदा किये जा रहे है कि हमारे कालेज बर्बाद हो रहे हैं और फिर सरकार या यूनिवर्सिटियां उन्हें न चलाए बल्कि उसके अन्दर पालिटिक्स को दाखल किया जाए ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) : पालिटिक्स कहां दाखिल है?

राव बीरेन्द्र सिंह : चौधरी साहब, कालेज बनाने और चलाने बहुत मुश्किल है । आपने तो कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं बनाया लेकिन जिन्होंने इन कालेजों को बनाया उनके दिल से पूछिए.....

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) : आपकी तरह दुकानदारी नहीं चलाई

राव वीरेन्द्र सिंह : यह दुकानदारी नहीं है यह तो कालेज का मामला है, शिक्षा का मामला है ।

डाक्टर साहब, आप कोशिश करें रहे हैं कि मैं आपसे बात न करू ।

Mr. Chairman : No personal aspersions please.

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) :

Mr. Chairman : I would request the Hon. Minister to kindly take his seat.

राव बीरेन्द्र सिंह :

श्री सभापति : यह जो दोनों तरफ से कहा गया है (It should be expunged This is not in good taste).

राव वीरेन्द्र सिंह :

डाक्टर मंगल सैन : चेयरमैन साहेब, ये जबान पर लगाम वाले शब्द विद्‌डा किये जाए ।

Mr. Chairman : They are expunged. There is no question of withdrawal of such things.

राव बीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि एसोसिएशन बनाने का एक फंडामेंटल राइट है जो कि 42वे कांस्टीच्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी खत्म नहीं हुआ था कहीं उसे आप इस तरीके ने खत्म न कर दे कि कोई एसोसिएशन कायम न रहे, कोई कालेज खुला न रहे और कोई उसे चलो न सके या तो उन्हें नेज़नेलाइज करके चलाएं और सरकार अपनी जिम्मेदारो ले वरना प्राइवेट कालेज वाले इस चीज को बर्दाश्त नही करेंगे कि सरकार के जरिये से वे कालेज चलें और सरकार उनके अन्दर

अपना ऐडमिनिस्ट्रेटर और अपने— दूसरे आदमियों को नौकरियां बेने के लिये यह— काम करें । फिर आप लोगों की दया से अदालतें खुली हुई हैं लेकिन उन्हीं अदालतों का आप गला घोंट रहे हैं । इस बिल के अन्दर आप प्रोबाईड कर रहे हैं कि कोई सिविल कोर्ट बीच में दखल नहीं दे सकती, जो सरकार चाहेगी वह होगा । सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन भी खत्म और फण्डामेंटल राईट भी इस बिल के जरिए से खत्म कर दिये । अगर आप यहां कहते हैं कि जो कालेजिजं यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटिड होते हैं, यूनिवर्सिटी की शरायत के मुताबिक अगर कोई कालेज नहीं चलता और उसका विरोध करता है— तो यूनिवर्सिटी यह कंट्रोल लागू करेगी, अगर यह होता तो मैं इ बात को मान सकता था । लेकिन आपने एक—दम यूनिवर्सिटी को कैंडम कर दिया और स्टेटमेंट ऑफ औब्जेक्ट्स एन्ड रीजन— में कह दिया कि यूनिवर्सिटी के पास कोई कंट्रोल नहीं है और यूनिवर्सिटी कंट्रोल नहीं कर सकती । यह अटोनोमस बाडी पर, यूनिवर्सिटी पर पहला हमला है । हिसार यूनिवर्सिटी एक अटोनोमस बाडी है लेकिन सरकार उस अटोनोमस बाडी को खत्म कर रही है और सरकारी जरिए से यूनिवर्सिटी को चलाने जा रहे हैं । अगर इस बिल में आप यही कहते कि यूनिवर्सिटी को हम और पावर देना चाहते हैं, जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी की होती तो शायद कोई बात जंचने वाली होती । अगर आप यह कहते कि यूनिवर्सिटी ऐक्शन लेने के लिए पावर चाहती है तो हम यह यह पावर देते । जहां तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ताल्लूक है, उसका दफतर डी० पी० आई० के

दफतर में है और उसका बाईस चांसलर लगा ही नहीं सके । इसलिये नहीं लगा सके कि अगर वाईस चांसलर काबिल होगा तो इनकी हकुमत नहीं चलेगी । इसी लिये आप वहां बाईस चांसलर एप्वायंट नहीं कर रहे । ईस तरह से आपने यूनिवर्सिटी को बिल्कुल काट कर रख दिया

चौधरी लाल सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । मैं बहुत इज्जत के साथ दुरखास्त करूंगा कि इतनी अच्छी सरकार पर इल्जाम लगाना इनको शोभा नहीं देता (हंसी)

श्री सभापति : राव साहब, इल्जाम हो तो आप न लगाएं (हंसी)

राव वीरेन्द्र सिंह : लाल सिंह जी, आपके पर तो मैं लगा नहीं सकता, न आप एलीगेशन लगाने के लायक हो, आप क्यों मेरे पर नाराज हो रहे हैं? चेयरमैन साहब, सैक्शन 3 की क्लोज (1) में लिखा है --

"(1) Whenever the State Government, on receipt of a report from the University concerned or otherwise....."

यूनिवर्सिटी का और ढंग से कुछ न हो सके तो अदरवाईज से समझो सब कुछ हो गया । सरकार को अगर ख्वाब में खयाल आ जाए तो इस क्लोज से यूनिवर्सिटी पर हमला कर सकती है । युनिवर्सिटी पर अगर कब्जा करना है तो इसको अपने किसी आदमी के हाथ मे देकर, किसी सरकारी अफसर के हाथ में

देकर कब्जा कर सकती है, ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाना है तो अपनी मर्जी से लगा सकती है । अंदरवाईज लिखने से सब बात बन जाती है । कोई रिपोर्ट हो, कई शिकायत हो, कोई उई' इन्क्वायरी हो अदरवाईज से सब कुछ कर लिया । सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी खत्म है यह बिल कांस्टीच्युशन की सरासर खिलाफवर्जी करता है । हाई कोर्ट तो है ही, सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन सिविल कोर्टस में अगर आदमी जाकर मदद मांगे तो सिविल कोर्टस नहीं दे सकता क्योंकि इस बिल में कोई प्रोविजन नहीं है । पता नहीं सरकार को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जंजिज के पर क्यों एतबार नहीं है । अभी हाल ही में तो आपने उनके अमालुमैटस बंढाए हैं, फिर उन के पर सरकार को एतबार क्यों नहीं है, अब तो एतबार करना चाहिये । यह पावर उनको देनी चाहिये ताकि जिन लोगों के साथ सरकार ज्यादाती करती है, उनकी बात ये सुन सकते । इस किस्म का बिल इस हाउस में कतई तौर पर फ़ैक देना चाहिये, इसको मन्जूरी नहीं मिलनी चाहिये वरना यह ड्रैमोक्रेसी के पर और कांस्टी- च्युशन के पर, नाजायज तरीके से काम करवाने के लिये एक हथियार हासिल करने के लिये लाया गया है । अगर यह पास हो गया तो यह डैमोक्रेसी के पर और कांस्टीच्युशन के पर एक जबरदस्त चोट होगी ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री सभापति : हाउस में काफी बिजनैस है और टाईम कम है, इसलिये मैं चाहूंगा कि हाउस आधे घंटे के लिये ऐक्सटैंड कर दिया जाए । Do I have the sense of the House to extend the sitting for half-an- hour ?

(Voices : Yes)

Mr. Chairman : The sitting is extended by half-an-hour.

दि हरियाणा प्राइवेट कालेजिज (टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट)

बिल, 1978 (पुनरारम्भ)

श्री देवेन्द्र शर्मा (थानेसर) : चेयरमैन साहब, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में कल जब बात की थी तो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने यह बात कह कर मुझे टाल दिया कि यह औटोनौमस बौडी है । मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहूंगा कि हिसार यूनिवर्सिटी में वाईस चांसलर की अप्वायंटमेंट कैसे हुई? क्या उनकी अप्वायंटमेंट उनकी सलाह से हुई है, किसी पैनल से हुई है या किसी डैमोक्रेटिक सैट-अप से हुई है? मैं जानना चाहता हूं कि कैसे हुई है? जहां तक मुझे मालूम है, उसकी अप्वायंटमेंट गवर्नमेंट की सिफारिश से हुई है । यह मैं मानता हूं कि वाईस चांसलर की अप्वायंटमेंट थ्रू चान्सलर हुआ करती थी लेकिन अबकी बार गवर्नमेंट की सिफारिश से हुई है । इसी तरह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी

का वाईस चांसलर क्यों नहीं लगाया गया? जुलाई, 1972 में जगह खाली हुई थी लेकिन अब तक वहां कोई वाईस चांसलर नहीं भेजा जा रहा । सारी यूनिवर्सिटी का ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब हो गया है, कंजीनियल ऐटमासफीयर वहां चल नहीं या है, सारी यूनिवर्सिटी खराब हो गई है । प्रो-वाईस चांसलर को पूरी पावर नहीं दी गई और- ऐकेडमिक ऐटपासफीयर बिगड़ता जा रहा है । सरकार ऐडवाइजर पर ऐडवाइजर अप्वायंट करती जा रही है, इससे अपने सियासी मसले तो हल कर लिये हैं मगर ऐजुकेशन का सुधार नहीं होगा ।. चेयरमैनसाहब, मैं अपनी सरकार से गुजारिश करूंगा कि सरकार वहां वाईस चांसलर लगाए । बाईस चांसलर की पोस्ट प्योरली ऐकैडेमिक पोस्ट है इसलिये ऐकैडेमिक क्वालिफिकेशन का आदमी लगाया जाए, किसी ग्रुप को देखकर या किसी विशेष आदमी को देखकर न लगाया जाए इससे शिक्षा की हानि होती है । चेयरमैन साहब, मैं दूसरे-तीसरे नम्बर पर बोलना चाहता था जहां यूनिवर्सिटी के खर्च की बात कही जा सकती थी लेकिन मुझे टाईम नहीं मिला था । चेयरमैन साहब, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1965 में डाक्टर मूल चन्द जैन को जो मध्य प्रदेश में आई0 ए0 एस0 आफिसर थे, यूनिवर्सिटी का वाईस चांसलर लगा दिया गया था मगर थोड़े दिन के बाद उनको निकाल दिया गया था क्योंकि उनके विरुद्ध एक केस मिल गया था । इस किस्म की शिकायत हिसार यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर के खिलाफ भी आई थी लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी इक्वायरी क्यों नहीं की जा रही है ।

श्री सभापति : आप बिल के बारे में बोले ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : मैं गवर्नमैट से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गवर्नमैट इस मसले को हल करे और जो स्टैप्स लिये जाने चाहिये वह जल्दी लिये जाएं । इन शब्दों के साथ मैं बिल की तार्ईद करता हूँ ।

13. 00 बजे

श्री रण सिंह मान (बाढड़ा) : चेयरमैन साहब, शिक्षा पद्धति समाज की व्यवस्था का अग होती है । सामाजिक वातावरण के परिपेक्ष्य में ही इस बिल को एनालाईज करना उचित होगा । हमारे समाज में सियाने आदमियों ने यह समझ लिया हैकि एक इंडस्ट्री मुनाफा देती है, एक दुकान भी मुनाफा देती है और पूरे के पूरे सामाजिक वातावरण में उत्पादन की सभी चीजें मुनाफा के आधार पर तैयार होती हैं । उन सियाने लोगों ने इस ऐजुकेशन को भी, जो आदमियों को बेहतर बनने के लिये तैयार करती है, दुकानदारी के रूप में बदल दिया । उनका अन्त करण वास्तव में पाप से भरा था । यदि उनके मन में आदमी को बेहतर बनाने की बात होती तो निश्चय ही इस बिल का विरोध हम करते । चेयरमैन साहेब, हालांकि मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ लेकिन मैं इसे अधूरा समझता हूँ क्योंकि इससे कालेज में काम कर रहे ऐम्पलाइज और लैक्चरारज का इन्ट्रैस्ट वाच नहीं होता ।

इसलिये हमने एक अमैडमेंट भी रखी थी जो डिसअलौ हो गई ।
उस अमैडमेंट की मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ।

श्री सभापति : जो अमैडमेंट डिसअलौ हो गई उसको मत पढ़िए । आप अपने लफ्जों में उसकी जिस्ट बता दीजिए ।

श्री रण सिंह मान : चेयरमैन साहब, इस बिल में यह जिक्र नहीं आया किं सिक कालेज किन को करार दिया जाएगा । मेरी रिक्वैस्ट कह है कि ऐसे कालोजिज जिनमें तीन महीने से ज्यादा तनख्वाह नहीं दी जा सकती उन्हें सिक डिक्लेयर किया जाए और गवर्नमेंट उसेकी रिसीट को अपने पास रख ले और जो गैप रहे ऐम्पलाइज की सैलरीज का और रिसीट का उसको गवर्नमेंट कम्पनसेट करे या सरकार सारी रिसीट अपने हाथ में ले ले और ट्रेजरीज के जरिए उनको तनख्वाह दे । अगर फाईनैन्शाल इम्प्लीकेशन है तो उसके बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं । हरियाणा एक छोटी सी स्टेट है । गवर्नर का पद यहां हो तो कोई बात नहीं लेकिन खर्च जिस ढंग से हो रहा है उसको कम किया जाए ।

Mr. Chairman : Please do not bring in the Governor. It has nothing to do with the Bill under discussion. This is not the occasion for these things and you had better times for this.

Shri Ran Singh Mann : I will not repeat it. चेयरमैन साहब, बजट मे प्रशासनिक खर्चा 2 7. 86 करोड़ रुपया बताया गया है । इसमें भी कमी होनी चाहिये ।

श्री सभापति : आप प्राइवेट कालेजिज के बारे में कहे ।

श्री रण सिंह मान : मै उन्हीं की फाइनेन्शाल इम्प्लीकेशंज के बारे ने कह रहा हूं । इसी तरह से पुलिस पर भी खर्चा कम किया जाना चाहिये । ऐडवाइजर्ज की जो कमेटी 'सी' बना ई गई हए इसको भी तोड़ा जाए । 1 विघ्न) चेयरमैन साहब, मैं ज्यादा न कहते हुए यही अर्ज करना चाहता हं विय प्लान में ऐजुकेशन के लिये जो 6. 07 करोड़ रुपया रखा गया है यह नाकाफी है, इसको बढ़ा कर 1 0 करोड़ रुपया किया जाए ताकि गवर्नमैट सिक कालेजिज को टेक ओवर कर सके और प्राथमिक शिक्षा ठीक ढंग से दी जा सके वरना यह अमैड— मैट एक मजाक बन कर रह जायेगी और एक ऐडमिनिस्ट्रेटर नियक्तु करने से इस प्रोबलम का सोल्यूशन नहीं होगा ।

Shri Baldev Tayal (Hansi) : Mr. Chairman, I would draw the attention of the House to clause 3 of the Bill. This is a Bill to improve the conditions of the sick colleges, the so-called sick colleges. The first thing in the Bill is that the management will be taken over by the Government for a maximum period of three years. The basic defect in the Bill is that even assuming that a college is sick and the management is taken over by the Government for a maximum period of three years, it will again revert to the same Managing

Committee which, according to this Bill, was making persistent default for neglect of its duties. Hence, all the efforts of the Government will go waste and there is no guarantee that Managing Committee to whom the management is going to revert back will function properly or would see that the conditions of the college are improved. My submission before the House is that this Bill, as such, will be of no use. It will only mean an extra expenditure upon the head of the Government. The period of three years to improve the conditions of the college is a very short period in which nothing can be achieved and again the same persons, after that much of improvement and after spending that much money on the college by way of aid or financial help, would control the college because the management is to revert back to the same Managing Committee which was holding the college prior to the taking over of its administration by the Government. The best thing would be.....

श्री लहरी सिंह मेहरा : चेयरमैन साहब, मेरा एक प्वायंट ऑफ आर्डर है । क्या माननीय सदस्य हिन्दी में नहीं बोल सकते?

श्री सभापति : चूंकि ये कोर्ट में अंग्रेजी बोलते हैं इसलिये यहां भी अंग्रेजी में बोल सकते हैं । हाउस में दोनों ही भाषाएं बोली जा सकती हैं । लेकिन फिर भी अगर कोशिश हो सके और ये हिन्दी में बोल सके तो ज्यादा बेहतर होगा ।

Shri Baldev Tayal : Mr. Chairman, I will request the hon. Member to kindly understand English.

श्री सभापति : ऐसे बहुत से हैं जो अंग्रेजी नहीं समझ सकते । (विघ्न) Do not enter into any controversy.

श्री बलदेव तायल : हां तो साहब मैं अर्ज यह कर रहा था कि इसके अन्दर मेरा पहला औबजैक्शन यह है....

श्री सभापति : पहला औबजैक्शन तो हो लिया, दूसरे की बात करें ।

श्री बलदेव तायल : दूसरा औबजैक्शन यह है कि तीन साल के बाद क्या होगा? जो सिक कालेजिज हैं उनको एक प्रीमियम मिलने लग जाएगा । जिस कालेज को डिफिकल्टी होगी, थोड़ी सी फाईनैन्शल एड की डिफिकल्टी होगी या किसी और काम में दिक्कत होगी वह यह कोशिश करेगा कि मेरा कालेज सिक डिक्लेयर कर दिया जाए । तीन साल के लिए गवर्नमेंट उसे ले लेगी और तीन सात्र का जितना डैफिसिट है, जितनी पेमेंटस हैं और दूसरी कमियां हैं, उनको सरकार पूरा कर देगी ।

Shri Mool Chand Jain : There is no provision for financial help.....

Shri Baldev Tayal : Under sub-clause (3) of clause 3, the Administrator shall, after taking over the management of a college under this section, exercise all the powers of the managing committee and the president. इसलिये जो भी डिफिकल्टीज और कमियां उस मैनेजिंग कमेटी की थी वे ऐडमिनिस्ट्रेटर को पूरी करनी होंगी वरना ऐडमिनिस्ट्रेशन लेने का

कोई लाभ नहीं है । (विधन) मैं एक्ट के मुताबिक कह रहा हूं, उसका उद्देश्य यह है वरना आप ही बता दीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है? (विधन) तो चेयरमैन साहब, अर्ज इतनी है कि इस एक्ट में जब तक ये बातें न लाई जाए कि रेडमिनिस्ट्रेटर के क्या फंक्शंस होंगे, ऐडमिनिस्ट्रेटर तीन साल तक क्या करेगा, सरकार जो खर्चा करेगी उसका क्या होगा और इसके बाद क्या होगा, यह बात बनने वाली नहीं है । हर प्राइवेट कालेज यह कहेगा कि साहब मेरे में तो यह कमी है इसलिये मेरा ऐडमिनिस्ट्रेशन तीन साल के लिए ले लिया जाए, दूरुस्त कर दिया जाए और फिर दुबारा ले लिया जाए न इसमें मैनेजमेंट बदलने की चेष्टा की गई है, अगर वह गलत मैनेजमेंट है तो क्या कोई कमेटी दुबारा फार्म होगी या नहीं होगी, न यह बताया गया है, न कोई कानून बनाया गया है, न कोई मैथड बताया गया है । तो बेमतलब सा तीन साल का ऐक्सपैडिचर सरकार अपने सिर पर लेना चाहती है । इसके इलावा कोई उद्देश्य नजर नहीं आता । सरकार जिन कालेज को सिक कालेज समझती है और उनके पास प्रौपर्टी भी है,, जायदाद भी है, बेहतर यही होगा कि वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर न लगाये जाये, ऐडमिनिस्ट्रेटर की बजाय सरकार उनको जैसे तैसे करके गवर्नमेंट कालेज में तबदील कर दें । That will be much better. This is what I have to submit, through you, to the hon. Members and the House.

श्री सभापति : शंकर लाल जी आप बैठिए । आपकी बात आ चुकी है । तायल साहब ने बता दिया है । अब आप बैठिए ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : (बादली) सभापति महोदय, शिक्षा मन्त्री जी की तरफ से जो बिल पेश किया गया, इससे बढ़िया बिल हरियाणा में हो नहीं सकता । मैं यहां हाउस के सामने कितनी ही मिसालें बता सकता हूं कि कई आदमियों ने इन प्राइवेट कालेजिज में दाखिला लेने के लिये अपने जेवरात को गिरवी रख दिया, अपनी जमीन को गिरवी रख दिया चाहे बी0 एड0 की टैरनिंग है, चाहे दूसरी किसी प्रकार की ट्रेनिंग है, इन प्राइवेट कालेजिज ने एक प्रकार से दुकानदारी बना रखी है । अगर आप इस बिल के अन्दर यह भी लिख देते कि उन के खातों की पड़ताल की जायेगी कि किस ने कितनी हेराफेरी की है तो कितने ही आदमी जेलों में जाते, जिन्होंने ऐसे इन्स्टीस्यूट खोले हुए हैं वे आज बड़े लीडर बने बैठे हैं । इन बातों को देखते हुए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन एक तजवीज रखता हूं । अगर वह भी इसमें लिख दी जाये तो बहुत ही अच्छा होगा । जो यह भ्रष्टाचार है इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? हमारे यहां जो प्राइमरी माडल स्कूल हैं या माडल हाई स्कूल हैं या गुरुकुल हैं उनकी आडू में बड़ा भारी भ्रष्टाचार हो रहा है । भ्रष्टाचार के अड्डे कुछ लोगों ने खोल रखे हैं । कई ऐसी संस्थायें बाबो ने भी खोल रखी हैं । उसको गुरुकुल बताते हैं लेकिन वे भी कालेज ही

हैं । पता नहीं कितने ही ऐसे खाड़े रचे हुए हैं । मैं तो यह कहूंगा कि हरियाणा में जो भी प्राइवेट तालीम है, उसको भी इस बिल में शामिल कर लें चाहें वह प्राइमरी है, चाहे कालेज कई है जिनका इन्तजाम खराब हो, जो लोग ऐसी ठगी करते हों, ऐसी दुकानदारी चलाते हों, उनका मैनेजमेंट सरकार अपने हाथ में ले ले । (विधन) इसलिये मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस बात को भी इस बिल में शामिल कर लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी । वाईस चान्सलर वाली बात मैं कहता नहीं क्योंकि आपने टोक दिया है । इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ ।

राव दलीप सिंह : आप हमें भी तो बोलने के लिये टाईम दें ।

श्री सभापति: जहां पर भी आप बोलना चाहें, बोल लें, अभी तो कलाज—बाई—कलाज डिसकशन आनी हैं । अब एजुकेशन मिनिस्टर साहब जवाब देने के लिये खड़े हो गये हैं इसलिये अब आप बैठिए ।

राव दलीप सिंह : इतना इम्पोर्टेंट बिल है, उसपर भी आप टाईम नहीं दे रहे हैं ।

चौधरी रिजक राम : आखिरी कन्सीडरेशन की स्टेज पर टाईम दे देना ।

राव दलीप सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर ।
किसी बिल की डिस्कशन के समय कोई मैम्बर बोलना चाहे तो
उस पर टाईम की पाबन्दी नहीं लगायी जा सकती है ।

श्री सभापति : कोई पाबन्दी नहीं है ।

राव दलीप सिंह : आप बिल पास करने जा रहे हैं
इसलिये इस पर टाईम की लिमिट नहीं लगा सकते ।

Mr. Chairman : I have already called upon the Hon. Minister to speak. Please let him speak now. You may Speak on the particular clause on which you want to.

शिक्षा मन्त्री (कर्नलराव राम सिंह) : चेयरमैन साहब,
जब से जनता पार्टीकी सरकार ने सत्ता सम्भाली है तब से एक तो
हरियाणा में पानी क्त फलड आया.

Shri Surinder Singh : Sir, on a point of Order. I want to speak on clause 3 of the Bill.

Mr. Chairman : This is no point of Order. When that clause comes, only then you can speak.

बहिर्गमन

कामरेड शंकर लाल : चेयरमैन साहब मैंने कई बार
खड़े हो कर 'आपसे टाईम मांगा परन्तु आपने मुझे टाईम नहीं
दिया, इसलिए में वाक-आउट करता हूं ।

(इस समय कामरेड शंकर लाल सदन से बाहेर चले गये).

**दि हरियाणा प्राइवेट कालेजिज (टेकिंग ओवर ऑफ
मैनेजमेंट) बिल, 1978 (पुनरारम्भ)**

कर्नल राव राम सिंह : चेयरमैन साहब मैं कह रहा था कि जब से जनता सरकार ने सत्ता सम्भाली है एक तो पानी का फलड आया दूसरा फलड एजुकेशन मिनिस्टरी में प्राइवेट कालेजों के खिलाफ आया । प्राइवेट कालेजों के खिलाफ कम्पलेन्टस का फलड आया ।

चौधरी शमशेर सिंह : चेयरमैन साहब., आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । कर्नल साहब कह रहे हैं कि जब जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आयी, तो मैं आपके जरिए उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि यह सत्ता मोअन्नस है या मुजक्कर है? (हंसी)

कर्नल राव राम सिंह : चेयरमैन साहब, मैं अर्ज पर रहा था कि एक फलड आया एजुकेशन मिनिस्टरी में प्राइवेट कालेजिज की मैनेजमेंट के खिलाफ । मैनेजमेंट की कम्पलेन्ट का एक फलड आ गया यहां तक पोजीशन हो गई कि एजुकेशन मिनिस्टरी को अपना दूसरा काम सम्भालना मुश्किल हो गया । कम्पलेन्ट पर कम्पलेन्ट आने लगी । कम्पलेन्ट के अलावा रोजाना प्राइवेट कालेजिज के टीचर्ज अपनी तन्खाह के बारे में, सिक्योरिटी आफ सर्विस के बारे में 'वहां 'आगे लगे । रोजब रोज पचास पचास

आदमी प्राइवेट कालेज टीचर्ज एसोसिएशन के तथा इन्डीविंजुअल कम्पलेन्टस लेकर आने लगे । तब गवर्नमेंट ने इस पर विचार करना शुरू किया । जैसा कि अभी मेरे लायक दोस्त बूरा साहब ने कहा है कि यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मैं उनसे सहमत हूँ । यह बिल लाने में देरी की गई है । यह बिल पहले आना चाहिए था । बीच में जो अर्सा गुजर गया, उसके दौरान प्राइवेट कालेजिज को करप्शन की खुली छुट्टी थी । बूरा साहब ने जो और प्वायंटस डी0 पी0 ईज और लाइब्रेरीयन केग्रेड केरेज किये हैं और जो इस बिल में कवर नहीं है, वे जरूर कन्सिडर किये जायेंगे । बूरा साहब ने जो यह शक जाहिर किया है कि सारे कालेजिज टेक-ओवर कर लिए जायेंगे, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है । जो कालेजिजवैल मैनेज्ड हैं, उनको नहीं लिया जायेगा हरियाणा में या हिन्दुस्तान 'में जो कालेज स्तर की एजुकेशन है उसको प्राइवेट मैनेजमेंट रन कर रही है । कई मैनेजमेंट बहुत अच्छे कालेजिज चला रही हैं । जो कालेजिज बैल मैनेज्ड हैं उनपर कोई आंच आने का डर नहीं है । वे प्रोटैक्ट किये जायेंगे उनकी मदद की जायेगी जो मिस-मैनेज्ड कालेजिज हैं वे करप्शन के डैन्ज बने हुए हैं । उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी । जिन्होंने ओपन करप्शन के लाइसैंस ले रखे हैं और 10-15 साल से करप्शन की जा रही है, वह बन्द कर दी जायेगी ।

जो प्वायंट मेरे दोस्त राव बीरेन्द्र सिंह जी ने रोज किया हैकि सरकार टेक-ओवर करके प्राइवेट मैनेज्ड कालेजिज में पोलिटिक्स लाना चाहती है, इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बिल्कुल ठीक है कि पोलिटिक्स खत्म करना इस बिल का एक मुद्दा है । इसवक्त जो कम्पलेन्ट्स आयी हैं, उनसे साफ फ-प्हिर है कि कई प्राइवेटली मैनेज्ड कालेजिज पोलिटिक्स के लिए कालेजिज को रन कर रहे थे । हर इलैक्शन मे इन कालेजों के बच्चों का, इनके टीचर्ज का दुरुपयोग किया जाता है । चेयरमैन साहब मैं हाउस को क्या कहूँ, कहते हुए भी शर्म आती है । मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो गर्ल्ज स्टूडैन्ट्स थीं कई कम्पलेन्ट्स आयी हैं कि उन को घाघरा और औढनी पहना कर घुघट निकलवा कर मुरदा वोटों को डलवाने के लिए भेजा गया । मेरे दोस्त राव बीरेन्द्र सिंह को इस बात का पता है । राव बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि कांस्टीच्यूशन के लिहाज से यह गलत बात है ।

Constitution does not say anywhere that licence will be given to corruption. The main purpose of this Bill is to remove corruption, mismanagement and embezzlement. गबन जो किये जाते हैं प्राइवेट कांलेजिज में उसको दूर करने के लिये यह बिल इन्ट्रोडयूस किया है और कांस्टीच्यूशनल प्वायंट के लिहाज से बिल सही है । चेयरमैन साहब, मेरे पास कम्पलेन्ट्स आयी है । उनको देख कर और पढकर कभी कभी आंसू आ जाते हैं । जिस वक्त किसी लैकचरार को अप्वायंट किया जाता है उसके साथ ही उससे सैटर आफ रैजीगनेशन ले लिया जाता है । जब उसको

अप्यायंटमैट दी जाती है तो उस वक्त यह कहा जाता हैकि भाई आप पहले लैटर आफ रैजिगनेशन लिख दो, अन डेटिड लैटर आफ' रैजिगनेशन लिया जाता है । फिर उसको पूज किया जाता है एज ए हैन्डल । It is used as a handle to misuse the services of those lecturers which, I think, is a matter of great shame

चेयरमैन साहब, यह जो यू जी० सी० ने नई ग्रांट्स दी थी इन कालिजों को, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से इन कालिजों के लेक्चरर्स की कंडीशन्ज को एमीलीयोरेट करने के लिए देती ही है! यह नई ग्रांट्स कहा जा रही हैं? यह रुपया जो अनसकूपलस मैनेजमेंट है, इनकी जेबों में जाता है । गलत रसीदें लेक्चरर्स से लेते हैं ।उनको तन्खाह तो दी जाती है 500 रुपये और उनसे तन्खाह की रसीद ली जाती है एक हजार रुपये की बाकी का रुपया कहा जाता है? I leave it to the imagination of the members of the House to think as to where the balance of the money goes. This has become the rule that in some of the mismanaged colleges false receipts are taken from the teachers and most of the money goes into the wrong hands. It is only exception to the rule कि जहां पर पूरे पैसे देकर पूरी रसीद ली जाती है । चेयरमैन साहब, मैं एक बात आगे बताऊं । इस वक्त हरियाणा के ऐम्प्लायमेंट ऐक्सचेंजिज में 15,000 बी एड लड़कों के नाम दर्ज हैं और इन 15,000 में एक दो नहीं हजारों लड़के ऐसे हैं जिनसे गरीबी में भी एंट एंट कर तीन-तीन चार चार हजार रुपया डोनेशन के रूप में लिया गया है । उन गरीब बच्चों के मां बाप ने जमीन बेच कर जे बरात बेचकर और जमीन

को रहन रखकर वह पैसा नजराने के तौर पूर उन्हें भेंट किया था और इस उम्मीद में किया था कि बी0एड0 करने के बाद उनको नौकरी मिल जायेगी । (राव बीरेन्द्र सिंह की ओर से विघ्न) स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, कई कालेजिज से कम्पलेन्ट आयी हैं कि जो सर्वेन्टस और स्टाफ है, वह पर्सनल हाउस होल्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है यहां तक रिपोर्ट आयी है कि किसी मैनेज-मैट के बासिज के घर में यदि किसी समय मेहमान ज्यादा आ जायें तो खाना भी उन मेहमानों को होस्टल से मँगवा कर खिलाया जाता है । यह -आत मैने अपनी आंखों से देखी है । (राव बीरेन्द्र सिंह की ओर से विघ्न) चेयर मैन साहब, उन दिनों मुझे खुशनुदी हासिल नहीं हुई कि बोर्डिंग का खाना खिलाया जाता । जो राव बीरेन्द्र सिंह जी ने यह कहा कि यह कांस्टीच्यूशन के खिलाफ हैकि कोर्टस के दरवाजे बन्द हो जायेंगे यह बात बिल्कुल गलत है । जो कोई भी इललीगल आर्डर पास होगा उसके खिलाफ अपील करने के लिये कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला है । लेकिन कोई फिवुलस. चार्जिज के पर वहां पर कोई ऐसी बात की जाये, तो उसके लिये कोई रास्ता नहीं है लेकिन अगर सरकार कोई नया इललीगल आर्डर पास करती है तो I will be the firs perosn ot go against him and the doors of the court are always open. मेरे दोस्त चौधरी रण सिंह मान जी ने जोकुछ कहा मैं उनसे सौ फीसदी सहमत हूं कि एक तो यहां दुकानदारी होती है और पिछले दिनों इन कालेजों को बहुत ही फेमर्शललाइज किया गया था । एक तो इस वजह से यह बिल

लाना जरूरी समझा गया । जहां तक लैक्चरर्ज की सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का सबन्ध है, इन्होंने यह कहा है कि यह चीज इस बिल में शामिल नहीं है । वह इस बिल से बाहर की बात है लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि सरकार उनकी इस बात पर विचार कर रही है कि लैक्चरर्ज को नौकरी की सिक्योरिटी देने के लिये क्या इन्तजाम किया जाये । जो इन्होंने सारे कालेज को टेक ओवर करने की बात कही, मैं उन्हें कह बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है! जो बलदेव, तायल जी ने यह कहा कि गवर्नमेंटको बहुत फाइनेंशियल लास होगा और ऐडमिनिस्ट्रेटर लगा ने की क्या जरूरत होगी? मैं उन्हें यह बताना चाहता हूंकि ऐडमिनिस्ट्रे- टर इस काम के लिये वहां पर अप्वायंट किये जायेंगे जो फायनैन्शल मिस मैनेज-मैट होता रहा है, वह उस को बन्द कर सकें । एट प्रैजैन्ट हरियाणा सरकार तकरीबन एक करोड़ रुपया सालाना ग्रान्ट इन कालेजों को दे रही है, उनका सही इस्तेमाल किया जाये । कंब इन कालेजों की स्थिति सुधर जायेगी! जब कालेजकी फायनैन्शल पोजीशन ठीक हो जायेगी तो वह कालेज मैने जमैन्ट को वापस हैंड ओवर कर दिया जायेगा । इसके लिये मैंने यह बिल इन्ट्रोडयूस किया है ताकि जो कालेज ग्रासली मिस-मैनेज्ड हैं, उनको सरकार अपने अधिकार मे ले ले । सरकार उनको इतनी ग्रान्ट देती है और इतना रुपया देने के बावजूद भी गवर्नमेंट के पास या यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि वह इफैक्ट- वली इनडिस्पलिन और मिस-मैनेजमेंट औरकुरप्शन को बन्द करने के लिये कोई कदम

उठा सके । इसके लिये यह बिल आपके सामने है ।

Mr. Chairman : Question is-

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman : The House will now take up the Bill clause by clause.

Sub clause (2) of clause 1.

Mr. Chairman : Question is—

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill. The motion was carried.

Clause 2

Mr. Chairman Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Shri Mool Chand Jain : Mr. Chairman, I want to speak on clause 3.

Mr. Chairman : Yes.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा) : चेयर मैन साहब.,
वैसे तो शिक्षा मंत्री महोदय. ने कफी बातें इस बिल के बारे में कह
दी हैं लेकिन एक. बात जि सके बा रें में श्री बलदेव तायल ने
चर्चा शुरू की थी उसक जवाब न तो मंत्री महोदय. ने दिया है

और न ही इस बिल के जो स्टेटमेंट ऑफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्ज हैं, उनमें दिया हुआ है । आ पको तो पता ही है कि किसी भी बिल मे कोई अगर खर्चा करना पड़े तो गवर्नर को या इस हा उस को मन् जूरी देनी होती है कि इस बिल के लिये इतना रुपया मन्जूर किया जाता है । लेकिन इस बिल में इस किरम का कोई प्रोविजन नही कि या गया है न ही मिनिस्टर साहब ने इस बात की कोई क् लैरीफीकेशन दी है 'कि जो कालेजों में ऐड मिनिस्टर लग । ये जा येंगे, उनके फाइनेंसिज को कन्ट्रोल करने के लिये उनका जो खर्चा होगा, वह यूनिवर्सिटी ग्रान्टस व मीशन से होना है या इस सरकार का होना है ।

Mr. Chairman : The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 15th March, 1978.

*13.30 Hrs.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 15th March; 1978).